



कुरुक्षेत्र



वर्ष : 64 ★ मासिक अंक : 11 ★ पृष्ठ : 64 ★ भाद्रपद-आश्विन 1940 ★ सितंबर 2018

प्रधान संपादक
दीपिका कच्छल
वरिष्ठ संपादक
ललिता खुराना
संपादकीय पत्र-व्यवहार
संपादक
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110 0 03
दूरभाष : 011-24365925
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
विनोद कुमार मीना

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 011-24367453
ई-मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
शिश्नर कुमार दत्ता
सज्जा
मनोज कुमार

मूल्य एक प्रति : 22 रुपये
विशेषांक : 30 रुपये
वार्षिक शुल्क : 230 रुपये
द्विवार्षिक : 430 रुपये
त्रिवार्षिक : 610 रुपये



इस अंक में

	चिरस्थायी ग्रामीण विकास के लिए कृषि को बढ़ावा	जे.पी. मिश्रा	5
	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	डॉ. एच. एस. शैलेन्द्र	12
	ग्रामीण भारत में समावेशी विकास जरूरी	तनिमा दत्त, जसपाल सिंह और अनुपमा रावत	19
	वित्तीय समावेशन : गांवों की तरक्की का आधार	शिशिर सिन्हा	22
	सतत कृषि विकास की ओर	अशोक सिंह	27
	ग्रामीण-शहरी दूरियों को पाटता रुर्बन मिशन	डॉ. महीपाल	31
	ग्रामीण भारत को जोड़ता डिजिटल इंडिया	डॉ. रोली रघुवंशी, डॉ. आदित्य पी. त्रिपाठी	35
	कौशल विकास से बढ़ेंगे रोजगार	गजेंद्र सिंह 'मधुसूदन'	40
	सतत ग्रामीण विकास का माध्यम मनरेगा	डॉ. नरेन्द्रपाल सिंह	46
	संभावनाओं से भरपूर पूर्वोत्तर भारत	एम.के. श्रीवास्तव	49
	माई विलेज माई प्राइड अभियान	---	54
	प्लास्टिक मुक्त होगा सीतामढ़ी	---	56
	गोरखपुर के तीन गांवों को स्वच्छता पुरस्कार	---	57
	सतत ग्रामीण विकास का सशक्त माध्यम बनती महिला सरपंच	डॉ. जोरावर सिंह राणावत	58
	महिला सशक्तीकरण के लिए पहल	---	61

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 से पत्र-व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रभाग, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 से संपर्क करें। दूरभाष : 011-24367453

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

देश की करीब 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है। हालांकि ग्रामीण आबादी की वृद्धिदर कम हुई है उसके बावजूद ग्रामीण आबादी ही बहुसंख्या स्थिति में है। सतत ग्रामीण विकास से हमारा तात्पर्य ऐसे विकास से है जिसके नतीजे दीर्घावधि हो। साथ ही, सभी तक विकास के लाभ भी पहुंचें। वर्तमान सरकार

ग्रामीण विकास के विभिन्न मोर्चों पर ऐसी नीतियां अपना रही है जिससे सतत विकास के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र ने भी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के बजाय अब संवहनीय विकास लक्ष्य को अपना लिया है और इसके अंतर्गत तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2016 से 2030 तक की समय-सीमा तय की है।

अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) 1999 से ही पूर्वोत्तर सामुदायिक प्रबंधन परियोजना को धन मुहैया करा रहा है। इन्होंने मिलकर संवहनीयता के चार पैमाने तय किए हैं— परिणामों, प्रक्रिया, आजीविका और संसाधनों की संवहनीयता। इस परियोजना की सफलता स्थानीय समुदाय की भागीदारी से संभव हुई है। नीतियों के निर्धारण में महिलाओं को प्रमुख किरदार देकर और उन्हें लागू करने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सकता है।

वर्तमान सरकार द्वारा अपने गत चार वर्षों के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है। कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी तमाम नई योजनाएं भी इसी क्रम में अस्तित्व में आई हैं। इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के सकारात्मक नतीजे भी अब सामने आने लगे हैं जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, एग्री उड़ान, परंपरागत कृषि विकास योजना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-नाम), प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना, राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन, एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, पशु हाट पोर्टल, आर्या-अट्रेक्टिंग एंड रिटैनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना आदि। आज देश खाद्यान्न, दूध, फल, सब्जी, मछली, मुर्गीपालन तथा पशुपालन के क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भरता के स्तर से आगे बढ़ चुका है बल्कि विविध प्रकार के कृषि उत्पादों का निर्यात भी कर रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प भी इन्हीं आशातीत परिणामों को ध्यान में रखकर देश के समक्ष किया गया है।

वित्तीय समावेशन का नया अध्याय लिखा जा रहा है जोकि गांवों की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गांवों में वित्तीय समावेशन का दायरा बैंक खाता खुलवाने और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से आगे बढ़कर ग्रामीण उद्यमिता के लिए मदद तक फैल चुका है। बीमा सुरक्षा से लेकर डिजिटल लेन-देन और लोगों को वित्तीय साक्षर बनाने का काम भी इसमें शामिल हो चुका है। गांवों में उद्यमिता के विकास से किसानों का विकल्प तैयार होगा जिससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं के स्वरोजगार के साथ-साथ दूसरों को रोजगार देने के मौके बनेंगे।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार की प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन-ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सहित डीबीटी और मुद्रा योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में अपार सफलता मिली है। निसंदेह बीमा योजनाओं ने जहां ग्रामीणों को आर्थिक सुरक्षा मुहैया करायी है, वहीं डीबीटी ने भ्रष्टाचार पर लगाम कसी है। अब सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचने लगा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रमों के चिरस्थायित्व के लिए समुदाय-आधारित संगठन बनाना मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एनआरएलएम ने गरीबों और उनकी संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपने की परिकल्पना की और उसे मूर्त रूप दिया। एनआरएलएम ने स्वयंसहायता समूहों के जरिए निचले तबके के ग्रामीण लोगों विशेषकर महिलाओं को बड़े पैमाने पर जोड़कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया है। एनआरएलएम ने देश के तमाम गांवों में नौ करोड़ गरीब परिवारों को एकजुट करने का लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया है।

'मनरेगा' ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आजीविका के सतत अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने और ग्रामीण परिवारों को गरीबी-रेखा से ऊपर उठाने के लिए मनरेगा की शुरुआत की थी ताकि भूख, कुपोषण, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का आसानी से सामना किया जा सके और ग्रामीण जनता रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन ना करें। मनरेगा अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल रहा है। साथ ही, इसके अंतर्गत गांवों में उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है तथा एक समतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत हुई है। यदि सरकार मनरेगा के अंतर्गत कृषि कार्यों को भी मान्यता प्रदान करने की दिशा में कार्य करे तो आने वाले समय में गरीबों के लिए यह योजना वरदान साबित होगी और रोजगार प्राप्ति एवं विकास का सशक्त माध्यम बनेगी।

रुर्बन मिशन शहर की सुविधा एवं गांव की आत्मा के विचार पर आधारित है तो डिजिटल इंडिया का उद्देश्य ग्रामीण भारत को डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध करा उसके लिए वैश्विक प्रगति के द्वारा खोलना है। मोदी सरकार ने महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु कई पहल की हैं। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना महिलाओं के लिंगानुपात को सुधारने के उद्देश्य से शुरू की गई। साथ ही, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु कई पहल की गई। महिलाओं के प्रति हिंसा को कम करने के लिए कानूनों को कठोर बनाया गया है। साथ ही, बुजुर्गों, दिव्यांगों और कमजोर तबकों को आर्थिक सुरक्षा एवं संरक्षण देने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बनाए गए शौचालयों से महिलाओं को गरिमा से जीने का अवसर मिला है। वहीं उज्ज्वला योजना ने करोड़ों महिलाओं को लकड़ी के चुल्हे के धुएं से छुटकारा दिलाया है। मिशन इंद्रधनुष से जच्चा-बच्चा का समय पर टीकाकरण संभव हुआ है। ऐसे ही अनगिनत प्रयास हो रहे हैं जिनसे ग्रामीणों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है।

संक्षेप में, ये सभी प्रयास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बार-बार दोहराए गए मिशन, विज्ञान, रणनीतिक लक्ष्यों और सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि सरकार का मुख्य एजेंडा 'हाशिए पर खड़े लोगों का कल्याण' है ताकि देश सतत विकास के लक्ष्य की ओर बढ़ सके।

चिरस्थायी ग्रामीण विकास के लिए कृषि को बढ़ावा

—जे.पी. मिश्रा

सरकार ने चिरस्थायी ग्रामीण विकास के लिए निवेश वृद्धि, बुनियादी ढांचे के बेहतर विकास और कृषि अभिशासन में सुधार की तीन सूत्री नीति अपनाई है। इसके अंतर्गत जहां उत्पादन संबंधी मूल गतिविधियों को केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित मौजूदा योजनाओं की मुख्यधारा में लाकर उनकी पहुंच का दायरा बढ़ाया गया है वहीं कृषि विपणन, अनुबंध पर खेती, जमीन की पट्टेदारी, कीमत और व्यापार नीति तथा कृषि ऋण जैसे क्षेत्रों में भी सुधार किए गए हैं ताकि देश में न केवल खेती का विकास हो बल्कि समूचे ग्रामीण भारत का समावेशी विकास हो सके।

कृषि और संबंधित गतिविधियां भारत के 6.40 लाख से अधिक गांवों में रह रही देश की करीब 70 प्रतिशत आबादी की आजीविका का मुख्य स्रोत हैं (2011 की जनगणना)। इस तरह कृषि का विकास ग्रामीण विकास की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। भारत की कुल श्रमशक्ति का करीब आधा हिस्सा खेती में लगा है क्योंकि यहां रोजगार के वैकल्पिक साधन सीमित हैं और हमारे जैसे कम आमदनी वाले देश में फिलहाल इनके कम ही रहने की संभावना है।¹ ग्रामीण भारत में पिछले दशक में बड़ा सकारात्मक घटनाक्रम देखा गया है जहां लोग दुग्ध उत्पादन, मुर्गीपालन, बागवानी और जलजीव पालन जैसी अधिक आमदनी वाली गतिविधियों के साथ-साथ समूह निर्माण को भी अपनाने लगे हैं। आमदनी बढ़ाने वाले उपक्रमों में भी बाजार संबंधी नवसृजन से सकारात्मक गतिशीलता दिखाई दी है। खाद्य सुरक्षा संबंधी सरोकारों के दबाव में अतीत में नीतियां हरितक्रांति संबंधी टेक्नोलॉजी और क्षेत्रों पर अधिक केंद्रित रहीं जिसका

नतीजा यह हुआ कि पानी की कमी वाले बड़े इलाके फायदों से वंचित रह गए। सिंचित कमान विकास क्षेत्रों में औसत निवेश 2.5 से 3 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर था वहीं वर्षाधीन खेती वाले इलाकों में प्रति हेक्टेयर 0.12 से 0.15 लाख रुपये का ही निवेश समन्वित जल प्रबंधन कार्यक्रम के जरिए किया गया। अनुमानों से पता चलता है कि बारानी खेती की क्षमताओं का पूरा फायदा उठाने के लिए 0.50 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है। बीज, उर्वरक, विपणन सेवाओं, आधारभूत ढांचे और फसल कटाई के बाद की गतिविधियों से संबंधित ढांचे में भी भारी क्षेत्रीय असमानताएं पाई गईं। सरकार ने चिरस्थायी ग्रामीण विकास के लिए निवेश बढ़ाने और कृषि के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और अभिशासन में सुधार के लिए तीन सूत्री रणनीति अपनाई। जहां एक ओर केंद्र द्वारा प्रायोजित मौजूदा योजनाओं का दायरा बढ़ाकर इनके माध्यम से मूल उत्पादन गतिविधियां बनाए रखी गईं, वहीं कृषि विपणन, ठेके पर खेती, जमीन की पट्टेदारी, कीमत और व्यापार नीति तथा





कृषि ऋणों के माध्यम से न सिर्फ कृषि के विकास के लिए बल्कि समूचे ग्रामीण क्षेत्र के समावेशी विकास के प्रयास किए गए।

कृषि और ग्रामीण खुशहाली



गांवों में आमूलचूल परिवर्तन लाने में कृषि के विकास का महत्व राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के आंकड़ों से भी स्पष्ट हो जाता है। देश में खेती को आजीविका का मुख्य जरिया मानने वाले कृषक परिवारों से संबंधित आंकड़ों के अनुसार देहाती इलाकों में 92 प्रतिशत से अधिक परिवारों की आय की प्रमुख गतिविधि कृषि थी। खेती और पशुपालन से कृषक परिवारों को 67.2 प्रतिशत आय प्राप्त हो रही थी। (चित्र-1)। हर महीने करीब 60 प्रतिशत आय खेती और उससे संबंधित गतिविधियों से प्राप्त हो रही थी और मजदूरी से 32 प्रतिशत आमदनी प्राप्त हो रही थी। गैर-कृषि कारोबार से कृषक परिवारों को केवल 8 प्रतिशत मासिक आय प्राप्त हो रही थी (चित्र-2)।

समावेशी विकास के लिए उच्चतर निवेश

2014 से 2018 के दौरान कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र में केंद्र सरकार के सार्वजनिक व्यय में काफी वृद्धि हुई है। कृषि मंत्रालय का संचयी आबंटन/खर्च पिछले तीन साल के दौरान 153100 करोड़ रुपये से अधिक रहा है (चित्र-3)। कृषकों की आमदनी बढ़ाने के लिए पशुपालन क्षेत्र के निवेश में काफी बढ़ोतरी की गई है। 2011 में नई विनिर्माण नीति में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की पहचान सघन रोजगार सृजन वाले प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में की गई। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की प्रधानमंत्री संपदा योजना के माध्यम से उत्पादकों और उद्यमियों को प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2018-19 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण का बजट आबंटन लगभग दुगुना कर दिया गया है ताकि इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो। समावेशी ग्रामीण विकास के लिए कृषि में आमूल परिवर्तन की प्रमुख पहलों के बारे में नीचे के अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

फोकस्ड फंड का विस्तार

- नाबार्ड ने 2015-16 में करीब 20,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक



निधि से दीर्घावधि सिंचाई कोष बनाया जिसे 2016-17 में 20,000 करोड़ रुपये और देकर सुदृढ़ किया गया।

- चुने हुए फूड पार्कों को और उनमें कार्य करने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वाजिब दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड में 2000 करोड़ रुपये का खाद्य प्रसंस्करण कोष।
- पानी की हर बूंद से अधिक से अधिक फसल प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए नाबार्ड में 5,000 करोड़ रुपये का सूक्ष्म सिंचाई कोष।
- नाबार्ड में 8,000 करोड़ रुपये का डेरी प्रसंस्करण और आधारभूत ढांचा विकास कोष का गठन। प्रारंभ में यह कोष 2000 करोड़ रुपये की निधि से प्रारंभ किया जाएगा। दुग्ध उत्पादन किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का महत्वपूर्ण स्रोत है। दुग्ध प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचे की अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो जाने से दुग्ध उत्पादकों को मूल्य संवर्धन का फायदा मिलेगा। इससे ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत गठित दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों में नई जान डाली जा सकेगी।
- मत्स्य पालन और जलजीव पालन क्षेत्र की वित्तीय और बुनियादी ढांचे संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मत्स्य पालन और जलजीव पालन अवसंरचना विकास निधि (एफएआईडीएफ) और पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) का गठन। इन दो नई निधियों की समग्र निधि 10,000 करोड़ रुपये।


प्राकृतिक संसाधनों को अधिक उत्पादक और फायदेमंद बनाना

ग्रामीण आबादी का बड़ा हिस्सा अपनी रोजी-रोटी के लिए मुख्य रूप से कृषि-आधारित गतिविधियों पर निर्भर है। लेकिन जमीन और पानी जैसे संसाधनों के छीजने और विकृत होने से खेती में ज्यादा संभावनाएं नहीं बची हैं। ग्रामीण विकास के लिए भूमि और जल का समन्वित विकास बहुत जरूरी है। भारत में




प्रति परिवार भूमि की उपलब्धता 1.16 हेक्टेयर और पानी की प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता 1544 घनमीटर है। एक ओर जमीन एक सामान्य परिवार के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त नहीं रह गई है वहीं भारत पानी की कमी वाला देश भी हो गया है जहां साल में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 1544 घनमीटर है। दुनिया के कई इलाके आज जल की कमी की स्थिति का सामना कर रहे हैं (1000 घनमीटर से कम प्रति व्यक्ति उपलब्धता)। उत्पादक कृषि जोतों को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने कृषि भूमि की पट्टेदारी हासिल करने के लिए एक आदर्श कानून बनाने का सुझाव दिया है। इसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने जमीन की पट्टेदारी संबंधी अपने कानूनों में संशोधन किया है। मध्य प्रदेश ने भी जमीन के बेहतरीन उपयोग और व्यावसायिक विविधता लाने के उद्देश्य से जमीन की पट्टेदारी के बारे में अलग विधेयक पेश किया है। इन उपायों का ग्रामीण विकास पर जोरदार असर पड़ने की संभावना है क्योंकि देश में पट्टे पर जमीन लेकर खेती करने वाले काश्तकार बड़ी तादाद में हैं। अध्ययनों से पता चला है कि ग्रामीण गरीबी और सिंचाई सुविधाओं के विकास के बीच विपरीत संबंध है और एक के बढ़ने से दूसरा कम होता है। बारानी खेती वाले इलाकों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाने से उत्पादकता में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि होती है। सिंचाई में जमीन की उत्पादकता बढ़ने के साथ-साथ खेती में विविधता लाने की संभावना भी बढ़ जाती है। वर्ष 2011-12 के दौरान देश में सिंचित क्षेत्र में 1.14 करोड़ हेक्टेयर की शुद्ध बढ़ोतरी हुई जिसमें से 63.6 प्रतिशत ट्यूबवैल और अन्य संधानों से हुई। सिंचाई क्षमता का लाभ उठाने की दृष्टि से सतही जल संसाधनों के उपयोग में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में आमूल परिवर्तन लाने में पानी के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीमकेएसवाई) के माध्यम से जल क्षेत्र में तालमेल कायम करने के लिए चिर-प्रतीक्षित कदम उठाए गए हैं।

ग्राफ-3 : वर्ष 2018-19 में आवंटन/खर्च में बदलाव



प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि, जल संसाधन और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के बीच व्यापक समन्वय कायम करती है। इसका उद्देश्य सिंचाई की सप्लाई-चेन में स्रोत से लेकर खेत तक के उपयोगों में समस्याओं का आद्योपांत समाधान करना है। 2020 तक 80.6 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। हर साल करीब 5 लाख तालाबों के निर्माण के लिए मनरेगा के साथ तालमेल की व्यवस्था की गई है। सूक्ष्म सिंचाई के तहत 'हर बूंद से अधिक से अधिक फसल' प्राप्त करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रमों में उपकरणों और तकनीक पर स्पष्ट रूप से जोर दिया जा रहा है जिससे संरक्षित सिंचाई और खेत में पानी के उपयोग की दक्षता बढ़ाने में मदद मिली है। वर्ष 2015-16 से करीब 17 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है। 5000 करोड़ रुपये की निधि के अलावा सूक्ष्म सिंचाई के सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल को क्षेत्रीय दृष्टिकोण के साथ कई राज्यों में मुख्य रूप से अपनाया जा रहा है। ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ाने और सूक्ष्म सिंचाई के

ग्राफ-4 : सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत विविध कृषि से फार्म परिवार की आय में वृद्धि (प्रतिशत में)



जरिए कृषि में विविधता लाने में सफलता उत्साहवर्धक रही है। इससे आमदनी में खेती के पारंपरिक तरीके अपनाते वाले कृषक परिवारों के मुकाबले 69 प्रतिशत से लेकर 348 प्रतिशत तक (1 लाख रुपये से 1.5 लाख रुपये प्रति एकड़) की बढ़ोतरी हुई है और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अन्य राज्यों के किसानों ने ड्रिप सिंचाई के जरिए फलों, सब्जियों और मसालों की खेती शुरू कर दी है। गांवों के गरीबों को सबसे उत्साहजनक फायदा वहां हुआ है जहां सिंचाई के लिए पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है (ग्राफ-4)। इसके फायदे विविधतापूर्ण कृषि जलवायु

वाले 13 राज्यों में देखे जा सकते हैं। सिंचाई की वजह से किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी ने यह बात साबित कर दी है कि प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जबर्दस्त असर पड़ने वाला है।


ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाना जरूरी

उत्पादकता की दृष्टि से लगभग सभी कृषि जिंसों की पैदावार के लिहाज से दुनिया में हमारी उत्पादकता सबसे कम है। उत्पादकता बढ़ाने में बीज और उर्वरकों का महत्व सबसे अधिक होता है। सरकार ने देशभर में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के बीज केंद्र बनाए हैं ताकि दलहनी फसलों के बीजों की उपलब्धता में बढ़ोतरी हो। इसके अलावा 2018-19 में भी 25 अतिरिक्त बीज केंद्र खोले गए हैं ताकि उच्च पौष्टिकता वाली फसलों के उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराए जा सकें। उर्वरकों के उपयोग में कमी लाने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है। इस कार्ड से किसानों को अपनी जमीन की उर्वरता के स्तर की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है और वह अधिक उपज प्राप्त करने के लिए फसल की जरूरत के हिसाब से सही मात्रा में उर्वरक और आर्गेनिक खाद का उपयोग कर सकता है। संतुलित मात्रा में उर्वरक का पता चल जाने से न केवल खेती की लागत में कमी आएगी बल्कि मिट्टी की उर्वराशक्ति को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। अब तक 10.73 कृषक परिवारों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे जा चुके हैं (तालिका-1)। यूरिया के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए नीम लेपन की शुरुआत की गई है ताकि इसका उपयोग कृषि कार्यों में ही सुनिश्चित किया जा सके और किसानों की लागत में कमी आए। बायो टेक्नोलॉजी विभाग ने आधार समन्वित मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की है ताकि उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा मिले और उनके वितरण और बिक्री में पारदर्शिता आए। इस समय खेती में बिजली का औसत उपयोग 1.84 किलोवाट प्रति हेक्टेयर है जिसे 2020 तक बढ़ाकर 2.2 कि.वा./हे. किया जाना है। यह बात साबित हो चुकी है कि कृषि उत्पादकता

तालिका-1 : मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अखिल भारतीय स्थिति

विवरण	प्रथम चक्र (2015-2017)	द्वितीय चक्र (2017-2019)
मिट्टी के नमूने एकत्र करने और उनके परीक्षण का लक्ष्य (सं.)	25349546	28011869
एकत्र किए नमूनों की संख्या (100 प्रतिशत)	25349546	23316624 (83.24 प्रतिशत)
परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या (100 प्रतिशत)	25349546	14549698 (51.94 प्रतिशत)
मृदा स्वास्थ्य कार्डों के मुद्रण और वितरण का लक्ष्य	107389421	122045175
मुद्रित मृदा स्वास्थ्य कार्डों की संख्या (100 प्रतिशत)	107389421	50580440 (41.44 प्रतिशत)
वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्डों की संख्या (100 प्रतिशत)	107389421	46083032 (37.76 प्रतिशत)

और खेती के लिए बिजली की उपलब्धता का सीधा संबंध कृषि में यंत्रों और उपकरणों के उपयोग में वृद्धि से है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में खेती का यंत्रीकरण अधिक होने से उत्पादकता कम यंत्रीकरण वाले राज्यों के मुकाबले बहुत अधिक है। राष्ट्रीय कृषि प्रसार और टेक्नोलॉजी मिशन के अंतर्गत कृषि मशीनरी को बढ़ावा देने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर्स (सीएचसी) को बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अपशिष्ट प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है जिसके अंतर्गत यांत्रिक विधियों का उपयोग करके किसानों के खेतों में ही फसलों के अपशिष्ट पदार्थों का निपटान कर दिया जाता है। सरकार ने ग्रामीण उद्यमियों के जरिए फसलों के अपशिष्ट के खेतों में ही निपटान के लिए 1151.80 करोड़ रुपये लागत की एक योजना प्रारंभ की है।



ग्रामीण परिवारों को जोखिम से मुक्त कराना

फसल खराब होना एक ऐसा संकट है जिसका सामना भारत में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कभी न कभी करना ही पड़ता है। बारानी खेती वाले इलाकों में इसकी तीव्रता और बारंबारता अधिक होती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और उपभोक्ताओं, दोनों पर ही असर पड़ता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जनवरी 2016 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जैसी कई बीमा योजनाओं को समाहित कर प्रारंभ की गई।

ग्रामीण इलाकों में खेती के जोखिमों के असर को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर और कुशल औजार है। इसे और अधिक समावेशी बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं जिनके तहत जुताई योग्य भूमि पर की जाने वाली खेती के लिए प्रीमियम की दर सिर्फ 1.5 से 2.0 प्रतिशत और फलों, सब्जियों तथा बागानी फसलों, के लिए बीमित राशि के 5 प्रतिशत के बराबर निर्धारित की गई है। वर्ष 2016-17 के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आबंटन लगभग तीन गुना कर दिया गया है। अब तक 24 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में यह योजना लागू है और 2016-17 में खेती वाले करीब 58 लाख हेक्टेयर इलाके को इसके दायरे में लाया गया है। इसकी एक दिलचस्प बात यह है कि योजना के तहत जिन किसानों ने आवेदन किया उनमें से 24 प्रतिशत कर्जदार नहीं रहे हैं (तालिका-2)।

ग्रामीण और कृषि वित्तीय समावेशन

पिछले अनुभवों पर आधारित अध्ययनों से संकेत मिलता है कि संस्थागत ऋणों से किसान परिवारों की आमदनी में प्रति व्यक्ति 2 डालर की मासिक वृद्धि होती है। वर्ष 2000-01 से किसानों के संस्थागत ऋणों में 18 गुना बढ़ोतरी हुई है और उन्हें कम ब्याज पर कर्ज मिलने लगे हैं (ग्राफ-3)। लेकिन छोटे और सीमांत किसानों की ऋणों तक पहुंच और ऊंची ब्याज दरें चिंता का विषय हैं। हाल में इसी सिलसिले में दो महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं जिनके अनुसार 3 लाख रुपये तक के अल्पावधि फसली ऋणों पर ब्याज में छूट दी गई है और किसान क्रेडिट कार्य योजना का दायरा बढ़ाकर आवधिक ऋणों, उपभोग संबंधी खर्च हेतु लिए गए ऋणों और दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में जोखिम सुरक्षा को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। जो किसान समय पर अपने ऋणों की अदायगी कर देता है वह 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर फसली ऋण पाने का पात्र हो जाता है। नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स (एनडब्ल्यूआर) के आधार पर भी फसल कटाई के बाद दिए जाने वाले ऋणों का वितरण भी किया जा रहा है और इनमें ब्याज में रियायत का फायदा भी दिया जा रहा है। सरकार ने कृषि ऋणों को और अधिक समावेशी बनाया है और काश्तकार या बटाईदार, पशुपालकों और मछलीपालन करने वालों को भी संस्थागत ऋण देने का प्रावधान किया है। जमीन के मालिकाना हक की हिफाजत के लिए कानूनी व्यवस्था के साथ-साथ काश्तकारों को उनके कार्य में सहायता देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने कृषि भूमि को पट्टे पर देने के लिए 2016 में एक आदर्श कानून का प्रारूप तैयार किया। राज्य इसके आधार पर जमीन को पट्टे पर देने का कानून बना सकते हैं। इससे कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी के साथ ही खेती में निवेश में भी बढ़ोतरी की संभावना है।

आमदनी बढ़ाने की गतिविधियों में विविधता के प्रयास

शहरी इलाकों में ऊंची आमदनी का आकर्षण और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसरों की कमी की वजह से लोग गांव छोड़ कर शहरों को पलायन कर रहे हैं। इससे कृषि में वाणिज्यिक

तौर-तरीकों को बढ़ावा मिला है। ठेके पर खेती, शुल्कों व कर प्रणाली, निर्यात संवर्धन और ऋण उपलब्ध कराने जैसी गतिविधियों में सुधार से खेती में व्यावसायीकरण को अनुकूलतम बनाने को बढ़ावा मिला है और मूल्य शृंखला को राष्ट्रीय आय और रोजगार के अनुरूप बनाने में मदद मिली है। उच्च लागत वाली वस्तुओं को अपनाने के रुझान से किसानों की आमदनी में काफी वृद्धि हो सकती है, जैसाकि वर्ष 2013-14 के उत्पादन के आंकड़ों से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है (सीएसओ 2013-14)। फल और सब्जियों की फसल से प्रति हेक्टेयर औसतन 3.30 लाख रुपये का उत्पादन होता है जबकि इतनी ही जमीन पर अनाज उगाने से 0.38 लाख रुपये, दलहन उगाने से 0.29 लाख रुपये और तिलहन उगाने से 0.49 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर प्राप्त होते हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अनाज जैसी फसलें उगाने की बजाय फल और सब्जियां उगाकर किसान अपनी उपज की लागत बढ़ा सकते हैं। आंध्र प्रदेश और गुजरात में ग्रामीण गरीबी में तेजी से गिरावट का कारण यही है कि वहां पिछले 15 वर्षों में खेती में विविधता आई है। छोटे किसान भी उच्च लागत वाले उत्पादों को अपनाकर कम जमीन पर अधिक पारिवारिक श्रमशक्ति का उपयोग करते हुए अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। औषधीय और सुगंधित पौधों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिससे पारिवारिक आय बढ़ाने में मदद मिली है। देश में जड़ी-बूटियों की 8,000 किस्में पाई जाती हैं और सुगंध वाली सामग्री बेचने वाले बाजार के आंकड़ों से इनके उत्पादन में लगातार वृद्धि होने का संकेत मिलता है। भारत में इत्र और सुगंधि का कारोबार करीब 3.17 अरब डालर

तालिका-2 : 2016-17 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की उपलब्धियां

2016-17 के दौरान कवरेज का ब्यौरा	खरीफ फसल 2016	रबी फसल 2016-17 (अनंतिम)	कुल
कर्जदारों के आवेदन (लाख में)	299.05	139.92	438.97
गैर-कर्जदारों के आवेदन (लाख में)	102.48	32.8	135.28
किसानों के कुल आवेदन (लाख में)	401.53	172.78	574.25
बीमित क्षेत्र (लाख हे।)	385.34	195.82	581.16
बीमित राशि (करोड़ रुपये में)	134582	66837	201420
भुगतानशुदा दावे (करोड़ रुपये में)	6233.69	1493.38	7727.07
लाभान्वित किसान (लाख में)	84.9	5.89	90.79

का बताया गया है। औषधीय और सुगंध वाले पेड़-पौधों की खेती को संगठित रूप से बढ़ावा देने और इनसे संबद्ध सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लाभ के लिए 200 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। किसानों को सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करके और उनके द्वारा उत्पादित अतिरिक्त बिजली को विद्युत ग्रिड या वितरण कंपनियों को बेचकर किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ-साथ कृषि संबंधी गतिविधियों में चिरस्थायित्व का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। मवेशियों के गोबर और कृषि के ठोस अपशिष्ट का उपयोग करके कम्पोस्ट, बायोगैस और बायो-सीएनजी जैसे कार्बनिक बायो-एग्रो संसाधन बनाने की 'गोवर्धन' योजना की भी घोषणा की गई है।

ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कृषि पर आधारित स्वरूप अब बदलने लगा है और कई तरह की गतिविधियां इसमें शामिल हो रही हैं। लेकिन बुनियादी ढांचे की कमी इसमें बड़ी बाधा है जैसाकि ग्रामीण सड़कों की सघनता, सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता, बिजली आपूर्ति, विपणन सुविधाएं व नेटवर्क, गोदाम, शीत भंडार, शीतगृह श्रृंखला और प्रसंस्करण अवसंरचना से बात स्पष्ट हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार फलों की पैक हाउस सुविधाओं में 99 प्रतिशत, रीफर वैन में 85 प्रतिशत, कोल्ड स्टोर्स में 10 प्रतिशत और फलों को पकाने की सुविधा में 91 प्रतिशत की कमी आई है। विपणन के लिए बुनियादी स्थान मंडियों के बिक्री स्थल हैं। औसतन ये करीब 463 वर्ग किलोमीटर की दूरी (12 किलोमीटर के दायरे में) पर पाए जाते हैं इनका वांछित स्तर हर 80 वर्ग किलोमीटर (करीब 5 किमी. के दायरे में) होना चाहिए। विभिन्न राज्यों के बीच भी व्यापक असमानताएं पाई गई हैं। पंजाब में हर 6 किमी. के दायरे में एक थोक मंडी है तो असम में 45 किमी. में यह सुविधा मिलती है। बिजली की खपत के लिहाज से खेती में यंत्रों का उपयोग भी काफी कम है। इसका स्तर 1.84 कि.वा. प्रति हेक्टेयर है जबकि विशेषज्ञों के अनुसार इसे 2.2 कि.वा./हेक्टेयर होना चाहिए। इसी सिलसिले में केंद्र द्वारा प्रायोजित कई योजनाएं और केंद्रीय क्षेत्र की योजना चल रही हैं जिनमें किसानों और उद्यमियों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्य-श्रृंखला में नई जान फूंकने के प्रयास

सुगम और विकेंद्रित बाजार-ढांचे के निर्माण के लिए किसान और थोक मंडियों के बीच मजबूत संपर्क की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जाती रही है। सरकार ने गांवों के 22,000 हाट बाजारों को उन्नत कर उन्हें ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएमएस-ग्राम्स) में बदलने का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किया है जो किसानों के इकट्ठा होने, उनकी उपज के समेकन और स्थानीय खुदरा बाजार की तरह कार्य करेगा। इसके लिए प्रारंभ में 2000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। ग्राम्स

(GRAMS) एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की परिकल्पना को साकार करने के लिए व्यस्थित संपर्क कायम करेगा जिसके तहत फसल समेटने के बाद की बुनियादी गतिविधियों को ग्राम-स्तर पर किसानों द्वारा निपटाया जा सकेगा। इन 'ग्राम्स' के निर्माण के लिए कृषि योजनाओं और मनरेगा के साथ इसका तालमेल कायम करने की बात भी सोची जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण में ग्रामीण बस्तियों को साल भर खुली रहने वाली सड़कों के जरिए 'ग्राम्स' से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

ग्रामीण परिवारों को लाभप्रद मूल्य

मूल्य नीति का उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के जरिए उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना है। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति का कार्यान्वयन कुछ ही उत्पादों (चावल, गेहूं, कपास और गन्ने) में मूल्य निर्धारण तक सीमित रहा है और भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से भी यह पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तक सीमित है। इसे समावेशी बनाकर सभी राज्यों और उत्पादों को इसके दायरे में लाने की आवश्यकता है। देखा गया है कि सभी राज्यों के किसान सभी प्रमुख कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी गारंटी की मांग कर रहे हैं। सरकार ने उत्पादन लागत के 150 प्रतिशत के समतुल्य या इससे अधिक का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का क्रांतिकारी निर्णय लिया है। इस तरह घोषित समर्थन मूल्य से ग्रामीण आय का समूचा परिदृश्य ही बदल जाएगा। पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य के क्रियान्वयन को समावेशी बनाया जा रहा है। सभी राज्यों में 25 अधिसूचित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की प्रणाली के बारे में विचार किया गया है। इस संबंध में नीति आयोग ने तीन प्रणालियों का सुझाव दिया है जिनमें बाजार आश्वासन, मूल्य में कमी के लिए भुगतान और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निजी आढ़तियों द्वारा खरीद की प्रणाली शामिल है। इन तीनों का समन्वय करके बनाई गई एक विस्तृत प्रणाली जल्द ही शुरू किए जाने की संभावना है जिसके तहत इन फसलों के विपणन योग्य कम से कम 40 प्रतिशत अतिशेष की खरीद की जा सकेगी।

कृषि बाजारों और विपणन के आधुनिकीकरण के लिए नया आदर्श कृषि और कृषि उत्पाद तथा पशुधन विपणन अधिनियम (एपीएलएमसी), 2017 का सुझाव दिया गया। इस आदर्श कानून में मंडी से बाहर के सौदों और जल्दी नष्ट हो जाने वाले बागानी उत्पादों को बाजार शुल्क से छूट देने के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक विपणन आदि के बारे में भी स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने मई 2018 में अनुबंधित खेती के बारे में भी आदर्श अधिनियम जारी किया है ताकि राज्यों को उत्पादकों और खरीदारों (प्रायोजकों) के हितों के संरक्षण के लिए कानून बनाने में मदद मिले। आदर्श अधिनियम किसानों को अपनी उपज के दामों के बारे में स्वयं फैसला करने और दामों की गारंटी हासिल करने के लिए प्रायोजकों



के साथ मोल-भाव करने का अवसर प्रदान करता है।² राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) की शुरुआत 14 अप्रैल, 2016 को 200 करोड़ रुपये के आबंटन से हुई। इसमें ऑनलाइन ई-मंडियों को आपस में जोड़ दिया गया है। इसका लक्ष्य चिर-प्रतीक्षित कृषि विपणन सुधारों की शुरुआत करना है ताकि किसानों को उनकी उपज के बेहतर दाम दिलाए जा सकें। इसमें कृषि उपज विपणन समितियों से संबंधित तमाम सूचनाएं और सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करा दी गई हैं। किसान अपने निकट की किसी मंडी से अपने उत्पादों को ऑनलाइन दिखा सकते हैं और व्यापारी किसी भी स्थान से बोली लगा सकते हैं। मार्च 2018 तक देशभर में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की 585 विनियमित थोक मंडियां साझा ई-मार्केट प्लेटफार्म से जुड़ चुकी थीं।

छोटे और सीमांत किसानों को मूल्य शृंखला में शामिल करना

देश में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 3500 से अधिक किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाए जा चुके हैं। ये ग्रामीण भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए सही मायने में क्रांतिकारी बदलाव के संवाहक हैं। नाबार्ड ने अपने उत्पादक संगठन विकास निधि (पीओडीएफ) के अंतर्गत पिछले 4-5 साल में 200 से अधिक उत्पादक संगठनों को ऋण के साथ-साथ अन्य सहायता भी उपलब्ध कराई है। पीओडीएफ/कार्यक्रम से प्राप्त अनुभव के आधार पर सरकार ने 2000 नए एफपीओ के निर्माण और विकास के लिए 2014-15 में नाबार्ड में 200 करोड़ रुपये का समर्पित कोष बनाया। बाद में नाबार्ड ने 29 राज्यों में 2174 नए एफपीओ का विकास किया। एग्रीबिजनेस यानी कृषि-व्यापार के क्षेत्र में भविष्य की निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की संयुक्त पहल में क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित कर कृषि का विस्तृत विकास किया जा सकता है। इसके अलावा किसान उत्पादक कंपनियों को समन्वित करके सरकार ने 100 करोड़ से

कम कारोबार वाली फार्मर-प्रोड्यूसर कंपनियों (एफपीसीज) को अगले पांच साल में करों में शत-प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। एफपीओज देश में पूरे साल टमाटर-प्याज-आलू (टीओपी) की आपूर्ति के प्रबंधन के लिए हाल में शुरू किए गए ऑपरेशन ग्रीन कार्यक्रम की आधारशिला हैं। ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ रुपये रखे गए हैं जिसके माध्यम से कृषि-लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं और टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की प्रसंस्करण सुविधाओं तथा उनके व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा।

निष्कर्ष

व्यवसाय के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में कृषि का विकास हो रहा है हालांकि यह और बात है कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले खेती के विकास की दर धीमी है। हाल में खाद्य सुरक्षा और आमदनी सुरक्षा की प्राथमिकताओं को भी इसमें शामिल करने के लिए की गई पहलों ने कृषि को और भी समावेशी बना दिया है। ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ाने के लिए माहौल तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल और कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। इनका असर तभी चिरस्थायी बना रहेगा जब इन्हें विकास योजनाओं की मुख्यधारा में शामिल किया जाए। ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं को आधान-लागत में किफायत करने वाली कृषि टेक्नोलॉजी के साथ समेकित किए जाने से कम प्राकृतिक संसाधनों से अधिक पैदावार ली जा सकेगी जिससे गांवों में खुशहाली आएगी और कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा।

फुटनोट

1. खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट 2011-12
2. महाराष्ट्र ने दलहनों और कुछ अन्य फसलों की अनुबंध आधार पर खेती की शुरुआत की है।

(लेखक नीति आयोग, नई दिल्ली में कृषि सलाहकार हैं।)

ई-मेल : mishrajaip@gmail.com

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

—डॉ. एच. एस. शैलेन्द्र

कार्यक्रमों के चिर-स्थायित्व के लिए समुदाय-आधारित संगठन बनाना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऐसे संगठन बनाने में सामाजिक जुड़ाव और संस्था निर्माण की अभिनव रणनीतियों का उपयोग किया जा रहा है। इन प्रयासों का परिणाम गरीब लोगों की ऐसी संस्थाओं के व्यापक प्रसार के रूप में सामने आया है जिनमें उनकी सामाजिक-आर्थिक उन्नति में योगदान करने की क्षमता है।

नई पीढ़ी के लोकनीति कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) ने गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीति की आधारशिला के रूप में समुदाय-आधारित संगठनों को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। इस विश्वास के साथ कि गरीबों में गरीबी से उबरने की जबर्दस्त और स्वाभाविक क्षमता होती है, एनआरएलएम ने गरीबों और उनकी संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपने की परिकल्पना की है। गरीबों की संस्थाओं में मूलतः स्वयंसहायता समूह और उनके परिसंघ शामिल होते हैं जिनसे ये उम्मीद की जाती है कि ये सामूहिक कार्रवाई के मंच के रूप में उभर कर सामने आएंगे। विभिन्न प्रकार की अन्य सहायता एजेंसियों के साथ संपर्क बढ़ाने से भी ये संस्थाएं गरीबों को उनके अनेक अभावों से निपटने के लिए कई तरह की सेवाएं उपलब्ध कराएंगी। एनआरएलएम ने देश के तमाम गांवों में नौ करोड़ गरीब परिवारों को एकजुट करने का लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया है।

स्वयंसहायता समूह आधारित सामुदायिक संगठनों की पिछली कुछ कमजोरियों को दूर करने और उन्हें टिकाऊ आधार पर बढ़ावा देने के लिए एनआरएलएम ने बहुमुखी रणनीति अपनाई है जिसमें शामिल हैं: 1) गरीबों को एकजुट करने और उनकी क्षमताओं के विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर समर्पित सहायता संरचना का निर्माण करना; 2) प्रत्येक गरीब परिवार को स्वयंसहायता समूह के दायरे में लाने के लिए चरणबद्ध तरीके से गरीबी दूर करना; 3) समुदाय-आधारित संगठनों के बीच संपर्क कायम करके उन्हें आजीविका उत्पन्न करने की सेवाएं उपलब्ध कराने वाली व्यावहारिक इकाइयां बनाना; 4) निर्णय लेने की सभी प्रक्रियाओं में सदस्यों की भागीदारी को बढ़ावा देना।

इस लेख में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समुदाय-आधारित संगठनों के ढांचे और भूमिका की जांच करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए चुने हुए आठ राज्यों में विभिन्न विषयों पर एनआरएलएम द्वारा कराए गए व्यापक अध्ययन (आईआरएमए-2017) के निष्कर्षों को आधार बनाया गया है। व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए अध्ययन में समुदाय-आधारित संगठनों की परिभाषा ऐसी 'सामूहिक संस्थाओं के रूप में की गई है जिनका अपना औपचारिक या अनौपचारिक ढांचा हो, जो अपने सदस्यों की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती हों और ये सदस्य इन सामूहिक संस्थाओं पर पूर्ण या पर्याप्त नियंत्रण और स्वामित्व रखते हों।' समुदाय-आधारित संगठन सदस्यों के प्रभावी स्वामित्व वाले संगठनों के रूप में उभर कर सामने आए, इसके लिए जरूरी है कि उन्हें इस योग्य बनाने वाली तरह-तरह की प्रभावी स्थितियां हों। समुदाय-आधारित संगठनों के सुचारू रूप से कार्य



तालिका 1 : एनआरएलएम की पहुंच

ब्यौरा	2017
शामिल किए गए जिले	530
कुल जिलों का प्रतिशत	81.62
शामिल किए गए ब्लॉक	3519
कुल ब्लॉकों का प्रतिशत	53.26
संगठित किए गए परिवार	3,86,18,623
गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का अनुमानित प्रतिशत	83.87
समुदाय-आधारित संगठनों का गठन	
1) स्वयंसहायता समूह (एसएचजी)	32,52,372
2) ग्राम संगठन (वीओ)	1,81,105
3) क्लस्टर-स्तरीय परिसंघ (सीएलएफ)	15,665

करने के लिए उनके अभिशासन का मजबूत होना आवश्यक है जिसे कारगर क्षमता निर्माण, स्वायत्त नेतृत्व और पेशेवर मदद के उपायों के जरिए और सुदृढ़ किया जाना जरूरी है। स्वयंसहायता समूहों समेत समुदाय-आधारित संगठनों को वांछित नियंत्रण और स्वायत्तता का उपयोग करने के लिए समुचित वैधानिक स्वरूप हासिल करना जरूरी है। समुदाय-आधारित संगठनों को इतना सक्षम बनाया जाना चाहिए जिससे वे विभिन्न संस्थाओं के साथ कारगर संपर्क कायम करने के साथ-साथ अपने संसाधनों में वृद्धि कर सकें और वांछित पैमाना और प्रभाव हासिल कर सकें। और आखिरी बात यह कि जो समुदाय-आधारित संगठन परिसंघीय ढांचे के रूप में विकसित हो जाएं, उन्हें कुछ अन्य शर्तों को भी पूरा करना चाहिए। हालांकि एनआरएलएम ने बुनियादी तर्क के रूप में आनुशांगिकता के सिद्धांत की पहचान की है जिसके आधार पर हर स्तर पर परिसंघ निर्देशित होने चाहिए और उनकी सुपरिभाषित भूमिका होनी चाहिए। लोकतांत्रिक संघवाद एक अन्य प्रमुख सिद्धांत है जो इकाइयों का सामूहिक संगठनों के साथ मजबूती के साथ जुड़ाव की वकालत करता है।

समुदाय-आधारित संगठनों की प्रगति

एनआरएलएम मुख्यतः राज्यों को धनराशि और दिशानिर्देश देने वाले ढांचे के रूप में कार्य कर रहा है। राज्यों के ग्रामीण आजीविका मिशनों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अपनी कार्यनीति तय करें। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों ने सामाजिक जुड़ाव, समावेशन, संस्था निर्माण, प्रशिक्षण, संपर्क और आजीविका संवर्धन को समकेंद्रित करने जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कई घटकों को लेकर आमतौर पर एक जैसी नीतियां अपनाई हैं। सभी राज्यों ने राज्य, जिला और ब्लॉक-स्तर पर समर्पित सहायता संरचना तैयार की है और पेशेवरों तथा सामुदायिक रिसोर्स पर्संस को शामिल करने के मामले में भी यही तरीका अपनाया जा रहा है। खास क्षेत्रों में संसाधनों की


सघनता सुनिश्चित करने के लिए सघन ब्लॉक रणनीति के उपयोग के साथ-साथ संतृप्ति की स्थिति का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जा रहा है।

एनआरएलएम सभी राज्यों में काम कर रहा है और मार्च 2017 तक देश के 530 जिलों और 3519 ब्लॉकों तक पहुंच चुका था। इसका भौगोलिक विस्तार देश के 82 प्रतिशत जिलों और 53 प्रतिशत ब्लॉकों में हो चुका है। करीब 3.86 करोड़ परिवार इसके दायरे में आ चुके हैं जो देश में कुल ग्रामीण परिवारों का 21.6 प्रतिशत है। गरीबी-रेखा से नीचे के परिवारों के अनुपात के रूप में विचार करने पर पता चलता है कि एनआरएलएम अनुमानतः 76.3 प्रतिशत गरीब परिवारों तक पहुंच चुका है। ज्यादातर राज्य संतृप्ति की स्थिति में इस वजह से नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि उनके कई गांव एनआरएलएम के दायरे से बाहर हैं।

एनआरएलएम में महिलाओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के साथ ही बेहद गरीब और दुर्बल परिवारों पर जोर दिया जाता है। कुल मिलाकर एनआरएलएम में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के 50 प्रतिशत, अल्पसंख्यक समुदायों के 15 प्रतिशत और विकलांग वर्गों के 3 प्रतिशत लोगों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अन्य दुर्बल समूहों जैसे पीओपी, बुजुर्ग और पीवीटीजी पर भी ध्यान दिया जाता है। चूंकि सामाजिक समावेशन एक चुनौतीभरा कार्य है, एनआरएलएम ने गरीबों की प्रतिभागिता आधारित पहचान करने के तरीके को अपनाया है। हालांकि लक्षित समूहों में से काफी बड़े हिस्से की पहचान की जा चुकी है, समुदाय-आधारित संगठनों को अभी पूर्ण समावेशन के लिए काफी कार्य करना है। (तालिका-2)

समुदाय-आधारित संगठनों की संरचना

एनआरएलएम के अंतर्गत समुदाय-आधारित संगठनों के लिए बहुस्तरीय ढांचे की परिकल्पना की गई है। इस तरह जो संरचना आमतौर उभर कर सामने आई है, वह तीन स्तर वाली है (चित्र-1)



चित्र-1 स्वयंसहायता समूह परिसंघ की संरचना

तालिका-2 : एनआरएलएम की सामाजिक संरचना (2017)

श्रेणी	परिवारों का प्रतिशत	स्वयंसहायता समूहों का प्रतिशत
अनुसूचित जातियां	22.10	18.95
अनुसूचित जनजातियां	13.33	12.03
अल्पसंख्यक	8.35	6.14
विकलांग जन	1.21	1.33
अन्य	55.01	61.15
बुजुर्ग	-	0.40
कुल	100.0	100.0

और इसमें स्वयंसहायता समूह (स्वयंसहायता समूह), ग्रामीण संगठन (ग्रामीण संगठन) और क्लस्टर स्तर के परिसंघ (सीएलएफ) शामिल हैं। कुछ राज्यों में स्थानीय परिस्थितियों की वजह से संरचना में कुछ अंतर भी हो सकता है। हर प्रकार के समुदाय-आधारित संगठन की संरचना और भूमिका को देखना उपयोगी होगा।

स्वयंसहायता समूह (एसएचजी) : स्वयंसहायता समूह ज़मीनी स्तर के सबसे अधिक पाए जाने वाले समुदाय-आधारित संगठन हैं। ये अनौपचारिक समूह हैं जिनकी अधिकतम सदस्य संख्या 20 तक होती है और जो एक ही सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग होते हैं। एक बार गठन हो जाने के बाद स्वयंसहायता समूहों से अपेक्षा की जाती है कि वे पंचसूत्र के निम्नलिखित नियमों का पालन करेंगे और अपने उप-नियम बनाने के साथ-साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित करेंगे, बचत करेंगे, एक-दूसरे को ऋण देंगे, ऋणों की अदायगी करेंगे और हिसाब-किताब रखेंगे। एसएचजी अपने संगठन के पदाधिकारियों का चुनाव भी करेंगे और अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के साथ ही हिसाब-किताब की जांच के लिए पदाधिकारी की नियुक्ति भी करेंगे। स्वयंसहायता समूह के सभी पदाधिकारियों को संगठन के प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

स्वयंसहायता समूहों का एक कार्य बचतों को जमा कराने के लिए बैंक खाता खोलना भी है और वे रिवाल्विंग फंड तथा सामुदायिक निवेश निधि से धन प्राप्त करने के लिए अपनी ग्रेडिंग यानी श्रेणी निर्धारण भी कराएंगे। इसके बाद सूक्ष्म ऋण योजना बनाई जाएगी जिसके आधार पर बैंक ऋण प्राप्त होंगे। स्वयंसहायता समूहों के गठन के 4-6 महीने बाद गांव के सभी स्वयंसहायता समूह बैठक करेंगे और प्राथमिक-स्तर के परिसंघ का निर्माण करेंगे ताकि बड़े पैमाने पर सामूहिक कार्रवाई की जा सके। क्षेत्रीय आकलन के अनुसार स्वयंसहायता समूह विस्तृत स्तर पर फैले सक्रिय संगठन हैं (तालिका-3)। इनमें शामिल विभिन्न प्रतिभागियों से बातचीत करने से पता चलता है कि एनआरएलएम के स्वयंसहायता समूहों में हालांकि समस्याओं की कमी नहीं है, मगर उन्हें तुलनात्मक रूप से अन्य स्वयंसहायता समूहों के मुकाबले

गुणवत्ता में बेहतर माना जाता है। इसका कारण है इनको बनाने में किया गया सघन प्रयास।

ग्राम संगठन (VOs) : ग्राम संगठन समुदाय-आधारित संगठनों का दूसरा पायदान है। इनकी परिकल्पना स्वयंसहायता समूहों के प्राथमिक परिसंघ के रूप में की गई है जो उन्हें स्थानीय रूप से प्रासंगिक सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। लेकिन स्वयंसहायता समूहों के अनौपचारिक स्वरूप को देखते हुए इनमें ऐसी कुछ कानूनी बाधाएं हैं जिनकी वजह से पूर्ण सदस्य बनने में कुछ पाबंदियां हैं। ज्यादातर राज्यों में ग्राम संगठन अनौपचारिक रूप से कार्य करते हैं। उन्हें आपस में संसक्त बनाने के लिए इनकी सदस्य संख्या सीमित की जा रही है जिसके अनुसार इनके अंतर्गत औसतन 11 स्वयंसहायता समूह होंगे। ग्राम संगठनों की आमसभा में स्वयंसहायता समूहों के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे जो अपने पदाधिकारियों यानी अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। ग्राम संगठनों द्वारा उपसमितियों का भी गठन किया जाता है जो बैंक से संपर्क और कर्ज वसूली के कार्य का प्रबंधन करते हैं।

ग्राम संगठनों के अपने कोई कर्मचारी नहीं होते और सामुदायिक कार्यकर्ता ही बहीखातों के रखरखाव और लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराते हैं। ग्राम संगठनों की आमदनी शुल्क, शेयर पूंजी, सीड मनी, बचत और सामुदायिक निवेश कोष से होती है। जहां तक भूमिका का सवाल है, ग्राम संगठनों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयंसहायता समूहों की रिवाल्विंग

तालिका-3 : स्वयंसहायता समूहों का कार्य संचालन

स्वयंसहायता समूहों का विवरण	कुल
स्वयंसहायता समूहों का औसत आकार	11.02
सदस्यता छोड़ने वालों का प्रतिशत	37.00
नियमित बैठकों का प्रतिशत	86.68
नियमित बचत का प्रतिशत	91.58
आंतरिक कर्ज का प्रतिशत	96.47
आंतरिक ऋणों की नियमित अदायगी करने वालों का प्रतिशत	88.04
ग्रामीण परिसंघों के रूप में गठित संगठनों का प्रतिशत	83.97
स्वयंसहायता समूह के प्रबंध में प्रशिक्षण प्राप्त लोगों का प्रतिशत	82.61
आजीविका का प्रशिक्षण प्राप्त लोगों का प्रतिशत	45.11
उत्पादक समूह की सदस्यता वालों का प्रतिशत	20.65
मासिक बचत राशियां (रुपये में)	74
स्वयंसहायता समूहों में चालू बचत (रुपये में)	2615
स्वयंसहायता समूह के आंतरिक कर्ज लेने वाले सदस्यों का प्रतिशत	81.82

फंड/सामुदायिक निवेश कोष तक पहुंच बनाने, प्रशिक्षण, साख और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करेंगे। क्षेत्रीय आकलन से पता चलता है कि सभी राज्यों में अभी ग्राम संगठनों का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है और कुछ राज्यों में तो इनके गठन में देरी भी हो रही है। कुछ राज्यों में स्वयंसहायता समूहों का यह मानना है कि ग्राम संगठनों को अभी उनकी जरूरत का अहसास नहीं हुआ है।

क्लस्टर-स्तर के परिसंघ (सीएलएफ) : समुदाय-आधारित संगठनों के ढांचे के अंतर्गत क्लस्टर-स्तर के परिसंघ तृतीय-स्तर की संस्थाएं हैं। आमतौर पर सीएलएफ का गठन कई गांवों के एक क्लस्टर में सभी ग्राम संगठनों को एकीकृत करके किया जाता है। इनके प्राथमिक दायित्वों में ग्राम संगठनों की निगरानी और ग्रेडिंग करना, सामुदायिक निवेश कोष को चैनलाइज करना, ग्राम संगठनों/स्वयंसहायता समूहों की जनसेवाओं तक पहुंच बनाना, बैंक ऋणों को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करना, सामुदायिक कार्यकर्ताओं का विकास, हिसाब-किताब रखने वालों और लेखा परीक्षक तैयार करना, ग्राम संगठनों की लेखाबहियों की लेखापरीक्षा और कन्वर्जेंस में सहायता प्रदान करना है। क्लस्टर-स्तर के परिसंघों के आय के प्रमुख स्रोतों में शुल्क, ग्राम संगठनों/स्वयंसहायता समूहों की बचत, शेयर पूंजी, सीड मनी, सामुदायिक निवेश फंड, ब्याज मार्जिन और कन्वर्जेंस से प्राप्त राशियां शामिल हैं। मजबूत संस्थाओं के रूप में क्लस्टर-स्तर के परिसंघों के उभर कर आने में कई चुनौतियां हैं क्योंकि इनमें से ज्यादातर अनौपचारिक संगठनों के तौर पर कार्य करते हैं। जिन राज्यों में स्वयंसहायता समूह आंदोलन मजबूत हैं वहां क्लस्टर-स्तर के परिसंघ सक्रिय रूप से कार्य करते पाए गए हैं।

समुदाय-आधारित संगठनों के कार्य

समुदाय-आधारित संगठनों की गतिविधियों को मोटे तौर पर वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाओं की श्रेणी में रखा जा सकता है।

वित्तीय सेवाएं : वित्तीय सेवाएं ऐसी महत्वपूर्ण सेवाएं हैं जो समुदाय-आधारित संगठनों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। सदस्य इन संगठनों से बचत, साख और बीमा जैसी प्रमुख सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। साप्ताहिक या मासिक आधार पर नियमित बचत स्वयंसहायता समूहों का अभिन्न अंग बन गए हैं। बचत की किरतें सदस्यों की बचत क्षमता से निर्धारित होती हैं। सदस्यों में मितव्ययिता की आदत और स्वयंसहायता समूह/ग्राम संगठन के धन के स्रोत, दोनों को ही बढ़ावा देने के लिए बचत को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सभी स्वयंसहायता समूह अपनी बचतों के प्रबंधन के लिए बचत खाता खोलते हैं, मजबूत स्वयंसेवी समूह अपनी बचतों को सावधि जमा खातों में जमा कराना पसंद करते हैं। बचत के अलावा स्वयंसहायता समूहों को शुल्क, बीमा और ऋण की अदायगी के रूप में भी आमदनी होती है।

साख या कर्ज उपलब्ध कराना स्वयंसहायता समूहों की दूसरी प्रमुख गतिविधि है। सर्वेक्षण में 96 प्रतिशत से अधिक एस.एच.

जी. ने बताया कि वे आंतरिक ऋण देते हैं जो सदस्यों की छोटी-मोटी और आपात आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिए जाते हैं। आंतरिक ऋणों के बारे में ये समूह अपने ही मानदंड निर्धारित कर लेते हैं और अक्सर 2 प्रतिशत मासिक ब्याज लेते हैं। स्वयंसहायता समूहों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही दूसरी तरह की ऋण सेवाओं में सदस्य परिसंघों या बैंकों से बाहरी ऋण ले सकते हैं। सामुदायिक निवेश कोष की राशि क्लस्टर-स्तर के परिसंघों/गाम संगठनों के माध्यम से स्वयंसहायता समूहों को उपलब्ध करायी जाती है ताकि वे आजीविका संबंधी छोटी-मोटी जरूरतों और आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। बेहद गरीब सदस्यों को छोड़ कर अन्य सभी को सामुदायिक निवेश कोष की राशि आसान ब्याज वाले सुलभ ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जा रही है। लेकिन इन ऋणों को जारी करने में देरी और ऋण राशि में कटौती किए जाने जैसे मसले सामने आए हैं।

बैंक संपर्क : बड़े ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक के साथ संपर्क बनाना स्वयंसहायता समूहों और उनके परिसंघों की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। स्वयंसहायता समूहों से अपेक्षा की जाती है कि वे साख यानी ऋण के लिए अपने गठन के 4-7 महीनों में बैंकों के साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद आमदनी बढ़ाने वाली गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कई ऋण प्राप्त करने के प्रयास करेंगे। बैंकों को दिशानिर्देश दिए गए हैं कि स्वयंसहायता समूहों को आजीविका बढ़ाने वाली गतिविधियों के लिए उदारता से ऋण दें। स्वयंसहायता समूहों को उनकी जरूरतों के अनुसार आवधिक ऋण या कैश क्रेडिट लिमिट सुविधा उपलब्ध कराएं। बैंक स्वयंसहायता समूहों को साख सुविधा उपलब्ध कराते समय उनकी ग्रेडिंग, एमसीपी, बचतों, पंचसूत्र और ऋणों की अदायगी का ध्यान रखते हैं।

एनआरएलएम के करीब 63.4 प्रतिशत स्वयंसहायता समूहों को 2016 तक साख सुविधा उपलब्ध करा दी गई थी। (तालिका-4)। स्वयंसहायता समूहों ने औसतन 1.22 लाख रुपये तक के ऋण लिए और उनका बचत तथा ऋण का अनुपात 1:6.7 रहा। इस तरह व्यापक-स्तर पर स्थिति आकर्षक लगती हो, लेकिन अध्ययन से यह बात भी सामने आई कि विभिन्न राज्यों में स्थिति में व्यापक

तालिका-4 : स्वयंसहायता समूह-बैंक संपर्क

विवरण	2016
स्वयंसहायता समूह बचत से जुड़े	34.57
स्वयंसहायता समूह बचत (रुपये)	18065
स्वयंसहायता समूह और उनके बकाया ऋण (लाख)	21.91
बकाया ऋण वाले समूहों का प्रतिशत	63.38
प्रति समूह बकाया ऋण (रुपये)	121452
बचत : ऋण अनुपात	1:6.7
गैर-निष्पादनीय आस्तियों का प्रतिशत	6.23

तालिका-5 : ग्रामीण संगठनों द्वारा गैर-वित्तीय सेवाएं

सेवाएं	ग्रामीण संगठनों का प्रतिशत
स्वयंसहायता समूह गठन	82.84
स्वयंसहायता समूह प्रशिक्षण	73.88
आजीविका संवर्धन	45.90
लेखापरीक्षा	45.15
सामाजिक मुद्दे उठाना	69.03
कानूनी सलाह	24.25
समेकन के प्रयास	26.12
पीएफओ का गठन	9.70
आधान आपूर्ति	4.10
उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति	5.97
कुल स्वयंसेवी संगठन	268

अंतर पाए गए हैं। ऋण प्राप्त करने वाले स्वयंसहायता समूहों की कुल संख्या की दृष्टि से राज्यों में भिन्नताएं पाई गईं जो एक प्रतिशत से 23.7 प्रतिशत के स्तर की थीं। इसके अलावा प्रति स्वयंसहायता समूह ली गई ऋण राशि 50 हजार रुपये से 4.2 लाख रुपये के बीच रही। कई राज्य अब भी बैंकों के साथ बचत और साख संपर्क कायम करने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हालांकि क्लायंट रिलेशनशिप पार्टनर्स (उपभोक्ता संबंध साझेदार-सीआरपी) मनोनीत किए जा चुके हैं, लेकिन बैंक उनकी उपयोगिता का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। बैंक शाखाओं की कमी, कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या, अपने ग्राहक को जानिए यानी के.वाई.सी. संबंधी मसले, पुराने स्वयंसहायता समूहों के कटु अनुभव और बैंकों की गैर निष्पादन आस्तियों (एनपीए) ने बैंकों के साथ साख संपर्क कायम करने के रास्ते में अड़चनें पैदा की हैं। कई स्वयंसहायता समूह बैंकों से मिली ऋण राशि को सदस्यों के बीच बराबर बांट लेते हैं और सदस्यों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा जाता। सदस्य आमतौर पर ऋण राशि का उपयोग अपनी सामाजिक आवश्यकताओं और पुरानी गतिविधियों, जैसे खेतीबाड़ी, पशुपालन और व्यापार आदि को चलाने के लिए करते हैं। कुछ ही राज्यों में समुदाय-आधारित संगठन सामाजिक सुरक्षा और बीमा योजनाओं को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं जो उच्चतर परिसंघों द्वारा किया जा रहा है। ये परिसंघ नामांकन और दावे निपटाने में एजेंट का कार्य करते हैं।

अन्य सेवाएं : एनआरएलएम के समुदाय-आधारित संगठन अपने सदस्यों को अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने में भी लगे हैं। सर्वेक्षण से पता चला है कि ग्राम संगठन विभिन्न प्रकार की गैर-वित्तीय सेवाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं (तालिका-5) जो पांच श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं— स्वयंसहायता समूह/एफपीओ का

गठन, प्रशिक्षण और लेखा परीक्षा, सामाजिक मुद्दे और कानूनी परामर्श, आजीविका संवर्धन और समेकन। समेकन के अंग के रूप में ग्राम-स्तर पर एसएचजी/वीओ जरूरतमंद सदस्यों का पता लगाने और उन्हें विकास योजनाओं के लिए एकजुट करने का कार्य कर रहे हैं। कई वीओज स्वयंसहायता समूहों की आजीविका संबंधी गतिविधियों में मदद देते हैं जिनमें उत्पादक समूह गठित करने का कार्य भी शामिल है।

बहुत से ग्राम संगठन लिंगभेद, आम जनता की आवाज उठाने, सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, स्कूलों की निगरानी और कानूनी सलाह देने जैसे कार्य भी कर रहे हैं। यह महसूस किया गया है कि इस तरह की गतिविधियों से महिला सदस्यों को सामाजिक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका मिलता है।

समुदाय-आधारित संगठनों का स्थायित्व

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समुदाय-आधारित संगठनों की ऐसी चिरस्थायी संस्थाओं के रूप में उभरकर आने की परिकल्पना करता है जिनका प्रभाव स्थायी बना रहे। सीबीओज का स्थायित्व एक बहुआयामी लक्ष्य है जिसके तहत आत्मनिर्भरता, स्वायत्तता और भूमिका की स्पष्टता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। एनआरएलएम के समुदाय-आधारित संगठन नवोदित संस्थाएं हैं जिन्होंने स्थायित्व की चुनौतियों को महसूस करना प्रारंभ कर दिया है। विभिन्न स्तरों पर परिसंघों का गठन टॉप डाउन यानी ऊपर से नीचे की ओर असर करने वाले संगठन की अवधारणा पर आधारित है और उनकी आवश्यकताओं तथा व्यवहार्यता से संबंधित मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। समुदाय-आधारित कई संगठन अब भी अनौपचारिक बने हुए हैं और मिशन प्रबंधन इकाई के दिशानिर्देश में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में स्वायत्तता और चिरस्थायी क्षमता का सृजन करना बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि स्वयंसहायता समूहों ने एकजुटता और स्व-प्रबंधन की क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है जिससे वे अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम भी हुए हैं जैसाकि परिवार सर्वेक्षण से भी इसकी पुष्टि हो जाती है। (तालिका-6)।

जहां तक उच्चतर-स्तर के परिसंघों जैसे ग्राम संगठनों और क्लस्टर-स्तर के परिसंघों का सवाल है, अध्ययन से पता चला है कि चुनौतियां और भी बड़ी हैं। इनका कानूनी दर्जा अब भी स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि वे अभी अनौपचारिक ही बने हुए हैं, हालांकि कुछ राज्यों ने कानूनी शर्तों को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं। ग्राम संगठनों/क्लस्टर-स्तरीय परिसंघों के आकार और कामकाज के दायरे में व्यापक अंतर पाए गए हैं। विभिन्न राज्यों में ग्राम संगठनों का औसत आकार 9 से 59 सदस्यों और सीएलएफ का 5 से 99 सदस्यों का है। उन्हें व्यावहारिक संगठन के रूप में सफल बनाने के लिए न्यूनतम आकार का बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। उनकी भूमिकाओं में स्पष्टता भी तभी आएगी जब ग्राम संगठन/

सीएलएफ सहायता और समेकन का अपना मुख्य दायित्व पूरा करेंगे। जब तक संगठन की कम से कम एक इकाई आमदनी का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए कोई महत्वपूर्ण गतिविधि हाथ में नहीं लेती उनमें दीर्घावधि स्थायित्व लाना एक चुनौती बना रहेगा।

निष्कर्ष

कार्यक्रमों का चिरस्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए समुदाय-आधारित संगठनों का निर्माण एनआरएलएम की सबसे बड़ी उपलब्धि है। संस्थाओं के निर्माण और सामाजिक जुड़ाव की अभिनव नीतियों का उपयोग करके इस तरह के संगठनों का निर्माण करने का प्रयास किया गया है। इसका नतीजा गरीबों की ऐसी संस्थाओं को विस्तृत रूप से बढ़ावा दिए जाने के रूप में सामने आया है जिनमें उनकी सामाजिक-आर्थिक उन्नति में योगदान करने की क्षमता है। एनआरएलएम की कुछ उल्लेखनीय सफलताओं के बावजूद इसने वांछित परिणाम देने में कई अड़चनों का सामना किया है। ये अड़चनें संकल्पना और कार्यक्रम कार्यान्वयन दोनों ही स्तरों पर महसूस की गई हैं। एनआरएलएम में संकल्पना के स्तर पर लोकतांत्रिक संघवाद के सिद्धांत और अनुषांगिकों के सिद्धांत पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। कार्यक्रम के स्तर पर विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम के विस्तार और सघनता का दायरा अफसरशाही की अड़चनों और संसाधनों की कमी की वजह से एक समान नहीं रहा है। अपने लचीलेपन के बावजूद कार्यक्रम का समग्र जोर ऊपर के स्तर से नीचे की ओर वाले मॉडल पर आधारित रहा है, खासतौर पर समुदाय-आधारित संगठनों के



मामले में यह बात विशेष रूप से लागू होती है। समयबद्ध परिणाम प्राप्त करने के लिए समुदाय-आधारित संगठनों की गुणवत्ता और ताकत के साथ समझौता किया जाता है।

नवगठित समुदाय-आधारित संगठनों को मदद जारी रखने के साथ-साथ उनके संसाधनों में वृद्धि करने की आवश्यकता है। एनआरएलएम स्वयंसहायता समूह परिसंघों के मानक डिजाइन पर पुनर्विचार कर सकता है और अगर आवश्यकता हो तो निचले स्तर से ऊपर की ओर शुरुआत करने की रणनीति के अनुसार थोड़ा पुनर्गठन किया जा सकता है। उच्चतर स्तर की संरचनाएं जैसे क्लस्टर-स्तर के परिसंघ (सीएलएफ) को आवश्यक रूप से वांछित वैधानिक स्वरूप हासिल करने और लोगों की एसोसिएशन के रूप में अपनी मान्यता सुनिश्चित करनी होती है ताकि वह सामूहिक संगठन के रूप में अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। जहां समूह-आधारित संगठनों की भूमिका का सवाल है इसमें स्पष्टता लाने के लिए केंद्रित रूप में प्रयास करने की आवश्यकता है। जहां बैंकों को स्वयंसहायता समूहों के साथ अपने संपर्कों को और सुदृढ़ करना जरूरी है वहीं फेडरेशन समुदाय-आधारित नवोदित मध्यस्थ वित्तीय संस्थाओं में अपने लिए संभावनाओं की खुद तलाश कर सकती हैं।

संदर्भ

आईआरएमए (2017), इंडिपेंडेंट एसेसमेंट ऑफ डिजाइन, स्ट्रेटिजीज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ डीएवाई-एनआरएलएम, रिपोर्ट; भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल मैनेजमेंट, आणंद की रिपोर्ट।

(लेखक इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल मैनेजमेंट, आणंद (आईआरएमए), गुजरात के सेंटर फॉर रुरल-अर्बन डायनामिक्स में सेंटर फार सस्टेनेबल लिवलीहुड में प्रोफेसर हैं।)

ई-मेल : shylen27@gmail.com

तालिका-6 : स्वयंसहायता समूहों के सदस्यों की आवश्यकताएं

आवश्यकताएं	सदस्यों का प्रतिशत
ऋण संबंधी आवश्यकता रोजगार/नौकरी	49.20
ऋण सब्सिडी	50.21
रोजगार/नौकरी	32.34
उत्पादों का विपणन	13.98
अन्य सब्सिडी	20.01
उत्पादक परिसंपत्तियां	13.98
टेक्नोलॉजी	29.24
आमदनी कमाने के लिए प्रशिक्षण	40.45



Our Students have Topped Civil Services Exam 2017!



Anudeep Durishetty
AIR-1



Anu Kumari
AIR-2



Sachin Gupta
AIR-3

Every **2nd** selected candidate
of UPSC CSE '17 is from **ETEN IAS KSG**

*Results from CL and KSG; currently under audit

Program features



**Classes
Beamed Live
from Delhi**



**Recordings
of Sessions
for Revision**



**All-India
Test
Series**



**Comprehensive
Study
Material**

Batches available for GS Foundation 2019 (Pre + Mains + Interview)

Batch 1: English Medium | Weekday | 7:30 AM to 10:30 AM **Batch 2:** English Medium | Weekday | 5:00 PM to 8:00 PM

Batch 3: Hindi Medium | Weekday | 10:30 AM to 1:30 PM

Batch 4: English Medium | Weekend | 5:00 PM to 8:00 PM, 7:30 AM to 6:30 PM

To know more, please visit your nearest center

Agra: 9760008389 Allahabad: 9455375599 Aluva: 8281711688 Amritsar: 8054373683 Bangalore: 9964322070, 9035651622
Bilaspur: 9907969099 Chandigarh: 9041029878 Chennai: 9962981646 Dehradun: 6397350400 Dhanbad: 9102990085 Dibrugarh: 7086708270
Ghaziabad: 120-4380998 Gorakhpur: 9670936353 Hissar: 9355551212 Hyderabad: 8008006172, 9908414441 Jamshepur: 9102993829
Karnal: 9416195879 Kolkata: 9836990904 Ludhiana: 9988299001 Meerut: 8433180973 Moradabad: 9927035451 Mysore: 9945600866
Nagpur: 8806663499 Noida: 9919100333 Patna: 9430600818 Raipur: 8871034889 Ranchi: 651-2331645
Shimoga: 9743927548 Sonapat: 9555795807 Srinagar: 9797702660 Udaipur: 9828086768 Vijaywada: 9912740699

 www.etenias.com

 **Career
Launcher**

ग्रामीण भारत में समावेशी विकास जरूरी

—तनिमा दत्त, जसपाल सिंह और अनुपमा रावत

देश की 68.84 प्रतिशत यानी 83.3 करोड़ आबादी गांवों में ही निवास करती है। बेशक ग्रामीण आबादी की वृद्धि दर 2001 के 18.1 प्रतिशत से घट कर 2011 में 12.2 प्रतिशत रह गई है। लेकिन अब भी ग्रामीण आबादी ही बहुसंख्यक स्थिति में है। लिहाजा सरकारी नीति निर्माताओं के लिए संवहनीय योजनाएं बनाना जरूरी हो जाता है। सरकार और नागरिक समाज के बीच तालमेल होना चाहिए ताकि विकास समावेशी हो और इसके क्रम में संसाधनों का दोहन कम-से-कम किया जाए।

“धरती के पास हर आदमी की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। लेकिन उसके लोभ को पूरा करने के लिए हरगिज नहीं।”

— महात्मा गांधी

क्या ग्रामीण भारत में समावेशी विकास जरूरी है?

ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी जरूरतों को पूरा करने की, आने वाली पीढ़ियों की क्षमता को नुकसान पहुंचाए बिना, मौजूदा आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही संवहनीय विकास है। संयुक्त राष्ट्र ने भी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) के बजाय अब संवहनीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) को अपना लिया है। उसने एसडीजी के 17 लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2016 से 2030 तक की समय-सीमा तय की है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के नतीजे बताते हैं कि भारत की विकास दर तो अच्छी रही मगर प्राकृतिक संसाधनों की तंगी भी है। इसलिए इन संसाधनों का दोहन समझदारी से करने की जरूरत है। विकास के बजाय संवहनीय विकास का चलन कोई नया नहीं है। लगभग 40 साल पहले ही पता चल गया था कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की रफ्तार उनकी भरपाई की दर से काफी ज्यादा है। संवहनीय विकास का मसला भी तब से ही हमारे बीच है। इस उत्तर आधुनिक विकल्प की जड़ें अर्वाचीन औद्योगिक समाज की आलोचना में हैं। यह समावेशी निवेश से समावेशी विकास को जोड़ने की प्रक्रिया है। शुरुआती बरसों में संवहनीयता के बारे में जोर प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण तक सीमित था। इसे विकास योजनाओं और संसाधनों के इस्तेमाल के बारे में स्थानीय समुदायों को जागरूक बनाने से जोड़ा नहीं गया था। प्रौद्योगिकी के उपयोग और संसाधनों के दोहन पर सवाल उठाए जा रहे थे। इससे बड़े उद्योगपतियों को यह प्रचार करने का मौका मिल गया कि संवहनीय विकास दरअसल प्रगति के ही खिलाफ है। उन्हें समाज विज्ञानियों और पर्यावरणविदों के

बारे में यह दुष्प्रचार करने का अवसर मिल गया कि वे वंचित तबके को कंदराओं में ही रहता देखना चाहते हैं। इन तर्क-वितर्कों से ऐसा मकड़जाल पैदा हो गया जिससे निकलने और ठोस नीतियों के साथ सामने आने में बरसों गुजर गए। इस समूची बेमानी बहस में उस ग्रामीण क्षेत्र को बाहर ही छोड़ दिया गया जो ज्यादा संवेदनशील है।

वास्तव में भारत गांवों में ही रहता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 68.84 प्रतिशत यानी 83.3 करोड़ आबादी गांवों में ही निवास करती है। बेशक ग्रामीण आबादी की वृद्धि दर 2001 के 18.1 प्रतिशत से घट कर 2011 में 12.2 प्रतिशत रह गई है। लेकिन अब भी ग्रामीण आबादी ही बहुसंख्यक स्थिति में है। लिहाजा सरकारी नीति निर्माताओं के लिए संवहनीय योजनाएं बनाना जरूरी हो जाता है। सरकार और नागरिक समाज के बीच तालमेल होना चाहिए ताकि विकास समावेशी हो और इसके क्रम में संसाधनों का दोहन कम-से-कम किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) 1999 से ही पूर्वोत्तरी सामुदायिक





संसाधन प्रबंधन परियोजना को धन मुहैया करा रहा है। इन दोनों ने संवहनीयता के चार पैमाने तय किए हैं— परिणामों की संवहनीयता, प्रक्रिया की संवहनीयता, आजीविका की संवहनीयता और संसाधनों की संवहनीयता। इस परियोजना ने इन वर्षों में दिखा दिया कि स्थानीय समुदाय को शामिल कर संवहनीय विकास किस तरह मुमकिन है। नीतियों के निर्धारण में महिलाओं को प्रमुख किरदार देकर और उन्हें लागू करने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सकता है।

विकास की मौजूदा प्रणाली में सरकार, औद्योगिक समूहों और स्थानीय समुदाय जैसे विभिन्न संबंधित पक्षों के बीच काफी विभेद है। स्थानीय समुदाय को विश्वास में लिए बिना ऊपरी स्तर पर समझौते हो जाते हैं। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य सामाजिक और मानवीय विकास के विभिन्न सूचकांकों में चोटी पर नहीं रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य प्रगति के सूचकांकों के अलावा मानव विकास सूचकांक में भी शिखर पर हैं। प्राकृतिक संसाधन—बहुल राज्यों के पिछड़ेपन की वजह इन संसाधनों के दोहन की दर और राज्य में इनके इस्तेमाल के बीच असंतुलन है। बहुराष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं क्योंकि इनमें जमीन सस्ती और पानी प्रचुर मात्रा में है। इन कंपनियों की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिगत जल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। झारखंड के गोड्डा जिले में एक बड़ा औद्योगिक घराना एक बिजली संयंत्र

लगा रहा है। इस संयंत्र में स्थानीय खदानों से निकलने वाले कोयले के इस्तेमाल से जो बिजली पैदा होगी उसे बांग्लादेश को बेचा जाएगा। इस तरह की परियोजनाएं अपनी प्रकृति में दोहरा शोषण करने वाली होती हैं। समूचे अस्सी और नब्बे के दशक में विभिन्न राज्य सरकारों ने विकास के नाम पर कैप्टिव खदानों को बढ़ावा दिया। लेकिन इन खदानों ने अपने इलाकों के विकास में शायद ही कोई योगदान किया है। उच्चतम न्यायालय को 2014 में कैप्टिव खदानों के आवंटन को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। इसी तरह 2003 में केरल में पलक्कड़ जिले के प्लाचीमाडा गांव में महिलाओं ने कोका कोला कंपनी की बॉटलिंग इकाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस संयंत्र की वजह से उनके कुएं सूख रहे थे और जमीन प्रदूषित हो रही थी। गुजरात में वापी औद्योगिक एस्टेट से 15 किलोमीटर दूर कोलक गांव में 2000 में कैंसर की वजह से कई मौतें हुईं। पंजाब ने हरित—क्रांति के दौरान उत्पादन और उत्पादकता के लिहाज से बेहतरीन नतीजे हासिल किए। लेकिन इस क्रम में उर्वरकों और कीटनाशकों के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल के कारण उसे 30 साल बाद बंजर भूमि और कैंसर जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में जमीन—जायदाद के कारोबारियों ने पोखरों तक को पाट दिया। इससे समूची स्थानीय पारिस्थितिकी में असंतुलन पैदा होने के अलावा छोटे मछुआरों की आजीविका भी जाती रही। गांवों में संसाधनों को बरबाद किए जाने की ऐसी अनेक घटनाएं प्रकाश में आई हैं।

कानूनी समाधान

पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की स्थापना की गई। वनों तथा उनमें रहने वाले आदिवासियों और घुमंतू जातियों के हितों की रक्षा करना भी उसके कार्यक्षेत्र में आता है। एनजीटी के गठन के बाद से इस अधिकरण और पर्यावरण मंत्रालय ने संवहनीय विकास से जुड़े मसलों को विभिन्न स्तरों और मंचों पर उठाया है। अब किसी भी बड़ी परियोजना को शुरू करने से पहले पर्यावरण पर उसके समग्र प्रभाव का आकलन किया जाता है। पर्यावरण पर पड़ने वाला असर अब परियोजना के प्रस्ताव का हिस्सा होता है। जंगलों और अपनी आजीविका के लिए उन पर आश्रित रहने वाले मूल निवासियों के हितों की रक्षा के लिए 2006 में वन अधिकार कानून बनाया गया। इसे बनाते समय मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे विशाल वन आच्छादन वाले राज्यों के वनवासियों के हितों को खासतौर से ध्यान में रखा गया। इस बात का ध्यान रखा गया कि ये आदिवासी विस्थापित नहीं हों तथा इंसान और प्रकृति के बीच मानवीय रिश्ता भी बना रहे।

कैसे मुमकिन है संवहनीय विकास?

संवहनीय विकास के लिए यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि गैर—नवीकरणीय संसाधन एक दिन खत्म हो जाएंगे। प्रदूषण करने

वाले उद्योगों, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन और नीति निर्धारण की प्रक्रिया से स्थानीय समुदाय को अलग रखे जाने की सामाजिक कीमत पर भी गौर करना होगा। पश्चिमी देश यह सब भुगत चुकने के बाद अब संरक्षण और पुनर्जीवन की बात कर रहे हैं। भारत जैसे देशों को संवहनीय विकास योजनाओं को अपनाने को लेकर काफी समझदारी से काम लेना होगा। ग्रामीण विकास योजनाओं को बनाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि विश्व की कुल आबादी का 17 प्रतिशत हिस्सा भारत में रहता है। भारतीयों में 35 प्रतिशत गरीब और 40 प्रतिशत अनपढ़ हैं। कृषि भूमि का 68 प्रतिशत हिस्सा सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर है। इसके अलावा कुल जमीन का 69 प्रतिशत भाग खुशक भूमि है। बारिश पर निर्भरता घटाने और भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने के लिए वर्षा जलसंचय को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राज्य-स्तरीय केंद्रीकृत योजनाओं के बजाय योजनाएं स्थानीय स्तर पर विकसित की जानी चाहिए। चूंकि वन समितियों और ग्राम समितियों का लक्ष्य एक ही है इसलिए उनका विलय कर ग्राम पंचायतों के साथ उनका बेहतर तालमेल बनाया जाना चाहिए। कृषि के विविधीकरण और फसल खराब होने की स्थिति से निपटने के लिए आपात योजनाएं तैयार करने की जरूरत है। स्थानीय जलवायु और मांग के अनुकूल फसलों को बोया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में संतुलन बनाए रखने के लिए कुट्टू और कोदो जैसे मोटे अनाजों की खेती फिर से शुरू की गई है। औद्योगीकरण की सामाजिक कीमत सबसे ज्यादा महिलाएं ही चुकाती हैं इसलिए संवहनीय विकास योजनाओं में उन्हें प्रमुखता दी जानी चाहिए। अमर्त्य सेन, ज्यां द्रेज और महबूबुल हक ने सुझाव दिया है कि महिलाओं पर विकास के प्रभाव का आकलन करते समय जीवनचक्र के बजाय क्षमता का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। संसाधनों का प्रबंधन ग्राम समुदायों के साथ मिल कर करते हुए इन पर पहला अधिकार महिलाओं को दिए जाने की जरूरत है। रॉबर्ट पटनम का सामाजिक पूंजी का सिद्धांत संवहनीय विकास का आधार बन सकता है। ग्रामवासियों को अपनी रिहाइश और प्राकृतिक पर्यावास की अंतर-निर्भरता को समझना होगा। सरकार को उस पारस्परिकता और विश्वास के बारे में विचार करना होगा जो इसके जरिए निर्मित होता है।

निष्कर्ष

1992 में रियो डी जेनेरो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन एक तरह से विकास नीतियों के सिलसिले में बदलाव का अग्रदूत था। समूचे विश्व में नीति निर्धारण का एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण लागू किया गया। इसके तहत संवहनीय विकास के लिए पर्यावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण रिश्ता स्थापित करना महत्वपूर्ण हो गया। विकास के शब्दकोश में पर्यावरणीय हिसाब-किताब को भी शामिल कर लिया गया। हमारे देश में 10 जैव-भौगोलिक क्षेत्र हैं जिनकी अलग-अलग विशिष्टताओं को बरकरार रखे जाने

सरकारी पहल के सकारात्मक नतीजे

प्लास्टिक आधुनिक समय का अभिशाप है। लेकिन प्लास्टिक कचरे को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की मदद से सड़कों में तब्दील कर दिया गया है। मध्य प्रदेश इस प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में सबसे आगे है। सिहोर जिले का पीपलिया धाकड़ प्लास्टिक से बनी सड़क वाला मध्य प्रदेश का पहला गांव है। राज्य के अन्य जिलों में ऐसी 22 और सड़कें बनाई गई हैं।

महाराष्ट्र के सिंधू दुर्ग किले में एक स्थानीय गैर-सरकारी संगठन ने सरकार और यूएनडीपी के सहयोग से सैलानियों को अपना कूड़ा एकत्र करने के लिए जूट की थैलियां दीं। क्षेत्र के मछुआरे भी अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए समुद्र की सफाई कर रहे हैं।

यूएनडीपी ने नगालैंड सरकार के साथ मिलकर एक कार्यक्रम चलाया है जिससे 30 हजार हेक्टेयर जमीन की गुणवत्ता बरकरार रहने के अलावा 70 गांवों की लगभग 7000 महिलाओं को लाभ पहुंच रहा है। इन पर्वतीय क्षेत्रों में झूम खेती की वजह से ऊपरी मिट्टी की उर्वरता घट रही थी। मगर बांध निर्माण और जल-संरक्षण की बदौलत वे तीन साल तक उसी मिट्टी का इस्तेमाल कर पा रही हैं। इससे पृथ्वी का संरक्षण होने के साथ ही उनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ है।

महाराष्ट्र में मालवन के मछुआरों ने नई तरह की चौकोर बुनावट वाली जाल का इस्तेमाल शुरू किया है। इससे उनकी आमदनी बढ़ी है और बिक्री के अयोग्य छोटी मछलियां जाल में फंसने के बजाय पानी में ही रह जाती हैं। क्षेत्र में मछुआरों की 17 हजार नौकाएं हैं और चौकोर बुनावट वाले जाल का इस्तेमाल सबके लिए जरूरी कर दिया गया है।

छोटे गांवों और देश के अंदरूनी हिस्सों से सफलता की ऐसी अनगिनत कहानियां सामने आ रही हैं। इन पहलकदमियों की कामयाबी के लिए सरकार के हस्तक्षेप और नागरिक समाज के सहयोग की दरकार है।

की जरूरत है। पर्यावरण मंत्रालय लुप्तप्राय प्रजातियों को शामिल करते हुए जंतुओं और वनस्पतियों के आंकड़े प्रकाशित करता है। ज्यादातर ये आंकड़े सिर्फ संख्या बन कर रह जाते हैं जिनका इस्तेमाल सम्मेलनों और संगोष्ठियों में किया जाता है। इन आंकड़ों को उस समाज तक ले जाने की जरूरत है जिनसे वे आते हैं। ग्रामीणों को इन प्रजातियों के संरक्षण के बारे में जागरूक बनाए जाने की आवश्यकता है।

(लेखिका तनिमा दत्त लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, फगवाड़ा (पंजाब) में सहायक प्रोफेसर हैं; जसपाल सिंह, नीति आयोग, नई दिल्ली में सलाहकार और अनुपमा रावत, बीआर अंबेडकर समाज विज्ञान विश्वविद्यालय, महु (मध्य प्रदेश) में अर्थशास्त्र और कृषि विस्तार विभाग की प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं।)

वित्तीय समावेशन : गांवों की तरक्की का आधार

—शिशिर सिन्हा

वित्तीय समावेशन का मतलब महज बैंक खाता खोलने और कर्ज बांटने तक सीमित नहीं रहा। अब इसमें बीमा सुरक्षा से लेकर डिजिटल लेन-देन का इंतजाम और लोगों को वित्तीय साक्षर बनाने का काम भी शामिल हो चुका है और आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सच तो यही है कि समाज और बाजार की जरूरतों के हिसाब से बदलाव की जरूरत होती है और गांव बतौर एक समाज ही नहीं, बल्कि बड़े बाजार के तौर पर भी विकसित होने लगा है।

पैसे की जरूरत किसे नहीं होती। आप चाहें शहर में रहते हों या फिर गांव में, जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए तो पैसा चाहिए ही। अब आज की ही जरूरतें पूरी नहीं करनी हैं, बीते हुए कल के बकाए और आने वाले कल की बेहतरी के लिए पैसे से पैसा बनाने की जरूरत होती है। कैसे होगा ये सब मालूम है कि आप वित्तीय मामलों की जानकारी रखते हैं, लेकिन महज जानकारी रखना काफी नहीं। जानकारी को अमल में लाने के लिए मजबूत व किफायती वित्तीय व्यवस्था तो चाहिए ही, साथ ही वित्तीय साक्षरता भी। इन दोनों का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना ही तो वित्तीय समावेशन है।

वित्तीय समावेशन को लेकर रघुराम गोविंद राजन रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और जाने-माने अर्थशास्त्री की अगुवाई में वित्तीय क्षेत्र में सुधार पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, 'सभी के लिए मुनासिब कीमत पर विविध प्रकार की वित्तीय सेवाओं

की उपलब्धता वित्तीय समावेशन है। इन सेवाओं में महज बैंकिंग सुविधाएं ही नहीं, बल्कि दूसरी वित्तीय सेवाएं जैसे बीमा सुरक्षा और शेयरों में निवेश भी शामिल है। इसके साथ ही भुगतान, बचत और पेंशन से जुड़े उत्पाद भी वित्तीय समावेशन के दायरे में आते हैं। मत भूलिए कि वित्तीय समावेशन तभी सही मायने में पूरा होगा जब शहरों के साथ-साथ गांव और अर्ध-शहरी इलाके भी वित्तीय व्यवस्था में बराबरी का हक रखते हो।

बराबरी इसीलिए, क्योंकि गांव महज खेत-खलिहानों तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि शहरों की ही तरह पूरा का पूरा बाजार बन चुका है। देश के साढ़े छह लाख के करीब गांवों में 85 करोड़ आबादी के करीब 70 फीसदी लोग रहते हैं। बाजार के शब्दों में कहें तो इतनी बड़ी तादाद में उपभोक्ता मौजूद है। ये वो लोग हैं, बकौल मैकेंजी, जिनकी वास्तविक आमदनी में 2025 तक सालाना 3.6 फीसदी तक बढ़ोतरी का अनुमान है। बाजार रिसर्च एजेंसी



तालिका-1 : जन-धन योजना

(8 अगस्त, 2018 तक के आंकड़े)

राज्य	ग्रामीण-अर्ध-शहरी बैंक शाखाओं में खातेदार	कुल खातेदार
अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह	37,895	54,171
आंध्र प्रदेश	45,04,570	90,74,266
अरुणाचल प्रदेश	1,53,345	2,54,049
असम	1,00,02,305	1,31,19,296
बिहार	2,23,82,043	3,55,23,242
चंडीगढ़	39,258	2,50,323
छत्तीसगढ़	85,65,360	1,32,90,342
दादर नगर हवेली	84,451	1,00,510
दमन दीव	20,785	45,403
दिल्ली	4,86,736	41,25,552
गोवा	1,05,147	1,51,666
गुजरात	64,83,556	1,23,26,849
हरियाणा	34,23,163	66,10,291
हिमाचल प्रदेश	8,79,080	10,17,481
जम्मू-कश्मीर	17,00,136	20,07,206
झारखंड	83,09,583	1,15,37,232
कर्नाटक	66,94,040	1,18,20,126
केरल	16,04,979	35,80,730
लक्षद्वीप	4,512	5,302
मध्य प्रदेश	1,36,90,348	2,83,26,125
महाराष्ट्र	1,09,16,691	2,25,17,826
मणिपुर	3,75,200	8,21,117
मेघालय	3,66,270	4,37,019
मिजोरम	1,06,887	2,83,882
नगालैंड	1,02,894	2,21,129
ओडिशा	92,64,288	1,27,65,579
पुडुचेरी	61,903	1,49,395
पंजाब	34,57,164	61,61,058
राजस्थान	1,49,69,480	2,49,90,790
सिक्कम	68,489	91,530
तमिलनाडु	41,79,825	90,77,423
तेलंगाना	46,22,133	90,28,491
त्रिपुरा	6,04,207	8,42,767
उत्तर प्रदेश	2,97,30,321	4,94,59,177
उत्तराखंड	14,13,034	22,57,046
पश्चिम बंगाल	2,13,02,029	3,09,86,910
कुल	19,07,12,107	32,33,11,301

स्रोत : वित्त मंत्रालय

नेलसन कहती है कि साबुन, तेल जैसे रोजमर्रा के सामान यानी एफएमसीजी के मामले में गांवों का बाजार 2025 तक 100 अरब डॉलर 6.8-6.9 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। इन कंपनियों की 30 से 45 फीसदी आमदनी ग्रामीण इलाकों से आती है। एक और बात। इस बाजार की जरूरत केवल एफएमसीजी तक ही सीमित नहीं, बल्कि दुपहिया के साथ-साथ चार पहिया गाड़ियां भी चाहिए। कार कंपनियां कहती हैं कि उनकी कुल बिक्री में ग्रामीण इलाकों की हिस्सेदारी 30 फीसदी तक पहुंच चुकी है।

यहां ये भी जिक्र करना जरूरी होगा कि गांव में रोजगार अब महज किसानों पर ही नहीं, बल्कि कई तरह के ग्रामीण उद्योग और यहां तक कि ग्रामीण पर्यटन के जरिए भी उपलब्ध होने लगा है। ऐसे में लाजिमी है कि गांवों में वित्तीय समावेशन का दायरा बैंक खाता खुलवाने और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से आगे बढ़कर ग्रामीण उद्यमिता के लिए मदद तक फैल चुका है। मत भूलिए कि बिजली और सूचना प्रौद्योगिकी के गांव-गांव तक पहुंचने की वजह से वित्तीय सेवा के लिए पक्की इमारत बनाने की जरूरत भी नहीं है। अब तो बैटरीचालित छोटी-सी मशीन कहीं पर भी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में कारगर साबित हो रही है और उससे लागत में भी कमी आ जाती है। इन सारे तथ्यों पर आधारित वित्तीय समावेशन के लिए वर्तमान सरकार की मौजूदा योजनाओं की चर्चा करने के पहले जान लेते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इस मामले में क्या किया।

2014 के पहले ग्रामीण इलाकों में वित्तीय समावेशन

सहकारिता ने जहां ग्रामीण इलाकों में वित्तीय समावेशन को हवा दी तो 1969 में बैंकों के निजीकरण से इसे बल मिला। फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने भी इस काम को आगे बढ़ाया। लेकिन ये सभी प्रयास इतने प्रभावशाली नहीं थे जिससे पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ता। बहरहाल इस मामले में नए सिरे से पहल 2005-16 में देखने को मिली जब रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों से वित्तीय समावेशन के मामले में खास कदम उठाने को कहा। सुझाव दिया गया कि बेहद सामान्य सुविधाओं के साथ बैंक खाते बोलचाल की भाषा में जिसे लो फ्रिल अकाउंट कहते हैं, खोलने की सुविधा दी जाए।

2011 में **स्वाभिमान** की शुरुआत की गई। योजना के तहत मार्च 2012 के अंत तक दो हजार से ज्यादा की आबादी वाले हर गांव तक बैंकिंग सुविधाएं देने का लक्ष्य रखा गया। उम्मीद थी योजना के दायरे में 73 हजार से ज्यादा ऐसे गांव आए जाएंगे जहां तक अभी बैंक नहीं पहुंचे हैं। बैंकों ने ऐसी 74 हजार जगहों की पहचान की और कुल मिलाकर 31 मार्च, 2012 तक 2000 या उससे ज्यादा की आबादी वाले कुल 74,351 गांवों में या तो शाखाओं, बिजनेस कॉरेस्पॉण्डेंट या फिर मोबाइल बैंकिंग के जरिए बैंकिंग सेवा मुहैया कराना शुरू कर दिया। जानकारों की मानें तो आंकड़े तो प्रभावी तस्वीर पेश कर रहे थे, लेकिन जरूरत इस बात

की थी कि वित्तीय समावेशन के लिए समष्टि के साथ-साथ व्यक्ति पर ध्यान दिया जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो वित्तीय समावेशन की योजना में एक तय संख्या से ज्यादा आबादी वाले गांवों के साथ तमाम गांवों में रहने वाले परिवारों पर जोर दिया जाए, क्योंकि 2011 की जनगणना के मुताबिक 24.67 करोड़ परिवारों में 41.3 फीसदी यानी 10.19 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनसे पास किसी तरह की बैंकिंग सुविधा नहीं थी।

इस दौर में वित्तीय समावेशन की चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड के बगैर अधूरी रहेगी। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना वर्ष 1998 में किसानों को केसीसी जारी करने के लिए शुरू की गई थी ताकि किसान उनका प्रयोग करते हुए कृषि से संबंधित सामग्री जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, आदि आसानी से खरीद सकें और उत्पादन की अपनी आवश्यकताओं हेतु नकदी निकाल सकें। तब से केसीसी योजना का सरलीकरण किया गया है और यह रूपे डेबिटकार्ड युक्त एटीएम जारी करने के साथ-साथ एकबारगी दस्तावेजीकरण, सीमा में बिल्ट-इन लागत वृद्धि, सीमा के भीतर किसी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधा प्रदान करता है। 31 मार्च, 2018 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ओर से जारी 2,35,28,133 किसान क्रेडिट कार्ड चालू हालत में हैं, वहीं सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में ये संख्या 4,56,88,100 है।

2014 के बाद ग्रामीण इलाकों में वित्तीय समावेशन के लिए पहल

वर्तमान सरकार का वित्तीय समावेशन में जहां जोर परिवार-स्तर पर पहुंचने पर रहा वहीं साथ में कोशिश थी कि वित्तीय सेवा की लागत कम से कम हो। तकनीक के जरिए पहुंच आसान बनाने की रणनीति तो बनी ही, सोच ये भी बनी कि वित्तीय समावेशन को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली रकम को लाभार्थी तक पहुंचाने का आधार बनाया जाए। इस मकसद से वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई वित्तीय समावेशन की योजनाओं पर आइए नजर डालते हैं—

प्रधानमंत्री जन-धन योजना

लालकिले की प्राचीर से अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' के माध्यम से इस देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधाओं से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों-करोड़ों परिवार हैं, जिनके पास



मोबाइल फोन तो हैं, लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश के आर्थिक संसाधन गरीब के काम आएँ, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है, जो खिड़की खोलता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत जो अकाउंट खुलेगा, उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा। उस डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को एक लाख रुपये का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा, ताकि अगर उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवार-जनों को एक लाख रुपये का बीमा मिल सकता है। मतलब साफ था कि महज बैंक खाता ही नहीं खोला जाना है, बल्कि खाते के जरिए कल्याणकारी योजनाओं का सीधे-सीधे फायदा पहुंचाना है, नकद के चलन को कम करना व खरीदारी में सहूलियत देना है और अंत में बीमा सुरक्षा भी मुहैया कराना है।

वैसे तो ये योजना शहरी और ग्रामीण इलाके दोनों के लिए थी, लेकिन ज्यादा जोर ग्रामीण इलाकों पर रखा गया, क्योंकि इन इलाकों में वित्तीय समावेशन की परेशानी ज्यादा थी। इसी को ध्यान में रखते हुए छह से ज्यादा गांवों को 1.59 लाख 'सब सर्विस एरिया' में बांटा गया। ऐसे हर खंड में हजार से 1500 परिवार थे। 1.26 लाख खंड में बैंक की शाखा नहीं थी, लिहाजा वहां बैंक मित्र के जरिए बैंकिंग सुविधा देने का प्रस्ताव रखा गया। योजना के तहत हर ऐसे परिवार के लिए कम से कम एक बैंक खाता खोलने का लक्ष्य है जिनके पास पहले कोई बैंक खाता नहीं था। ये वो खाते हैं जिनमें कम से कम एक निश्चित रकम रखने जैसी कोई शर्त नहीं है। हर खाते के साथ एक रुपे कार्ड मिलता है जिसका इस्तेमाल दूसरे डेबिट कार्ड की तरह किया जा सकता है। कार्ड पर एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा सुरक्षा भी मुफ्त मिलता है। इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए कार्ड का कम से कम एक बार इस्तेमाल जरूरी है।

तालिका-2

अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 की खास बातें

29 राज्यों के 245 जिलों में 40,327 परिवारों/1.87 लाख आबादी पर जनवरी-जून, 2017 के बीच कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की रिपोर्ट

- औसत मासिक आमदनी-8059 रुपये
- उपभोग पर औसत मासिक खर्च-6646 रुपये
- भोजन सामग्री पर खर्च कुल उपभोग खर्च का 51 फीसदी
- गैर-भोजन सामग्री पर खर्च कुल उपभोग खर्च का 49 फीसदी
- कम से कम एक बैंक खाता-88.1 फीसदी परिवार
- प्रति परिवार औसत सालाना बचत-18,007 रुपये
- बैंक, स्वयंसहायता समूह वगैरह में जमा कुल बचत का-94 फीसदी
- कितने परिवारों पर बकाया कर्ज-47.4 फीसदी
- औसत बकाया कर्ज-91,407 रुपये
- बीते साल के दौरान कितने कृषक परिवारों ने लिया कर्ज-43.5 फीसदी
- कितने कृषक परिवारों ने केवल संस्थागत स्रोतों से लिया कर्ज-60.4 फीसदी
- कितने कृषक परिवारों ने अनौपचारिक स्रोतों से लिया कर्ज-30.3 फीसदी
- कितने कृषक परिवार के पास कम से कम एक बीमा सुरक्षा-26 फीसदी
- कितने गैर-कृषक परिवार के पास कम से कम एक बीमा सुरक्षा-25 फीसदी
- वित्तीय जानकारी के लिहाज से मजबूत ग्रामीण-48 फीसदी
- तीन महीने में कम से कम एक बार एटीएम का इस्तेमाल-23.6 फीसदी
- तीन महीने में कम से कम एक बार चेक से भुगतान-7.5 फीसदी
- तीन महीने में कम से कम एक बार डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड से भुगतान-7.4 फीसदी
- तीन महीने में कम से कम एक बार मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल-1.6 फीसदी

जन-धन खाते के तहत ओवरड्राफ्ट यानी कर्ज की सुविधा भी दी गई है। अगर छह महीने तक खाते में प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा तो पांच हजार रुपये कर्ज भी मिल सकते हैं। इस कर्ज पर ब्याज-दर अनौपचारिक क्षेत्रों से लिए गए कर्ज के मुकाबले काफी

कम है। एक बात और, ग्राहक पहचान केवाईसी से जुड़े कोई दस्तावेज नहीं हैं तो भी कोई परेशानी नहीं, शुरुआती तौर पर स्वप्रमाणन के जरिए छोटा खाता खोला जा सकता है जो एक तय समय के भीतर जरूरी दस्तावेज जमा करा कर नियमित खाते में तब्दील किया जा सकता है। छोटे खाते में रकम जमा कराने से लेकर निकालने तक कुछ पाबंदिया होती हैं।

जन-धन खाते की कामयाबी का ही ये सबूत है कि अब तक 32 करोड़ से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं जिनमें 81 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जमा है। खास बात ये है कि कुल खातों में करीब 59 फीसदी ग्रामीण या अर्धशहरी इलाके में खोले गए। समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं जैसे शिक्षा से लेकर मनरेगा तक का पैसा इन खातों में सीधे-सीधे जाता है। इसके दो फायदे हुए हैं, एक तरफ जहां बिचौलिये गायब हो गए और पूरा का पूरा पैसा लाभार्थी को मिल रहा है, वहीं लगातार पैसे का प्रवाह होने से खाते की सक्रियता बनी रहती है। यही नहीं नियमित बचत करने की आदत भी बन रही है।

जन-धन से जन सुरक्षा

देश में वैसे ही बीमा का दायरा बहुत ही सीमित है और उस पर से अगर गांव की बात करें तो वहां तो ये और भी कम है। इसकी एक वजह जहां बीमा सुरक्षा को लेकर साक्षरता की कमी है, वहीं दूसरी वजह प्रीमियम की दर भी है। यही नहीं बीमा पॉलिसी खरीदने की प्रक्रिया को लेकर भी परेशानी होती रही। ऐसी तमाम परेशानियों को दूर कर वित्तीय समावेशन का दायरा बढ़ाने के मकसद से मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना लागू होने के करीब नौ महीने के भीतर बीमा की दो नई योजनाओं की शुरुआत की। इसी के साथ एक पेंशन योजना का भी आगाज हुआ। इन तीनों ही योजनाओं में जन-धन खातों को आधार बनाया गया जिसके जरिए प्रीमियम या भागीदारी की रकम का भुगतान करना आसान था। साथ ही बैंक की शाखाओं के जरिए ही तीनों ही योजनाओं में शामिल होने के भी इंतजाम किए गए।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना - इस जीवन बीमा पॉलिसी के लिए सालाना प्रीमियम महज 333 रुपये है, यानी एक रुपये प्रतिदिन से भी कम। 18 से लेकर 50 वर्ष की आयु तक कोई भी व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है जबकि बीमा सुरक्षा का फायदा 55 वर्ष तक की उम्र तक मिलेगा। किसी भी वजह से मृत्यु हो जाने की सूरत में दो लाख रुपये मिलेंगे। योजना में भाग लेने वाले के लिए बैंक खाता होना जरूरी है और खाते से ही सीधे प्रीमियम का भुगतान हो जाएगा। एक बार 330 रुपये चुकाने पर साल भर के लिए बीमा सुरक्षा मिलेगी, फिर अगले साल अच्छी सेहत का खुद ही प्रमाणपत्र और प्रीमियम चुकाकर पॉलिसी का नवीकरण किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना - यहां सालाना प्रीमियम



महज 12 रुपये है, यानी हर महीने का एक रुपया। इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु हो जाने या स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में दो लाख रुपये मिलेंगे। वहीं अगर स्थायी तौर पर आंशिक अपंगता की स्थिति हो तो एक लाख रुपये मिलेंगे। 18 से 70 साल की उम्र का कोई भी इस योजना में शामिल हो सकता है। यहां भी पॉलिसी लेने के लिए बीमा कंपनियों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। बस बैंक को लिखित में बताना है और वहीं से प्रीमियम जमा हो जाएगा। यानी बहुत ही मामूली लागत पर बिना किसी झंझट के बीमा सुरक्षा का फायदा मिलेगा।

अटल पेंशन योजना – बीमा योजनाओं की तरह ही यहां भी भागीदारी की रकम कम रखी गई है। बस फर्क इतना है कि 60 साल की उम्र के बाद आप जितनी पेंशन चाहते हैं, भागीदारी की रकम उसी हिसाब से जमा करानी होगी। 18 से 40 वर्ष की उम्र के बीच भागीदारी की रकम जमा कराई जा सकती है। पेंशन की कम से कम रकम 1000–5000 रुपये की गारंटी है। अगर किसी कारणवश योजना में भाग लेने वाले की मृत्यु 40 वर्ष के पहले हो जाती है तो उसकी पत्नी या पति को बाकी बचे समय के लिए पैसा जमा कराने की सुविधा मिलेगी। मृतक की पत्नी या पति को 60 साल की उम्र के बाद उतनी ही पेंशन रकम मिलेगी जितना शुरू में कहा गया था और ये रकम ताउम्र मिलेगी। पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाने की सूरत में कुल जमा रकम का फायदा नामित को मिलेगा। 1 जून, 2015 से लेकर 28 जुलाई, 2018 के बीच अटल पेंशन योजना में 1.8 करोड़ से भी ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं। हालांकि ये आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि इसमें से कितने ग्रामीण इलाकों में हैं, फिर भी योजना से जुड़े अधिकारियों की मानें तो ग्रामीण इलाकों की हिस्सेदारी संतोषजनक है।

ग्राम स्वराज अभियान के जरिए जन-धन से जन सुरक्षा

वैसे तो जन-धन योजना और बीमा योजनाओं में खासी कामयाबी मिली और ग्रामीण इलाके में काफी लोग योजना में शामिल भी हुए। फिर भी सरकार का मानना था कि इन योजनाओं के लिए ग्रामीण इलाकों में विशेष कदम उठाने होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्राम स्वराज अभियान के दोनों चरणों में प्रधानमंत्री जन-धन योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए विशेष कैंप लगाने का फैसला किया गया। दोनों चरण 14 अप्रैल से 5 मई, 2018 और फिर 1 जून से 15 अगस्त, 2018 के लिए 65779 गांवों की पहचान की गई और वहां 49 हजार से ज्यादा कैंप लगाए गए। नतीजे उम्मीद से बेहतर ही रहे। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत 73.47 लाख खाते खुले वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 50 लाख से ज्यादा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत करीब 85 लाख पॉलिसी लोगों ने हासिल की।

वित्तीय समावेशन के जरिए उद्यमिता को प्रोत्साहन

गांव-देहात में उद्यमिता को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अहम हिस्सेदारी है। योजना के तहत 50 हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का कर्ज मिलता है। साथ ही प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत पांच हजार रुपये के ओवरड्राफ्ट को भी इस योजना में शामिल किया गया है। योजना के तहत गांवों में छोटी दुकान और छोटे उद्योग को लगाने या फिर मौजूदा दुकानों या उद्योग के विस्तार के लिए कर्ज मिलता है। योजना के तहत नवप्रवर्तन के जरिए ब्याज दर को कम रखने की कोशिश की जाती है।

गांवों में उद्यमिता के विकास के कई फायदे हैं। सबसे पहले तो गांव में किसानों का विकल्प तैयार होगा जिससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं के स्वरोजगार के साथ-साथ दूसरों को रोजगार देने के मौके बनेंगे। गांव में आमदनी बढ़ेगी तो बाजार विकसित होगा और जब बाजार बढ़ेगा तो वित्तीय सेवाओं के विस्तार का मौका बनेगा जिसका फायदा बैंकों और वित्तीय संस्थानों को मिलेगा।

मतलब साफ है कि वित्तीय समावेशन का मतलब महज बैंक खाता खोलने और कर्ज बांटने तक सीमित नहीं रहा। अब इसमें बीमा सुरक्षा से लेकर डिजिटल लेन-देन का इंतजाम और लोगों को वित्तीय साक्षर बनाने का काम भी शामिल हो चुका है और आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सच तो यही है कि समाज और बाजार की जरूरतों के हिसाब से बदलाव की जरूरत होती है और गांव बतौर एक समाज ही नहीं, बल्कि बड़े बाजार के तौर पर भी विकसित होने लगा है।

(लेखक 22 वर्षों से आर्थिक और कारोबारी पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में संपादक (कारोबारी मामले) हैं।)

ई-मेल : hblshishir@gmail.com

सतत कृषि विकास की ओर

—अशोक सिंह

वर्तमान सरकार द्वारा अपने गत चार वर्षों के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है। कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी तमाम नई योजनाएं भी इसी क्रम में अस्तित्व में आई हैं। इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के सकारात्मक नतीजे भी अब सामने आने लगे हैं और आज देश खाद्यान्न, दूध, फल, सब्जी, मछली, मुर्गीपालन तथा पशुपालन के क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भरता के स्तर से आगे बढ़ चुका है बल्कि विविध प्रकार के कृषि उत्पादों का निर्यात भी कर रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प भी इन्हीं आशातीत परिणामों को ध्यान में रखकर देश के समक्ष किया गया है।

इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि कृषि प्रगति और ग्रामीण विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि विकास के बिना ग्रामीण उत्थान की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी दो-तिहाई से अधिक आबादी बसती है और अधिकांश लोगों की आजीविका का आधार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ा हुआ है। संभवतः यही कारण है कि सरकारी नीतियों में कृषि विकास के जरिए ग्रामीण आबादी के जीवन-स्तर में सुधार पर लंबे समय से फोकस किया जा रहा है। इसी सोच के तहत वर्तमान सरकार द्वारा भी कृषि विकास से जुड़ी नीतियां अपनाई जा रही हैं। देश के बहुसंख्यक कृषक समुदाय के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आमदनी बढ़ाने पर आधारित नवोन्मेषी योजनाएं इसी सोच का नतीजा हैं। केंद्र सरकार के स्तर पर कार्यान्वित की जाने वाली ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न प्रादेशिक सरकारों द्वारा भी इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्तमान परिदृश्य

वर्तमान सरकार द्वारा अपने गत चार वर्षों के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र को काफी प्राथमिकता दी गई है। कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी तमाम नई योजनाएं भी इसी क्रम में अस्तित्व में आई हैं। इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के सकारात्मक नतीजे भी अब सामने आने लगे हैं और आज देश खाद्यान्न, दूध, फल, सब्जी, मछली, मुर्गीपालन तथा पशुपालन के क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भरता के स्तर से आगे बढ़ चुका है बल्कि विविध प्रकार के कृषि उत्पादों का निर्यात भी कर रहा है। बहुत से कृषि उत्पादों का शीर्ष उत्पादक होने के कारण आज देश में अनाज का सरप्लस भंडार मौजूद है। इन योजनाओं की बदौलत किसानों की आमदनी में भी उल्लेखनीय सुधार के साथ अधिक बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की कमाई भी संभव हो सकी है। प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प भी इन्हीं आशातीत परिणामों को ध्यान में रखकर देश के समक्ष रखा गया है।



चार सूत्री रोडमैप

हाल में ही मैं “कृषि 2022 दोगुनी कृषक आय” विषय पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित संगोष्ठी में इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तैयार चार सूत्री रोडमैप पर प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। ये चार सूत्र हैं— कृषि लागत में कमी, मुनाफादायक मूल्य की प्राप्ति, कृषि अपशिष्टों का प्रसंस्करण तथा गैर-कृषि आधारित आमदनी के स्रोतों का विकास। इस संगोष्ठी में कृषि नीति-निर्धारकों, कृषकों और अर्थशास्त्रियों द्वारा हिस्सा लिया गया था। इसी क्रम में उन्होंने ‘स्टार्टअप एग्री इंडिया’ प्रोजेक्ट की भी शुरुआत करने की घोषणा की जिसके अंतर्गत कृषि आधारित विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप्स को सरकारी तौर पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसका मूल उद्देश्य कृषि प्रक्रियाओं को अधिक दक्ष और कारगर बनाना तथा युवाओं को कृषि आधारित उद्यमों के प्रति आकर्षित करना है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के भी सुखद परिणाम अब सामने आने लगे हैं। मृदा जांच से यह पता चलने पर कि किस पोषक तत्व की कमी है, कृषकों द्वारा अनुमान के आधार पर अब उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तथा इसकी वजह से उर्वरक पर होने वाले खर्च में भी 8.10 प्रतिशत तक कमी देखने को मिल रही है। इसके अतिरिक्त खेतों में सही उर्वरकों के इस्तेमाल से फसलों की उत्पादकता में भी 5.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने में आ रही है। इस योजना के तहत दिसंबर, 2017 तक 10.58 करोड़ से अधिक मृदा कार्ड का वितरण किया जा चुका है। मृदा जांच प्रयोगशालाओं की मांग में बढ़ोतरी होने से अब कृषि विज्ञान की शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं के लिए हजारों की संख्या में नए जॉब के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। ऐसी प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए सरकारी सब्सिडी का प्रावधान है। निस्संदेह कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के अवसर के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है।

एग्री उड़ान

इसी क्रम में वर्ष 2017 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को ‘एग्री उड़ान’ नामक एक कृषि उद्यमशीलता विकास आधारित योजना के कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को बड़ी संख्या में कृषि व्यवसाय के प्रति जागरूक करना, प्रशिक्षण देना और ऐसे उपक्रम स्थापित करने में मदद करना है। इस क्रम में भाकुअनुप के अंतर्गत कार्यरत नेशनल एकेडेमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, हैदराबाद में विभिन्न प्रकार के कृषि स्टार्टअप के विकास पर काम भी किया जा रहा है। इसमें निजी क्षेत्रों के कृषि से संबद्ध उद्यमों से भी बड़ी संख्या में संपर्क कर उन्हें इस अभियान से जोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है।

परंपरागत कृषि विकास योजना

केंद्र सरकार द्वारा कृषि उत्थान के उद्देश्य से प्रारंभ की गई विभिन्न योजनाओं में इसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों में कृषकों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। इसका दोहरा लक्ष्य है, पहला तो है जैविक कृषि उत्पादन को बढ़ाना तथा दूसरा लाभ जैविक खेती से मृदा स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। शहरों में जैविक खाद्य उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए ग्रामीण युवाओं के लिए जैविक कृषि उत्पादों की खेती कर आकर्षक आय अर्जन का भी यह बेहतरीन विकल्प कहा जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 तक लगभग दो लाख हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कई तरह की रियायतें देने का प्रावधान भी इस कार्यक्रम में रखा गया है।

नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-नाम)

किसानों को उनके उत्पादों का वाजिब मूल्य दिलवाने तथा बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक कृषि बाजार की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से देश की प्रमुख 585 कृषि मंडियों को नेट से जोड़कर उन्हें इस पोर्टल पर लाने की योजना बनाई गई है ताकि देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले किसानों के लिए अपने उत्पादों की बिक्री सही मूल्य पर करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। प्राप्त जानकारी के अनुसार देश के 13 प्रदेशों में स्थित 455 मंडियों को अब तक ई-नाम पोर्टल से जोड़ा जा चुका है। यही नहीं 55 लाख से अधिक किसान तथा 1 लाख से अधिक व्यापारियों का भी इसमें पंजीकरण किया जा चुका है। कृषि उत्पादों की ट्रेडिंग में रुचि रखने वाले ग्रामीण परिवेश के युवाओं के लिए स्वरोजगार के रूप में इस कारोबार को अपनाने का यह अच्छा अवसर हो सकता है। इस तरह के कार्य को शुरू करने के लिए न तो अधिक निवेश की आवश्यकता है और न ही लंबे समय तक किसी तकनीकी प्रशिक्षण की जरूरत है।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना

इस योजना के अंतर्गत खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक निर्बाध आपूर्ति शृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक संरचनाएं सृजित की जाएंगी। इससे न सिर्फ देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा बल्कि इससे किसानों के लिए बेहतर कल्याण की राहें भी खुलेंगी। इससे किसानों की आय दोगुनी करने, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार सृजन तथा कृषि अपशिष्टों के प्रसंस्करण को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे प्रसंस्कारित खाद्यान्नों के निर्यात को भी बल मिलने की संभावना जताई गई है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना

इस योजना का लक्ष्य किसानों तक कृषि संबंधी जानकारीयों

मशरूम उत्पादक गांव की सफलता गाथा

उत्तर प्रदेश के बरेली से 25 किलोमीटर दूर स्थित लगभग 600-700 लोगों की आबादी वाला मोहम्मदपुर गांव आज मशरूम उत्पादक गांव के नाम से दूर-दूर तक पहचान बना चुका है। इसके पीछे कारण है यहां के किसानों द्वारा परंपरागत फसलों के साथ सहयोगी कृषि के रूप में बड़े पैमाने पर मशरूम का उत्पादन करना। यहां पर वर्तमान में 2700 से 300 क्विंटल मशरूम का उत्पादन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। मशरूम की औसतन कीमत 100 से 150 रुपये प्रति किलो रहती है। इस प्रकार देखा जाए तो इस गांव के मशरूम उत्पादकों को 27 लाख से 45 लाख रुपये तक की वार्षिक आमदनी सिर्फ मशरूम बिक्री करने से हो जाती है। अगर प्रति परिवार औसत आय की बात करें तो यह आंकड़ा ऐसे गांव के लोगों के लिए कम आकर्षक प्रतीत नहीं होता है, जहां पर मात्र 3 वर्ष पहले तक बिजली भी नहीं थी। भाकृअनुप-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों द्वारा इस क्रांतिकारी परिवर्तन में प्रभावी भूमिका निभाई गई है।

समय पर पहुंचाने के लिए सूचना एवं संचार तकनीकी का उपयोग दक्ष तरीके से करना है। कृषि क्षेत्र में उपयुक्त समय पर सही जानकारियों और सूचनाओं का किसानों को न मिलना अक्सर बड़े नुकसान का कारण बन जाता है। इस कमी को दूर करने को ध्यान में रखते हुए इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन

इस मिशन का उद्देश्य कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, मुनाफादायक तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सहिष्णु बनाना है। इसके अंतर्गत स्थान विशिष्ट कृषि प्रणालियों के प्रयोग को प्रोत्साहन देना, उपयुक्त मृदा और जल संचयन तकनीकों के जरिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु प्रासंगिक कृषि प्रणालियों का प्रयोग, प्रति बूंद अधिक उपज की संकल्पना के अनुरूप दक्ष जल उपयोग प्रबंधन के साथ कृषकों की क्षमता निर्माण पर ध्यान देना है। टिकाऊ खेती का उद्देश्य कृषकों की आमदनी में बढ़ोतरी करने के साथ इसे लाभदायक व्यवसाय में रूपांतरित करना भी है।

एग्रीकल्चर स्किल कौंसिल ऑफ इंडिया

यह संस्था केंद्र सरकार के कौशल एवं उद्यमशीलता विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। इसका दायित्व कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत कृषकों, कृषि श्रमिकों तथा कृषि प्रसार कर्मियों को अधिक हुनरमंद बनाना और उनकी क्षमता विकास करने में हरसंभव सहायता प्रदान करना है। कृषि क्षेत्र में आए उहराव, गुणवत्ता से युक्त मानव संसाधनों का कृषि को छोड़ते हुए अन्य क्षेत्रों की ओर

तेज पलायन, जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौतियां, अंतर्राष्ट्रीय कृषि बाजार में बदलाव की स्थितियां आदि को देखते हुए इस संस्था की भूमिका काफी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। वर्तमान समय में इस कौंसिल द्वारा 157 से अधिक प्रकार की ट्रेनिंग कृषि से संबद्ध विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान की जा रही है। इनमें खासतौर पर कृषि यंत्रिकरण एवं प्रेसिजन फार्मिंग, एग्रो इन्फार्मेशन मैनेजमेंट, डेयरी फार्म मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट सप्लाय चेन मैनेजमेंट, हॉर्टीकल्चर प्रोडक्शन, एग्री एंट्रिप्रिन्योरशिप एंड रूरल इंटरप्राइज आदि का उल्लेख किया जा सकता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट <http://asci-india.com> से संपर्क किया जा सकता है।

आर्या-अट्रेकिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर

युवाओं की कृषि क्षेत्र में बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस योजना का विकास किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा संचालित इस योजना के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के गांव से शहरों की ओर बढ़ते पलायन को रोकने का प्रयास भी इस कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है। उन्हें कृषि में बनाए रखने हेतु उपयोगी कौशल और हुनर सिखाने का इसके अंतर्गत प्रावधान है। देश के प्रत्येक जिले में 300-500 ग्रामीण युवाओं को इस तरह की ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षण के दौरान कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े कार्यकलापों के प्रति युवाओं को आकर्षित करते हुए उनके लिए आमदनी का स्थायी जरिया विकसित करने में इस क्रम में सहायता प्रदान की जाती है। इनमें खासतौर पर कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और मार्केटिंग से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अंतर्गत संचालित चुनिंदा कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से देश के 25 से अधिक राज्यों में किया जा रहा है। इस क्रम में परिषद् के कृषि अनुसंधान संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त निजी उद्यमियों को भी जोड़ने का प्रयास किया जाता है।

पशु हाट पोर्टल

केंद्र सरकार के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग ने हाल में ही ई-पशु हाट नामक पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के जरिए लोग पशुधन, फ्रोजन सीमन, और भूणों की खरीद-फरोख्त ऑनलाइन कर सकते हैं। इसपर किसी प्रकार का कमीशन देने का इंज़ट नहीं है। इस पोर्टल पर ऑनलाइन विक्रय के लिए उपलब्ध सभी प्रकार के पशुओं की जानकारी जैसे नस्ल, प्रतिदिन दूध उत्पादन क्षमता, पशु आयु आदि देखी जा सकती है। इस पोर्टल का उद्देश्य बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना और पारदर्शी तरीके से पशु व्यापार को बढ़ावा देते हुए पशुपालकों को वाजिब मूल्य दिलवाना है। इस बारे में विस्तृत विवरण www.pashuhat.gov.in से मिल सकता है।

हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कृषि क्षेत्र में छतरी योजना के रूप में हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना को

बारहवीं पंचवर्षीय योजना से आगे यानी कि 2019-20 तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है। इस छतरी योजना के अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से जुड़ी 11 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य समग्र और वैज्ञानिक तरीकों से कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना और किसानों को बेहतर दाम दिलवाने में सहायता करना है। केंद्र सरकार द्वारा इन योजनाओं पर 33,269 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा। इनमें निम्न योजनाएं शामिल हैं—

बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन— इसका उद्देश्य बागवानी उत्पादन में बढ़ोतरी कर आहार सुरक्षा में सुधार करना तथा कृषि परिवारों को आय समर्थन देते हुए बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना है।

तिलहन और तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन— इस मिशन का उद्देश्य देश के चुनिंदा जिलों में उचित और उपयुक्त प्रणालियों से कृषि क्षेत्र का विस्तार करते हुए वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त खाद्य तेलों की उपलब्धता को सुदृढ़ बनाना और खाद्य तेलों के आयात को घटाना है।

बीज तथा पौधरोपण सामग्री पर उपमिशन— इसका उद्देश्य प्रमाणित एवं गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन करना, बीज प्रजनन प्रणाली को मजबूत बनाना, बीज उत्पादन में नई तकनीकियों और तौर-तरीकों को बढ़ावा देना, प्रसंस्करण एवं परीक्षण आदि को प्रोत्साहित करना है।

कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन— इस मिशन का लक्ष्य

प्रेसिजन फार्मिंग से बढ़ी आमदनी

भाकृअनुप.केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल के प्रेसिजन फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर द्वारा ड्रिप सिंचाई, प्लास्टिक पलवार प्रौद्योगिकी तथा प्रेसिजन फार्मिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समय-समय पर आयोजन किया जाता है। देवास जिले के सोंकाचा ब्लॉक के युवा कृषकों श्री विजेंद्र सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री कृष्ण कवाड, श्री नारायण सिंह तथा श्री राधेश्याम ने यहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर इन सभी तकनीकों की मदद से खेती करनी शुरू की। इस क्रम में इन्होंने राज्य बागवानी मिशन से भी आर्थिक मदद ली। इन कृषकों ने अपने-अपने खेतों पर 80 हजार से लेकर ढाई लाख रुपये की लागत से ड्रिप प्रणाली की स्थापना कर प्याज, लहसुन, आलू, मिर्च आदि की खेती 1.2 से 6 हेक्टेयर क्षेत्र पर की। दो वर्षों की मेहनत से इन्हें 5 लाख प्रति हेक्टेयर तक का लाभ मिला है। इसी प्रकार इंदौर के श्री राधेश्याम द्वारा भी संस्थान से प्रशिक्षण हासिल करने के बाद 200 वर्गमीटर क्षेत्र पर पॉलीहाउस की स्थापना की गई तथा 3.5 हेक्टेयर भूमि पर इन्होंने ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगाई। यहां पर अब उच्च रोज, बैंगन, लहसुन, पपीता, नींबू वर्गीय फलों आदि का सफल उत्पादन कर रहे हैं। उनकी वार्षिक आमदनी 15 लाख रुपये हो चुकी है और वे अपने गांव के छह युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं।

छोटे और मझोले किसानों तक कृषि मशीनीकरण पहुंचाना, बिजली की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देना, उच्च तकनीकी वाले कृषि उपकरणों के विकास में सहायता प्रदान करना आदि है।

इनके अलावा भी छतरी योजना के अंतर्गत शामिल सतत कृषि के लिए मिशन, कृषि विपणन पर एकीकृत योजना आदि का खासतौर पर नाम लिया जा सकता है।

समर्थन मूल्य में वृद्धि

कृषकों को उनके उत्पादों की लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक मूल्य मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सरकारी खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की गई है। इसका लाभ निश्चित तौर पर ऐसे किसानों को मिलेगा जिन्हें बंपर फसल होने पर औने-पौने दामों पर अपने उत्पादों को बेचने पर मजबूर होना पड़ता था।

सहयोगी कृषि

राष्ट्रव्यापी स्तर पर कार्यान्वित की जा रही इन बड़ी-बड़ी योजनाओं के अतिरिक्त सीमांत कृषकों की आय बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन्हें सहयोगी कृषि के बारे में जागरूक किया जा रहा है तथा इस दिशा में कदम बढ़ाने हेतु हर संभव सहायता और मार्गदर्शन भी केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से दिया जा रहा है। सहयोगी कृषि के अंतर्गत मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, कृषि वानिकी, बांस उत्पादन, लाख उत्पादन एरेशम कीट पालन, सूअर पालन, मत्स्य पालन आदि का विशेष तौर पर जिक्र किया जा सकता है। यहां यह बताना भी प्रासंगिक होगा कि लघु कृषकों की आय बढ़ाने के लिए 45 एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल विकसित किए गए हैं जिनसे मृदा स्वास्थ्य और जल उपयोग की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है।

संक्षेप में, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली बहुसंख्यक आबादी की आमदनी बढ़ाने में कृषि के महत्व को नजरअंदाज करना शायद सही सोच नहीं होगी। कृषि का रूप रोजाना बदल रहा है। परंपरागत खेती का स्थान अब आधुनिक और वैज्ञानिक खेती के नए तौर-तरीकों ने ले लिया है। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे अनुसंधानों और कृषि से संबद्ध अन्य उत्पादन कार्यों की मदद से आज छोटी जोत पर भी भरपूर कमाई संभव हो गई है। वर्ष में एक या दो फसलें ही नहीं बल्कि चार से पांच फसलें भी प्रगतिशील किसानों द्वारा ली जा रही हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठाकर ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों का भी जीवन बदल रहा है। जरूरत तो बस इस बात की है कि कृषि में आ रहे परिवर्तन को समय रहते आत्मसात किया जाए और पुरानी रुढ़िवादी मानसिकता के दायरे से निकलकर कुछ अलग करने की ठान कर नए भविष्य का स्वागत किया जाए।

(लेखक 'खेती' एवं 'फल-फूल', पत्रिका, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में बतौर संपादक कार्यरत हैं।)

ई-मेल : ashok.singh.32@gmail.com

ग्रामीण-शहरी दूरियों को पाटता रुर्बन मिशन

—डॉ. महीपाल

रुर्बन मिशन शहर की सुविधा एवं गांव की आत्मा के विचार पर आधारित है, अर्थात् नगरों में जो आर्थिक, संरचनात्मक, तकनीकी सुविधाएं हैं उनका लाभ लेते हुए गांव में सामुदायिकता की भावना बनी रहे। इस मिशन के अंतर्गत राज्यों में विकास की संभावनाओं वाले विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में अगले पांच वर्षों में 300 ऐसे रुर्बन क्लस्टरों का विकास किया जाएगा। इस लेख में रुर्बन मिशन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हुए यह बताने का प्रयास किया गया है कि इस कार्यक्रम के जरिए कैसे ग्रामीण व नगरीय खाई को पाटते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, औद्योगिक, संरचनात्मक एवं सामाजिक विकास किया जाएगा।

प्रियामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन वर्तमान सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसका आगाज़ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16 सितंबर, 2016 को अनुमोदित होकर प्रधानमंत्री द्वारा 21 फरवरी, 2016 को हुआ था। वास्तव में रुर्बन मिशन मॉडल गुजरात में ग्रामीण क्षेत्रों के शहरीकरण के रुर्बन विकास मॉडल पर आधारित है जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोग संरचनात्मक सुविधाएं और उससे जुड़ी सेवाएं पा सकें। मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में समेकित परियोजना पर आधारित संरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ आर्थिक क्रियाकलाप और कौशल विकास भी शामिल हैं। यह कार्यक्रम विभिन्न स्कीमों की निधियों का उपयोग करते हुए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से लाभ प्रदान करने की वरीयता पर आधारित है। रुर्बन मिशन शहर की सुविधा एवं गांव की आत्मा के विचार पर आधारित है, अर्थात् नगरों में जो आर्थिक, संरचनात्मक, तकनीकी सुविधाएं हैं उनका लाभ लेते हुए गांव में सामुदायिकता की भावना बनी रहे। क्योंकि यदि सामुदायिक

भावना का विकास के साथ हास होता है तो वह विकास सतत या टिकाऊ नहीं होगा। इस मिशन के अंतर्गत राज्यों में विकास की संभावनाओं वाले विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में अगले पांच वर्षों में 300 ऐसे रुर्बन क्लस्टरों का विकास किया जाएगा। इस लेख में रुर्बन मिशन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हुए यह बताने का प्रयास किया गया है कि इस कार्यक्रम के जरिए कैसे ग्रामीण व नगरीय खाई को पाटते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, औद्योगिक, संरचनात्मक एवं सामाजिक विकास किया जाएगा। साथ में सतत विकास ध्येयों को प्राप्त करने में कितना और कैसे मददगार होगा?

क्लस्टर प्रोफाइल : क्लस्टर के वर्तमान प्रोफाइल का वर्णन सामान्य प्रोफाइल जिसमें जनसंख्या, सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक प्रोफाइल शामिल हैं तथा घटकानुसार प्रोफाइल जोकि 14 घटकों के आधार पर प्रस्तावित है।

रुर्बन मिशन का उद्देश्य: मिशन का उद्देश्य 300 रुर्बन क्लस्टर के वे क्षेत्र हैं जहां पर विकास की काफी संभावनाएं हैं।



इन क्लस्टरों के अंतर्गत आर्थिक कार्यकलापों के अवसर उपलब्ध कराके, कौशल प्रशिक्षण एवं स्थानीय उद्यमशीलता को विकसित करके तथा संरचना संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करा कर इन क्लस्टरों को संपूर्ण रूप से विकसित करना है।

इन क्लस्टरों में जरूरी सुविधाएं प्रदान करके एवं विभिन्न योजनाओं में तालमेल करके संसाधनों को उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त इन क्लस्टरों का संपूर्ण विकास करने के लिए मिशन के तहत आवश्यक पूरक वित्तपोषण का भी प्रावधान है। ये क्लस्टर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विधिवत अधिसूचित किए जाने वाले आयोजना मानदंडों के आधार पर तैयार किए जा रहे हैं। इन योजनाओं को अंततः जिला मिशन/मास्टर प्लान के साथ जोड़ने का प्रावधान है। अर्थात् रुर्बन मिशन का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास करना, आधारभूत सेवाओं को बढ़ाना और सुनियोजित रुर्बन क्लस्टरों का सृजन करना है।

विज़न : अनिवार्य रूप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गांवों के क्लस्टर को 'रुर्बन गांवों' के रूप में विकसित करना है।

रुर्बन क्लस्टर का चयन : रुर्बन क्लस्टर मैदानी और तटीय क्षेत्रों में लगभग 25,000 से 50,000 आबादी वाले तथा मरूभूमि, पर्वतीय या जनजातीय क्षेत्रों में 5,000 से 15,000 तक की आबादी वाले भौगोलिक रूप से एक-दूसरे के समीप गांवों का एक क्लस्टर होगा। जहां तक संभव हो, गांवों का क्लस्टर, ग्राम पंचायतों की प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किसी एक ब्लॉक/तहसील के कार्यक्षेत्र में होंगे।

मिशन के घटक : रुर्बन मिशन के अंतर्गत, राज्य सरकार मौजूदा केंद्र प्रायोजित, केंद्रीय क्षेत्र की या राज्य सरकार की योजनाओं का निर्धारण करते हुए उनके समेकित एवं समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन के लिए उनके बीच तालमेल बिठाएगी। रुर्बन क्लस्टरों के विकास के लिए 14 घटकों का सुझाव दिया गया है जो निम्नलिखित हैं—

(i) आर्थिक कार्यकलापों से जुड़ा कौशल विकास प्रशिक्षण; (ii) कृषि संसाधन, कृषि सेवाएं, संग्रहण मालगोदाम; (iii) स्वास्थ्य संबंधी देखरेख सुविधाएं; (iv) स्कूली शिक्षा सुविधाओं का उन्नयन; (v) स्वच्छता; (vi) पाइपों द्वारा जलापूर्ति; (vii) टोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन; (viii) गांवों में गलियां एवं पक्की नालियां; (ix) स्ट्रीट लाईट; (x) गांवों के बीच सड़क संपर्क; (xi) सार्वजनिक परिवहन; (xii) एलपीजी गैस कनेक्शन; (xiii) पूर्ण डिजिटल साक्षरता; (xiv) नागरिक सेवा केंद्र—जनकेंद्रित सेवाओं/ई—ग्राम कनेक्टिविटी की इलेक्ट्रॉनिक प्रदायगी।

इसके अतिरिक्त, अगर राज्य सरकार चाहे तो किसी अन्य राज्य या केंद्र सरकार की उन अन्य योजनाओं के साथ अतिरिक्त तालमेल की व्यवस्था कर सकती हैं, जो उपरोक्त घटकों में शामिल

नहीं हैं। तालमेल संबंधी इस व्यवस्था को ग्राम पंचायतों से विधिवत परामर्श के बाद निर्धारित किया जाता है।

समेकित क्लस्टर कार्ययोजना: समेकित क्लस्टर कार्ययोजना बेसलाईन अध्ययनों पर आधारित एक मुख्य दस्तावेज होगा जिसमें क्लस्टर की जरूरतों का ब्यौरा और इन जरूरतों को पूरा करने तथा इसकी संभावनाओं को बढ़ाने वाली मुख्य पहलों को दर्शाया जाता है।

राज्य सरकार जिला कलेक्टरों/जिला परिषदों और संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के साथ गहन परामर्श करके कार्ययोजना तैयार करती है और इसमें सभी संबंधित 'स्टेक होल्डरों' की भागीदारी और उनका स्वामित्व सुनिश्चित करती है। क्लस्टर कार्ययोजना के तहत निम्न का उल्लेख होगा— (i) क्लस्टर में निर्धारित की गई प्रत्येक ग्रामसभा के लिए विज़न को समाहित करते हुए क्लस्टर की कार्यनीति; (ii) रुर्बन मिशन के तहत क्लस्टर के लिए वांछित घटक; (iii) विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र, केंद्रीय प्रायोजित और राज्य क्षेत्र की योजनाओं के तहत तालमेल किए जाने वाले संसाधन; (iv) क्लस्टर के लिए अपेक्षित आवश्यक पूरक वित्तपोषण; (v) संपूर्ण क्लस्टर के लिए एक विस्तृत स्थानिक योजना।

रुर्बन क्लस्टर के विकास को सही दिशा देने के लिए समेकित क्लस्टर कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसके अंतर्गत दो घटक होंगे— (i) सामाजिक—आर्थिक एवं संरचनात्मक घटक (ii) स्थानिक योजना घटक।

क्लस्टर के अंतर्गत आवश्यकताओं का विश्लेषण निर्धारण में कमियों या जरूरतों को दर्शाता है। इसमें चार मुख्य बातों का समावेश है— (i) क्लस्टर में समग्र विकास के लिए 14 वांछनीय घटक (ii) उन घटकों से संबंधित मौजूदा स्थिति (iii) वांछनीय—स्तर अर्थात् क्लस्टर में हस्तक्षेप के विकास का स्तर या उन वांछनीय घटक की परिवारों तक पहुंच। (iv) कमियों/आवश्यकताओं का स्तर। कमियों का स्तर ही क्लस्टर की कार्ययोजना को निर्धारित करेगा। विभिन्न स्कीमों का 'कन्वर्जेंस' तथा विभिन्न हितधारकों से सलाह—मशविरा करने के बाद ही आवश्यक पूरक वित्तपोषण (सी.जी.एफ.) का निर्धारण किया जाएगा। जैसाकि पहले भी उल्लेख किया गया है कि कार्ययोजना में कुल परिव्यय का 70 प्रतिशत वर्तमान में लागू स्कीमों के 'कन्वर्जेंस' से उपलब्ध कराया जाएगा और बाकी 30 प्रतिशत अर्थात् आवश्यक पूरक वित्तपोषण रुर्बन मिशन के द्वारा दिए जाने का प्रावधान है।

उदाहरणार्थ आर्थिक कार्यकलापों से संबंधित कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत यह माना जाता है कि क्लस्टर के कुल परिवारों में से कम से कम 70 प्रतिशत परिवारों में प्रत्येक परिवार से एक लाभार्थी होगा। इसी प्रकार डिजिटल साक्षरता के अंतर्गत प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति ई—साक्षर होगा। पानी के लिए यह माना गया है कि वर्ष भर प्रत्येक परिवार को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एल.पी.सी.डी.) स्वच्छ पेयजल मिलेगा। स्वच्छता

के अंतर्गत शत-प्रतिशत परिवारों में पारिवारिक शौचालय होगा। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए परिवार एवं क्लस्टर-स्तर पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। गांव की सभी गलियों में नालियां बनाई जाएंगी। दो या तीन गांवों पर नागरिक सेवा केंद्र बनाया जाएगा तथा प्रति गांव 1800 परिवारों पर एक एल.पी.जी. वितरण केंद्र बनाया जाएगा।

परियोजना का वित्तपोषण: क्लस्टर के लिए राज्यों द्वारा तैयार की गई और अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित की गई समेकित क्लस्टर कार्ययोजना (आई.पी.ए.पी.) के माध्यम से निर्धारित की गई आवश्यकताओं के आधार पर क्लस्टर कार्य करता है। विभिन्न केंद्र-प्रायोजित योजनाओं, केंद्रीय योजनाओं और राज्य योजनाओं से तालमेल के माध्यम से जुटाई गई निधियों को पूरा करने के लिए परियोजना लागत की अधिकतम 30 प्रतिशत राशि आवश्यक पूरक वित्तपोषण (सी.जी.एफ.) के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। मैदानी क्षेत्रों के लिए परियोजना पूंजी व्यय का 30 प्रतिशत या 30 करोड़ रुपये, जो भी कम होगा, निर्धारित किया जाएगा। मरुभूमि, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में परियोजना पूंजी व्यय का 30 प्रतिशत या 15 करोड़ रुपये, जो भी कम होगा, निर्धारित होगा।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना : विस्तृत परियोजना तैयार किए जाने और रूबन क्लस्टरों के लिए घटकों का निर्धारण कर लिए जाने के बाद रूबन मिशन के अंतर्गत क्रियान्वयन के लिए निर्धारित परियोजना घटकों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएंगी। ये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट विभिन्न अधिकारित समितियों द्वारा अनुमोदित करने का प्रावधान रूबन मिशन के तहत है।

अब तक की प्रगति : ग्रामीण विकास मंत्रालय की 2017-18 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अब तक देश में लक्षित 300 क्लस्टरों में से 276 क्लस्टरों का निर्धारण एवं अनुमोदन किया जा चुका है। 151 समेकित क्लस्टर कार्ययोजनाओं के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य अंश व सी.जी.एफ. के साथ-साथ तालमेल के माध्यम से 15,630 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है। क्लस्टरों के उचित विकास के लिए प्रस्तावित कुल निवेश का लगभग 78 प्रतिशत आर्थिक एवं आधारभूत सुविधाओं के लिए लक्षित है। कृषि सेवाओं और प्रसंस्करण तथा लघु एवं मध्यम उद्यम और पर्यटन को बढ़ावा देने वाले क्षेत्रों का कौशल विकास करना है। ज़मीनी-स्तर पर 1,500 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है। इस विनियोग में छत्तीसगढ़ राज्य में केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बाद ज़मीनी-स्तर पर सबसे अधिक व्यय किया गया है।

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के बीच सेतुकरण : रूबन मिशन के तहत जो 300 क्लस्टर विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में चिन्हित किए हैं, ये वे क्लस्टर हैं जो तुलनात्मक दृष्टि से अन्य क्षेत्रों से तो विकसित हैं, लेकिन पूर्णतया विकसित नहीं हैं। विकसित होने के बावजूद भी कुछ घटकों में कमियां रह गई

हैं जो इन गांवों को शहर जैसा बनाने में बाधक हैं। उदाहरण के लिए नगरीय क्षेत्र से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक 10 ग्राम पंचायतों का क्लस्टर है जहां पर कृषि व्यवसाय की प्रबल संभावनाएं हैं। चूंकि उन संभावनाओं को पोषित नहीं किया गया है तो वहां के अधिकतर लोगों को शहर में नौकरी करने आना पड़ता है। इस योजना के तहत उस क्लस्टर में इस तरह का विनियोग किया जा सकता है कि वहां से गेहूं बाजार में न भेजकर उसे गांव में ही 'प्रोसेस' करके आटा बनाकर व पैकिंग करके बाजार में भेजा जाए। इससे गेहूं व आटा बनाने में जो रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वे गांव वालों को मिलेंगे।

इसी प्रकार दूध का उदाहरण दिया जा सकता है, गांवों से बाजारों में दूध न भेजकर उससे बनी विभिन्न वस्तुएं जैसे- पनीर, घी आदि बाजार में जाएं।

अगर किसी कारणवश क्लस्टर के अंतर्गत पर्यटन का 'स्कोप' है तो वहां पर उसे विकसित कर रोजगार सृजन किए जा सकते हैं।

गांवों में स्वच्छता हो, उसके लिए पशुओं के 'अपशिष्ट' से कम्पोस्ट खाद तैयार की जा सकती है। गांवों के अंदर 'ड्रेनेज' का प्रावधान, 'स्ट्रीट लाईट' का प्रावधान किया जा सकता है। बिजली का उत्पादन 'सौर ऊर्जा' के द्वारा किया जा सकता है।

मान लीजिए एक क्लस्टर के अंतर्गत सभी सुविधाएं हैं, लेकिन 'स्ट्रीट लाईट' नहीं है तो गांव का 'शिक्षित वर्ग' वहां से पलायन करेगा। ऐसे ही अगर उचित शिक्षा नहीं है तो अपने बच्चों के विकास के लिए लोग शहर की ओर भागेंगे। इन सभी तरह की समस्याओं का समाधान 'रूबन' मिशन करता है।

इस कार्यक्रम का अनूठा प्रावधान आवश्यक पूरक वित्तपोषण है। अगर किसी क्लस्टर का कुल विनियोग 100 करोड़ रुपये है तो उसमें 70 प्रतिशत योगदान विभिन्न योजनाओं के समायोजन से होगा एवं 30 प्रतिशत आवश्यक पूरक वित्तपोषण से होगा। यह 30 प्रतिशत किसी सीमाओं से नहीं जुड़ा और न प्रतिबंधित है। क्लस्टर के अंतर्गत किसी भी घटक में यदि वित्त की कमी है तो इससे पूरा किया जा सकता है। अर्थात् जहां पर 'गैप' है उसे इससे भरा जा सकता है और विभिन्न क्लस्टरों में भरा जा रहा है।

इसी प्रकार शिक्षा का विकास किया जा सकता है। उदाहरण के लिए क्लस्टर में एक 'स्मार्ट-क्लास' शुरू करनी है। इस कार्य के लिए अमुक बजट सरकार से स्कीम के तहत उपलब्ध है लेकिन क्लास को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 50 लाख विनियोग की जरूरत है। वह 50 लाख आवश्यक पूरक वित्तपोषण से पूरा किया जा सकता है। इस तरह के उदाहरण विभिन्न क्लस्टरों के विभिन्न प्रकार के होंगे जिनको इस योजना के अंतर्गत पूरा किया जा सकता है। लेखक का स्वयं का अनुभव है कि एक क्लस्टर में ग्रामीण प्राइमरी स्कूल में कमरे बनवाना चाह रहे थे ताकि बच्चों के लिए पर्याप्त कक्ष हों एवं अध्यापकों के लिए भी बैठने की उचित व्यवस्था हो। गांव वालों ने यह लिखवा दिया था कि यदि 2 कमरे

बनते हैं तो चारदीवारी के लिए वे एक लाख रुपये अपने पास से देंगे।

इस प्रकार इस स्कीम के माध्यम से लोगों की भागीदारी भी प्रमुख रूप से सुनिश्चित होती है। अतः गांवों की अनेक कमियों का इलाज इस स्कीम के माध्यम से हो रहा है।

रुर्बन मिशन द्वारा सतत विकास ध्येयों को प्राप्त करने के प्रयास : सतत विकास ध्येयों को प्राप्त करने की ओर रुर्बन मिशन एक प्रभावी कार्यक्रम है। आइए अब बात करते हैं कि सतत विकास लक्ष्यों को रुर्बन मिशन किस प्रकार प्राप्त करने में सहायक है।

ध्येय एक एवं ध्येय दो के अनुसार गरीबी को 15 वर्षों में हटाना एवं भूखमरी व कुपोषण को दूर करना है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रुर्बन मिशन के तहत आर्थिक कार्यकलापों से जुड़ा कौशल विकास प्रशिक्षण एवं कृषि संसाधन, कृषि सेवाएं, संग्रहण आदि घटक हैं। इन घटकों के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा रहा है। कृषि की पैदावार बढ़ाने और बढ़ी पैदावार को सीधे बाजार में न भेजने की बजाय उसे 'प्रोसेस' करके मूल्य संवर्धन करना है, जिससे स्थानीय-स्तर पर रोजगार बढ़े, लोगों की आय बढ़े, ताकि वे गरीबी, भूखमरी एवं कुपोषण पर प्रहार कर सकें।

तीसरा सतत विकास का ध्येय है, स्वस्थ एवं कुशलता से रहना। यह तभी संभव है यदि स्वास्थ्य सेवाएं उचित मात्रा में उपलब्ध हों। रुर्बन मिशन के तहत स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं एक महत्वपूर्ण घटक है जो ग्रामीण समाज के स्वास्थ्य के मुद्दों को संबोधित करता है। रुर्बन मिशन के तहत प्रचलित 'नोर्म' के आधार पर देखा जाता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या को मद्देनजर रखकर कितनी उपलब्ध हैं और कितनी होनी चाहिए। यदि इन दोनों में कुछ अंतर है तो उसको इस कार्यक्रम के अंतर्गत भरा जाता है। इस प्रकार यह कार्यक्रम चयनित क्लस्टर में उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है।

चौथा ध्येय कौशल में विकास पर केंद्रित करता है ताकि मानव संसाधनों का उचित विकास हो एवं वे अपनी कार्यकुशलता बढ़ाकर आगे बढ़ें। वास्तव में 'रुर्बन मिशन' इस ध्येय पर 'फोकस' करता है।

पांचवां ध्येय महिला सशक्तिकरण पर फोकस करता है। रुर्बन मिशन के तहत पंचायतों की प्रभावी भागीदारी है। इन पंचायतों में एक तिहाई सदस्य एवं अध्यक्षों के पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार लगभग 10 लाख के करीब महिलाएं पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही हैं। अतः उनकी रुर्बन मिशन के अंतर्गत भागीदारी है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्कीमों जैसे एन.आर.एल.एम. के तहत महिलाओं के स्वयंसहायता समूह बनाने का प्रावधान है। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं आमदनी बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्य कर रही हैं, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर पंचायतों में प्रभावी भागीदार होकर उभर रही हैं।

छठा ध्येय स्वच्छता, जलापूर्ति एवं ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है। यह भी रुर्बन मिशन के लिए घटक हैं तथा गांव के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार सातवां ध्येय ऊर्जा के ऊपर है, रुर्बन मिशन के तहत ऊर्जा को सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का प्रयास है। इस तरह ध्येय आठ एवं नौ रोजगार के अवसरों का विकास एवं संरचनात्मक विकास करना है। ये दोनों भी रुर्बन मिशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण घटक हैं जैसे पहले भी यह उल्लेख किया गया है। रुर्बन मिशन के अंतर्गत प्रस्तावित कुल विनियोग का लगभग 78 प्रतिशत आर्थिक एवं आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए लक्षित है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सतत विकास ध्येयों को रुर्बन मिशन के तहत 'फोकस' किया जा रहा है।

इसी प्रकार अन्य ध्येयों को भी रुर्बन मिशन के तहत 14 घटक समाहित करते हैं और इन ध्येयों को पूरा करने का प्रयास करते हैं।

निष्कर्ष : उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि रुर्बन मिशन ग्रामीण एवं नगरीय दूरी को पाटने का एक प्रभावी प्रयास है। यह एक ऐसा प्रयास है कि लोग अपनी जड़ों को खोए बिना अपना सतत विकास कर सकते हैं। यह प्रयास पलायन को भी रोकता है। वास्तव में अगर देखें तो नगरीय क्षेत्र का गरीब, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करने वाला गरीब ही तो है। अगर गांव में ही शहरी सुविधाएं और रोजगार उपलब्ध हो जाएं तो फिर गांवों को छोड़ने की क्या जरूरत है।

हां, रुर्बन मिशन का क्रियान्वयन उचित प्रकार से हो इसके लिए क्लस्टरों का चयन उचित प्रकार से मापदंडों के आधार पर हो एक उनके चयन पर राजनैतिक दबाव कतई नहीं होना चाहिए। दूसरे, राज्य जिला एवं क्लस्टर-स्तर पर क्रियान्वयन के लिए सुझाया गया वांछनीय ढांचा होना जरूरी है, अन्यथा यह स्कीम भी अन्य स्कीमों के जैसी बनकर रह जाएगी और इस प्रकार अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएगी। तीसरे, अधिकतर सरकार में स्कीमों के संबंध में अपनी-अपनी डफली और अपना-अपना राग वाली कहावत चरितार्थ है। मिशन का 'कन्वर्जेंस' मूलमंत्र है। इसके लिए नौकरशाही को अपनी रोजमर्रा की बातों से बाहर निकलकर 'इन्नोवेटिव' रूप से सोचने की जरूरत है। चौथे, रुर्बन मिशन को लागू करने में पंचायतों की अहम भूमिका है। अगर पंचायतों के पास वांछनीय संरचना जैसे कार्यालय भवन एवं कर्मि आदि नहीं हैं तो वे कैसे इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू कर पाएंगी। अतः इन संस्थाओं का 'पूर्तिपक्ष' मजबूत करने की जरूरत है।

अतः रुर्बन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में वांछनीय सुविधाएं एवं संरचनात्मक विकास करके गांवों को नगरीय स्तर पर लाने के साथ-साथ सतत विकास ध्येयों को पूरा करने के लिए एक प्रभावी प्रयास है। बस जरूरत है तो इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करने की है। उसके लिए उपरोक्त सुझावों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है।

(लेखक भारतीय आर्थिक सेवा के पूर्व अधिकारी हैं।)

ई-मेल : mpal1661@gmail.com

ग्रामीण भारत को जोड़ता डिजिटल इंडिया

—डॉ. रोली रघुवंशी
—डॉ. आदित्य पी. त्रिपाठी

ग्रामीण भारत के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समुचित प्रयास किए जा रहे हैं और उनके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं किंतु सभी योजनाओं की सार्थकता उनके सफल क्रियान्वयन में निहित है और इसके लिए डिजिटल इंडिया को ग्रामीण भारत तक पहुंचाना न केवल आवश्यक अपितु अपरिहार्य है। वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को 3073 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जोकि गत वर्ष की तुलना में दोगुना है और यह सरकार की इस योजना के प्रति प्रतिबद्धता का परिचायक है। प्रस्तुत लेख का उद्देश्य उन तथ्यपरक बिंदुओं पर विचार करना है जो डिजिटल इंडिया से डिजिटल गांव की यात्रा में अवरोधक बने हुए हैं ताकि सरकार द्वारा इस दिशा में सुधारात्मक उपाय किए जा सकें और भारत डिजिटल रूप से सशक्त समाज के रूप में स्वयं को स्थापित करने के अपने उद्देश्य को सही मायनों में प्राप्त कर सके और ग्रामीण विकास की समस्त योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जा सके।

गांव बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, जैसे नारे के साथ सुखी एवं समृद्ध गांव को राष्ट्र के विकास के एक घटक के रूप में माना जाना एक स्वप्न ही था जिसे वर्तमान सरकार विभिन्न पुरानी योजनाओं के परिमार्जन एवं नवीन योजनाओं को आरंभ करके सिद्ध करने का प्रयास कर रही है। ये योजनाएं समयबद्ध तरीके से ग्रामीण आधारभूत संरचना में बदलाव लाने पर केंद्रित हैं और सभी को आवास प्रदान करने, देश के समस्त गांवों को संपर्क मार्ग से जोड़ने तथा ग्रामीण जनता की आय को वर्ष 2022 तक दुगुना करने जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने हेतु संकल्पित हैं। यद्यपि ग्रामीण भारत के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से

समुचित प्रयास किए जा रहे हैं और उनके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं किंतु सभी योजनाओं की सार्थकता उनके सफल क्रियान्वयन में निहित है और इसके लिए डिजिटल इंडिया को ग्रामीण भारत तक पहुंचाना न केवल आवश्यक अपितु अपरिहार्य है।

महात्मा गांधी ने कहा था कि 'भारत की आत्मा इसके गांवों में बसती है।' इस कथन के आलोक में यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्या डिजिटल इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी एवं जन-सुविधा केंद्रित योजना का लाभ भारत की आत्मा तक पहुंच पाया है?

भारत मूलतः एक ग्राम प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 68.8



सारणी-1 : ग्रामीण भारत का शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP) एवं कार्यशील जनसंख्या में योगदान

वर्ष	आय में हिस्सा	कार्यशील जनसंख्या (प्रतिशत में)
1970-71	62.4%	84.1%
1980-81	58.9%	80.8 %
1993-94	54.3%	77.8%
1999-2000	48.1%	76.1%
2004-2005	48.1%	74.6%
2011-2012	46.9%	70.9%

स्रोत : भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बदलता ढांचा; रोजगार और वृद्धि पर प्रभाव पर परिचर्चा-पत्र, पेज-3, 2017 रमेशचंद्र, नीति आयोग

प्रतिशत गांवों में निवास करता है और देश की कुल कार्यशील जनसंख्या का 72.4 प्रतिशत भी ग्रामीण क्षेत्रों से ही आता है। यद्यपि बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण कुल जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या एवं देश की जीडीपी में ग्रामीण क्षेत्र की भागीदारी वर्ष-दर-वर्ष कम हुई है (सारणी-1) किंतु फिर भी समग्र रूप से ग्रामीण क्षेत्र का योगदान भारत को आज भी ग्राम प्रधान देश बनाता है।

जनसंख्या के अनुमान यह बताते हैं कि वर्ष 2050 तक भारत अधिकाधिक रूप से ग्रामीण देश की श्रेणी में ही चलता रहेगा क्योंकि वर्ष 2050 के बाद शहरी जनसंख्या ग्रामीण से ज्यादा हो जाएगी (यूनाइटेड नेशंस, 2012)।

भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र के योगदान के आंकड़े इस बात को सिद्ध करते हैं कि ग्रामीण भारत का विकास एवं अभिवृद्धि देश के समग्र एवं समावेशी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

शहरी इंडिया बनाम ग्रामीण भारत : गौरवशाली सफलता के बीच अभाव एवं निराशा

जनवरी 2018 के अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के विकास दर अनुमानों के अनुसार भारत अगले दो वर्षों तक विश्व की सबसे तेज विकास दर वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरकर सामने आया है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की विकास दर वर्ष 2018 में 7.4 प्रतिशत तथा 2019 में 7.8 प्रतिशत रहने की संभावना है, जोकि वैश्विक विकास दर 3.9 प्रतिशत से लगभग दोगुनी है।

प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता के वैश्विक इंडेक्स 2018 में भारत ने इस वर्ष सुधार के साथ विश्व में 81वां स्थान हासिल किया है जोकि वर्ष 2017 में 92वें स्थान पर था। यद्यपि इस अनुसूची में इस वर्ष भी उच्च आय वाले देशों का दबदबा बरकरार रखते हुए स्विट्ज़रलैंड प्रथम स्थान पर रहा, किंतु भारत की यह 11 अंकों की छलांग संपूर्ण भारत वर्ष के लिए गौरव का विषय है।

सरकारी कामकाज में यदि विश्वास की बात की जाए तो भारत की गणना विश्व के शीर्ष तीन देशों में की जाने लगी है (ग्लोबल ट्रस्ट इंडेक्स 2018), और चीन तथा इंडोनेशिया के बाद 68 अंकों के साथ भारत ने स्वयं को वैश्विक-स्तर पर सम्मानजनक रूप में स्थापित किया है। यह रैंकिंग इस बात को सिद्ध करती है कि वर्तमान सरकार के डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी जैसे कड़े सुधारात्मक उपायों को वैश्विक-स्तर पर कुछेक अवरोधों के साथ समर्थन भी प्राप्त हुआ है।

इन सभी सकारात्मक संकेतों से मध्य भारत तो आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहा है लेकिन यहां यह जानना अत्यावश्यक है कि देश का वह हिस्सा जिसे हम वास्तविक भारत (ग्रामीण) कहते हैं, उसकी प्रगति किस स्तर तक पहुंची है।

क्रेडिट सुईस ग्लोबल वेल्थ डाटा 2017 के अनुसार भारत के अत्यधिक धनी एक प्रतिशत लोग यहां की कुल सृजित संपदा के 73 प्रतिशत भाग पर कब्जा बनाए हुए हैं, जोकि इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारा विकास समावेशी नहीं है। यह स्थिति और चिंताजनक इसलिए हो जाती है क्योंकि गत वर्ष के सर्वेक्षण में सिर्फ एक प्रतिशत लोगों के पास 58 प्रतिशत संपदा थी। यानी गरीब और अत्यधिक धनी के बीच की खाई और बढ़ी है।

ऑक्सफेम इंडिया के सर्वेक्षण 2017 के अनुसार भारत की 67 करोड़ जनता जो कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत अति-निर्धन वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, उनकी कुल संपत्ति में एक वर्ष में सिर्फ एक प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यदि ग्रामीण मजदूर की न्यूनतम मजदूरी की तुलना भारत के किसी शीर्षस्थ गारमेंट फर्म के उच्चस्थ एग्जीक्यूटिव की वार्षिक आय से की जाए तो यह पता चलता है कि ग्रामीण मजदूर को उस आय तक पहुंचने में 941 वर्ष लगेंगे। इस समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है और वह है समावेशी विकास की नीति अर्थात् निम्न आय वर्ग के लोगों की आय को बढ़ाने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। अब वो चाहे श्रम-प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देकर किया जाए ताकि रोजगार का सृजन हो सके या फिर कृषि में सरकारी निवेश के साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से लागू करके।

चुनौतियों के मध्य समावेशी विकास के अवसर

इन चुनौतियों का अर्थ कदापि यह नहीं है कि ग्रामीण भारत कभी शहरी भारत की तरह नहीं बन पाएगा। यदि आवश्यकता है तो वह समस्याओं की पहचान करने और उनके समुचित समाधान हेतु कदम उठाने की।

यदि हम स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्ष से देखें तो ग्रामीण भारत का समुचित विकास न हो पाने के पीछे एक जो मुख्य कारण सामने आता है, वह ग्रामीण परिवेश में आधारभूत संरचना का अभाव रहा है। वर्तमान सरकार के ग्रामीण विकास हेतु किए गए प्रयासों, योजनाओं एवं उनके परिणामों की तरफ देखें तो एक उत्साहवर्धक चित्र सामने आता है जो इस बात को सिद्ध करता है कि यदि

संकल्प है तो सिद्धि अवश्य मिलेगी। योजनाएं तो पहले भी बहुत बनायी गईं किंतु उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष विज्ञान का प्रयोग शायद पहली बार किया गया है और उसके परिणाम भी सकारात्मक आ रहे हैं।

‘गांव बढ़ेगा, देश बढ़ेगा’ जैसे नारे के साथ सुखी एवं समृद्ध गांव को राष्ट्र के विकास के एक घटक के रूप में माना जाना एक स्वप्न ही था जिसे वर्तमान सरकार विभिन्न पुरानी योजनाओं के परिमार्जन एवं नवीन योजनाओं को आरंभ करके सिद्ध करने का प्रयास कर रही है। ये योजनाएं या तो समयबद्ध तरीके से ग्रामीण आधारभूत संरचना में बदलाव लाने पर केंद्रित हैं या फिर सभी को आवास प्रदान करने, देश के समस्त गांवों को संपर्क मार्ग से जोड़ने तथा ग्रामीण जनता की आय को वर्ष 2022 तक दुगुना करने जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने हेतु संकल्पित हैं।

यदि हम ग्रामीण भारत की आधारभूत संरचना में आए बदलावों की समीक्षा करें, तो आधिकारिक रूप से वर्ष 2014-2017 के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनसे ग्रामीण अधःसंरचना के विभिन्न आयामों

से संबंधित जो तथ्य सामने आए हैं उन्हें सारणी-2 में दर्शाया गया है। विश्लेषण हेतु कुछ योजनाएं चुनी गई हैं।

डिजिटल इंडिया से डिजिटल भारत तक

भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-केंद्रित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार ने ‘डिजिटल इंडिया’ जैसी महत्वाकांक्षी योजना को वर्ष 2015 में लागू किया।

यदि हम ई-गवर्नेंस प्रयासों की समीक्षा करें तो पता चलता है कि मध्य 90 के दशक में नागरिक सेवाओं को इसके दायरे में लाकर इसे और प्रभावी बनाने का प्रयास आरंभ हुआ। तदंतर बहुत से राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने भी अनेकानेक ई-गवर्नेंस योजनाएं शुरू की और राष्ट्रीय-स्तर पर वर्ष 2006 में नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान की घोषणा की गई। बावजूद इसके कि ये सब योजनाएं नागरिक-अभिमुखी थीं, फिर भी इनके वांछित प्रभाव नहीं मिल सके।

कालांतर में ऐसा महसूस किया गया कि देश में समावेशी

सारणी -2 : ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास पर केंद्रित योजनाएं एवं उनकी उपलब्धियां : एक दृष्टि में

ग्रामीण आधारभूत संरचना के आयाम	योजना का नाम	उपलब्धि
सड़क	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	वर्ष 2011-14 के सड़क निर्माण के 730 किलोमीटर प्रतिदिन की गति की तुलना में वर्ष 2016-17 में 130 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से सड़क निर्माण। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-18 मध्य 1,69,408 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य संपन्न।
आवास	प्रधानमंत्री आवास योजना	वर्ष 2019 तक 1 करोड़ आवास निर्मित करने का लक्ष्य।
रोजगार	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	वर्ष 2016-17 में 57512 करोड़ का खर्च जोकि इस योजना के आरंभ से लेकर अब तक की सर्वाधिक रकम है। लगभग 68 प्रतिशत राशि कृषि एवं सहायक क्रियाओं हेतु खर्च की गई है। वर्ष 2015-17 में लगभग 90 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन। वर्ष 2016-17 में योजना के अंतर्गत सृजित 1.23 करोड़ संपत्तियों की जियो टैगिंग करके योजना को और पारदर्शितापूर्ण बनाया गया है।
कौशल विकास	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	वर्ष 2016-17 में 162586 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण। 654 प्रशिक्षण केंद्र जो 329 प्रकार के जॉब हेतु प्रशिक्षित कर रहे हैं।
आदर्श गांव की कल्पना को मूर्त रूप	सांसद आदर्श ग्राम योजना	23 मई 2017 तक प्रथम एवं द्वितीय चरण में सांसदों द्वारा क्रमशः 703 एवं 314 ग्राम पंचायतों को अपनाया गया। अपने आप में वर्ष 2014 में आरंभ यह एक अनोखी योजना है जो सांसदों को ग्रामीण विकासोन्मुख बनाती है।
ग्रामीण क्लस्टर का निर्माण	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (2016)	<ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 300 रुर्बन क्लस्टर का सृजन करना है ताकि इनमें आधारभूत, आर्थिक, सामाजिक एवं डिजिटल अंतरालों को समाप्त किया जा सके। 28 राज्यों द्वारा इस योजना को लागू कर लिया गया है और प्रथम चरण में 98 क्लस्टर हेतु कोष निर्गत किए जा चुके हैं। इस योजना हेतु आवंटित 300 करोड़ रुपये राज्यों को निर्गत किए जा चुके हैं और इसमें 100 प्रतिशत की वृद्धि करके इसे 600 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

स्रोत : ये आंकड़े ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संकलित और प्रकाशित ‘सतत ग्रामीण विकास : तीन वर्ष में की गई पहल और उपलब्धियां रिपोर्ट’ में से लिए गए हैं। इसका वेबपता है- <https://rural-nic-in/sites/default/files/English%20Book%20%20year%20Achievement%20opt.pdf>

सारणी -3 : डिजिटल इंडिया कार्यक्रम : वर्ष 2015 में आम नागरिक की दृष्टि में

कुल निवेश का आकार : 4.5 लाख करोड़ (भारतीय कंपनियों द्वारा) –वर्ष 2015 100,000 करोड़ रुपये की कार्यशील योजनाएं 13,000 करोड़ रुपये की नवीन योजनाएं एवं कार्य			
1.	2.5 लाख गावों में ब्रॉडबैंड सुविधा	2.	4,00,000 सार्वजनिक इंटरनेट सुविधा पॉइंट
3.	सार्वभौमिक फोन कनेक्टिविटी	4.	2.5 लाख स्कूलों एवं समस्त विश्वविद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा
5.	नागरिकों के लिए सार्वजनिक हॉट-स्पॉट्स	6.	वर्ष 2020 तक नेट जीरो आयात
7.	रोजगार सृजन : प्रत्यक्ष : 1.7 करोड़ अप्रत्यक्ष : 8.5 करोड़	8.	डिजिटल समावेश (इन्क्लूजन) 1.7 करोड़ लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी ,टेलिकॉम एवं इलेक्ट्रॉनिक नौकरियों हेतु प्रशिक्षित करना।
9.	डिजिटली सशक्त नागरिक	10.	ई-गवर्नमेंट एवं ई-सेवाएं

##उपरोक्त आंकड़े वर्ष 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत के समय विभिन्न समाचार-पत्रों एवं सोशल मीडिया में प्रकाशित विज्ञापनों से संकलित किए गए हैं और आम जनमानस को इससे होने वाले लाभों की व्याख्या करते हैं ।

विकास को प्रोत्साहित करने हेतु ई-गवर्नेंस की प्रभावशाली उपस्थिति न सिर्फ आवश्यक अपितु अपरिहार्य है। सार्वजनिक सेवाओं की संपूर्ण संरचना को सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा परिमार्जित, संशोधित एवं नागरिक-अभिमुखी बनाने हेतु वर्तमान सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2015 में की ताकि भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज के रूप में स्थापित किया जा सके।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जोकि नौ महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित होकर कार्यशील है, उसकी सफलता के आंकड़े प्रति पल इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य को मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं। यदि हम 2015 से आरंभ करें तो जिन प्रमुख दृष्टिमान लक्ष्यों के साथ इसे शुरू किया गया था, उसे सारणी-3 से समझा जा सकता है।

समावेशी विकास एवं डिजिटल इंडिया

भारत का समावेशी विकास तभी हो सकेगा जब समस्त सुविधाएं सीमांत व्यक्ति / नागरिक तक पहुंचेंगी और इन्हें पहुंचाने के लिए न सिर्फ सरकारी तंत्र एवं व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है अपितु नागरिकों को इसकी सूचना और इन सुविधाओं तक पहुंचने हेतु आवश्यक कौशल प्रदान करने की भी आवश्यकता है। डिजिटल इंडिया निश्चित रूप से सरकारी सुविधाओं/सेवाओं को उसके असली हकदार तक पहुंचाने के एकमात्र माध्यम के रूप में सामने आया है। ऐसे में इस कार्यक्रम को भारत के गांवों तक पहुंचाना न सिर्फ आवश्यक बल्कि अपरिहार्य है। यद्यपि डिजिटल इंडिया के तीनों ही आधारभूत स्तंभों को प्रभावी रूप से ग्रामीण भारत में लागू करने की जरूरत है किंतु मोबाइल और बिजली की सुविधा यदि भारत के हर गांव तक पहुंचा दी जाए तो शायद समस्या का समाधान काफी हद तक हो जाएगा। डिजिटल इंडिया को डिजिटल भारत तक पहुंचाना क्यों आवश्यक है, इसके लिए निम्न तथ्य विचारणीय हैं :

यदि हम इंटरनेट पेनेट्रेशन की बात करें तो आंकड़े बताते हैं

कि दिसंबर 2017 में शहरी भारत में इंटरनेट पेनेट्रेशन 59 प्रतिशत रहा है और ग्रामीण भारत में यह प्रतिशत मात्र 18 प्रतिशत है।

आइएएमएआई की भारत में इंटरनेट 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण एवं शहरी भारत में इंटरनेट यूसेज में काफी बड़ा अंतराल पाया गया है जोकि ग्रामीण भारत के तकनीकी पिछड़ेपन का प्रमाण है। रिपोर्ट इस बात का भी सुझाव देती है कि भविष्य में जो भी नीतियां बनाई जाएं उनमें इस डिजिटल अंतराल को दूर करने हेतु समुचित प्रयास किए जाने चाहिए।

2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत जिसकी जनसंख्या 91.8 करोड़ अनुमानित की गई थी, इसमें से सिर्फ 18.6 करोड़ लोग ही इंटरनेट का प्रयोग करते हैं अर्थात 73.2 करोड़ ग्रामीण लोग आज भी इंटरनेट सेवा से दूर हैं जोकि चिंता का विषय है।

दिसंबर 2017 में भारत में कुल इंटरनेट प्रयोग करने वालों की संख्या 48.1 करोड़ अनुमानित थी जोकि 2016 की संख्या से 11.34 प्रतिशत ज्यादा है, और ऐसा अनुमानित है कि जून 2018 तक यह संख्या 50 करोड़ हो जाएगी। यदि संपूर्ण भारत की बात करें तो कुल जनसंख्या के 35 प्रतिशत लोग ही इंटरनेट का प्रयोग करते हैं और इनमें भी कुल संख्या का 60 प्रतिशत भाग युवा वर्ग के हिस्से में है। यहां प्रयास यह होना चाहिए कि प्रत्येक आयु वर्ग तक डिजिटल सुविधाओं की पहुंच हो।

दूसरी प्रमुख समस्या ग्रामीण विद्युतीकरण की रही है, जिस पर वर्तमान सरकार ने काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। यदि आंकड़ों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत ने वर्ष 2000 से विद्युतीकरण में काफी प्रगति की है और वर्ष 2016 में कुल जनसंख्या के 82 प्रतिशत लोगों तक बिजली पहुंचा दी गई है। हमारा व्यक्तिगत विचार यह है कि आंकड़ों पर संदेह करने और विद्युतीकरण की परिभाषा पर प्रश्न उठाने की बजाय हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सरकार लगातार इस दिशा



में प्रयासरत रहे और यदि प्रयास हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी।

चुनौतियां एवं सुझाव

डिजिटल इंडिया से डिजिटल गांव तक की यात्रा में कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं जिनकी चर्चा यहां की गई है ताकि उन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करके इस महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप दिया जा सके।

- **सरकारी 'प्रस्ताव हेतु अनुरोध' में निजी क्षेत्र की रुचि न होना :** डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की धीमी रफ्तार का एक प्रमुख कारण अधःसंरचना का विलंबित विकास है। निजी क्षेत्र अपनी रुचि इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि ये प्रस्ताव वाणिज्यिक प्रतिफल प्रदान करने में समर्थ नहीं हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि विकास के पीपीपी मॉडल को बढ़ावा दिया जाए और स्टार्टअप को ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया के अंतर्गत डिजिटल साक्षरता और आधार संरचना हेतु विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। यदि निजी क्षेत्र भी अपनी भागीदारी दे, न्यूनतम समय में इस कार्यक्रम के वंचित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी को हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक की टीम द्वारा नवंबर 2016 में लिए गए एक संकल्प के अंतर्गत 100 दिनों में देश के 17 राज्यों के 100 गांवों को पूर्णतः डिजिटल बनाया गया।
- दूसरा प्रमुख अवरोध मेट्रो शहरों, महानगरों, नगरों एवं **ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अंतराल** का है। आज भी भारत में लगभग 55,000 ऐसे गांव हैं जहां मोबाइल की सुविधा उपलब्ध

नहीं है (एसोचैम डेलोयटे रिपोर्ट, जनवरी 2017) और इसका एकमात्र कारण यह है कि मोबाइल सेवाप्रदाता को इन क्षेत्रों में सेवा देने की लागत उसकी आय से काफी ज्यादा होगी। इस रिपोर्ट की मानें तो अंतरराष्ट्रीय मानक जो यह कहता है कि प्रति 150 लोगों पर एक वाई-फाई हॉटस्पॉट होना चाहिए और तदनु रूप भारत में 80 लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट्स की आवश्यकता है जबकि अभी हमारे पास सिर्फ 31,000 हॉटस्पॉट्स उपलब्ध हैं। ये आंकड़े यह बताते हैं कि आधारभूत संरचना को और मजबूत किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया वास्तव में समय की मांग थी जिसको सरकार ने समझा और इसे मूर्त रूप देने के लिए एक संगठित प्रयास किया ताकि भारत को एक ज्ञान अभिमुखी अर्थव्यवस्था जो डिजिटल रूप से भी सशक्त हो, के रूप में स्थापित किया जा सके। इस योजना से जन सेवाओं में एक दृष्टिगत क्रांति आई है और वैश्विक-स्तर पर सरकारी कामकाज में लोगों के विश्वास में आशातीत वृद्धि हुई है। आवश्यकता इस बात की है कि इस क्रांति को भारत के दूरदराज के गांवों तक शीघ्रता से पहुंचाया जाए जिससे समग्र एवं समावेशी विकास के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। ग्रामीण विद्युतीकरण में सरकार की सफलता इस बात को सिद्ध करती है कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो सिद्धि अवश्य मिलेगी।

संदर्भ

- एडेलमैन ट्रस्ट बेरोमीटर ग्लोबल रिपोर्ट 2018, एडेलमैन द्वारा प्रकाशित <http://cms.edelman.com/sites/default/files/201802/2018-Edelman-Trust-Barometer-Global-Report-FEB.pdf>
- ऑक्सफैम इंडिया सर्वे 2017 के अंश, इंडियन एक्सप्रेस, 23 जनवरी, 2018 नई दिल्ली संस्करण, पेज नं. 19 पर प्रकाशित
- ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2017 (आठवां संस्करण) (क्रेडिट सयूजे) ऑनलाइन 20 अप्रैल, 2018 को इस वेब पते पर <http://publications.credit-suisse.com/index.cfm/publikationen-shop/research-institute/global-wealth-report-2017-en/> access किया।
- इंटरनेट इन इंडिया 2017 रिपोर्ट, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) और KANTAR-IMRB.
- समावेशी ग्रामीण विकास (3 वर्षों की पहल और उपलब्धियां) पर भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रकाशित। 10 जून, 2018 को वेब पते <https://rural.nic.in/sites/default/files/English%20Book%203%20year%20Achievement%20opt.pdf> पर access किया।
- द ग्लोबल टेलेंट कंपीटिटिवनेस इंडेक्स, INSEAD (2018), द्वारा 2018 में प्रकाशित, द एडेको ग्रुप एवं टाटा कन्सल्टिंग, फॉन्टेनब्लू, फ्रांस। वेब पता <https://gtcistudy.com/wp-content/uploads/2018/01/GTCI-2018-web.r1-1.pdf>
- यूनाइटेड नेशंस (2012) 'वर्ल्ड अर्बनाइज़ेशन प्रोस्पेक्ट्स, द 2011 रिवीज़न' ST/ESA/SER.A/322, आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग, पोपुलेशन डिवीजन, न्यूयॉर्क।
(लेखक द्वय दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल कॉलेज (सांध्य), के वाणिज्य विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं।)
ई-मेल : roliraghuvanshi@gmail.com,
lkaditya1982@gmail.com

कौशल विकास से बढ़ेंगे रोजगार

—गजेंद्र सिंह 'मधुसूदन'

मैकिन्सकी की रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक विश्व में स्वचालन के कारण 40-80 करोड़ लोग अपने रोजगार गंवा देंगे। उन्हें कोई दूसरा काम ढूँढने के लिए नए प्रकार के कौशल एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। इस परिपेक्ष्य में तकनीकी स्थिति, अनुकूल जनसांख्यिकीय उपलब्धता के संरचनात्मक लाभ को देखते हुए तकनीकी कौशल के क्षेत्र में भारत अग्रणी हो सकता है। कौशल विकास कार्यक्रम के द्वारा भारत अपने 95.3 प्रतिशत अकुशल श्रमबल को संपूर्ण तो नहीं पर अधिकांश को अत्याधुनिक और प्रतियोगिता के लायक बना सकता है।

अर्थव्यवस्था का विवेकीकरण करने, विकास प्रक्रिया को नव-प्रवर्तित करने, निर्माण और विनिर्माण की उत्पादकता बढ़ाने और उत्पादन की लागत घटाने के साथ विकास को अनवरत बनाए रखने के लिए हमेशा कौशलपूर्ण मानवशक्ति की आवश्यकता होती है। कौशल, किसी भी देश की आर्थिक संवृद्धि एवं सामाजिक विकास का स्वचालित इंजन है, यदि यह मानकीकृत हो जाए और युवाओं की स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय-स्तर पर रोजगार अवसरों तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौशल प्रोन्नयन की कार्यनीति 'एक राष्ट्र एक मानक' पर आधारित हो और प्रशिक्षण की गुणवत्ता का मापन व्यावहारिक धरातल पर कार्य करने के दौरान कार्यक्षमता, उपलब्धियों व प्रशिक्षुओं की रोजगार प्राप्ति की क्षमताओं के आधार पर किया जाए तो विकास प्रक्रिया और मानव संसाधन आयोजन की तमाम समस्याएं अनायास सुलझ जाती हैं क्योंकि कुशल व्यक्ति विकास का स्वप्रेरित साधन होता है जिसमें उद्यमीय योग्यता, प्रबंधकीय दक्षता, नेतृत्व की सामर्थ्य, समायोजन की शक्ति, कार्यकारिता की प्रवृत्ति और नवप्रवर्तन की अभिवृत्ति धारित करने की क्षमता होती है, जो रेगिस्तान को भी नखलिस्तान में तब्दील कर सकती है।

तकनीकी कौशल विकास की आवश्यकता:— विश्व की पहली औद्योगिक क्रांति में भाप के इंजन ने कई यांत्रिक उत्पादों का अविष्कार किया। जब दूसरी औद्योगिक क्रांति हुई, तब विद्युत के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका। जहां 1960 ई. के पश्चात् आई तीसरी औद्योगिक क्रांति ने कम्प्यूटर, डिजिटल तकनीक और इंटरनेट के द्वार खोले, वहीं वर्तमान दौर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का है। इस चौथी औद्योगिक क्रांति से निर्माण के परंपरागत तरीकों एवं सेवा-आधारित उद्योगों में ऐसा उलटफेर होने वाला है,

जिसका अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि यह औद्योगिक क्रांति ऐसी तकनीकों से परिपूर्ण होगी, जो उत्पादन, निर्माण, विनिर्माण के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने वाली है। इसके चलते रोजगार पर गहन दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका है। मैकिन्सकी की रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक विश्व में स्वचालन के कारण 40-80 करोड़ लोग अपने रोजगार गंवा देंगे। उन्हें कोई दूसरा काम ढूँढने के लिए नए प्रकार के कौशल एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। इस परिपेक्ष्य में तकनीकी स्थिति, अनुकूल जनसांख्यिकीय उपलब्धता के संरचनात्मक लाभ को देखते हुए तकनीकी कौशल के क्षेत्र में भारत अग्रणी हो सकता है।

अभी कौशल विकास के मामले में भारत दुनिया के मानकों में बहुत निचले पायदान पर है। विकसित देशों में जहां कुशल कार्यबल, कुल कार्यबल का 60 से 90 प्रतिशत के बीच है, वह भारत में औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा के साथ 4.69 प्रतिशत के निचले स्तर पर है। अमेरिका में 52 प्रतिशत, यूनाइटेड किंगडम में 68



प्रतिशत, जर्मनी में 75 प्रतिशत, जापान में 80 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में 96 प्रतिशत श्रमबल को औपचारिक कौशल-प्रशिक्षण प्राप्त है। अतः कौशल विकास कार्यक्रम के द्वारा भारत अपने 95.3 प्रतिशत अकुशल श्रमबल को संपूर्ण तो नहीं पर अधिकांश को अत्याधुनिक और प्रतियोगिता के लायक बना सकता है।

देश के संसाधनों के बहुआयामी सदुपयोग और आबादी के उचित समायोजन हेतु भी आज कौशल विकास अपरिहार्य हो गया है क्योंकि मानव संसाधन की दृष्टि से अब भारत दुनिया का सर्वाधिक धनी देश बन गया है। भारत आज दुनिया का सर्वाधिक युवा देश होने के बावजूद इसे कार्यशील आबादी में तब्दील करना एक बड़ी चुनौती है क्योंकि तकनीकी कौशल के अभाव के चलते देश में कार्यकारी आबादी की भागीदारी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारत में 40 प्रतिशत की तुलना में यह ब्राजील में 64 प्रतिशत, अमेरिका में 68 प्रतिशत, चीन में 70 प्रतिशत, जर्मनी में 75 प्रतिशत और जापान में 80 प्रतिशत है। इसके अलावा देश में हर साल कम से कम 1.70 करोड़ लोग श्रमबल में शामिल होते हैं जिन्हें कौशलयुक्त बनाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही मौजूदा 30.7 करोड़ कृषि एवं गैर-कृषि कामगारों के कौशल-स्तर में वृद्धि करके उनकी उत्पादन दक्षता को सुधारने के लिए उन्हें नए सिरे से प्रशिक्षण प्रदान करना होगा।

यदि देश की ग्रामीण-शहरी संरचना पर गौर करें तो भविष्य में भारत को समग्र सामाजिक-आर्थिक तरक्की के नए सोपानों तक पहुंचाने में ग्रामीण भारत की ही सबसे निर्णायक भूमिका होगी क्योंकि आगामी कुछ दशकों में कार्यशील युवाओं का सबसे बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों से ही होगा जिसकी संख्या वर्ष 2050 तक लगातार बढ़नी है। कुल ग्रामीण आबादी में जहां 51.73 प्रतिशत आबादी 24 साल से कम है, वहीं शहरी आबादी में इसकी हिस्सेदारी 45.9 प्रतिशत है। यदि गांवों में उचित उद्यमीय शिक्षण-प्रशिक्षण एवं रोजगार की व्यवस्था करके कार्यशील आबादी के पलायन को रोका जाए तो अगले तीन-चार दशकों में ग्रामीण भारत ही सर्वाधिक जनांकिकीय लाभांश की स्थिति में होगा। अभी देश की कुल आबादी में 49.91 प्रतिशत हिस्सेदारी 24 साल से कम आयु वर्ग वालों की है और 47.2 करोड़ लोग 18 वर्ष से कम आयु वाले हैं।

आकलन बताते हैं कि वर्ष 2025 तक जब भारत के पास दुनिया की सर्वाधिक श्रमशक्ति होगी। उस दौरान दुनिया की अधिकांश बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के पास कुशल श्रमशक्ति में लगातार कमी होगी। वर्ष 2025 तक दुनिया भर में करीब 8.5 करोड़ कुशल कामगारों की कमी होगी और यदि इसको वैश्विक मानकों के अनुरूप अभी से उचित शिक्षण-प्रशिक्षण दिया जाए तो अगले एक-दो दशकों में भारत की कुशल श्रमशक्ति दुनिया भर में अपनी काबिलियत का परचम लहरा सकती है, क्योंकि वर्ष 2020 तक जहां भारतीय श्रम-शक्ति में 4.7 करोड़ कुशल कामगारों की संख्या और जुड़ जाएगी, वहीं इस दौरान अमेरिका में 1.7 करोड़, चीन में 1

करोड़, जापान में 90 लाख और रूस में 60 लाख कुशल कामगारों की कमी हो जाएगी।

कौशल विकास हेतु सरकारी पहल

अपनी कार्यशील जनसंख्या का गुणवत्तापूर्ण उपयोग करने के उद्देश्य से सरकार ने 'कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग' का 'कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई)' के रूप में 9 नवंबर, 2014 प्रोन्नयन कर दिया है, जो देशभर में विभिन्न योजनाओं और संगठनों के माध्यम से बड़े पैमाने पर कौशल विकास कार्यक्रम संचालित कर रहा है। देश के औद्योगिक विकास हेतु कुशल जनशक्ति की आवश्यकता की आपूर्ति हेतु विभिन्न व्यावसायिक ट्रेडों में कौशल प्रदान करने के लिए **शिल्पकार प्रशिक्षण योजना** (सीटीएस) चलाई जा रही है। यह योजना 14 वर्ष से अधिक के अभ्यर्थियों के लिए देशभर में स्थित 13924 आईटीआई के नेटवर्क द्वारा संचालित है, इनमें 574 आईटीआई वर्ष 2017-18 में स्थापित किए गए हैं और इन सबकी जिसकी मौजूदा प्रशिक्षण क्षमता 126 ट्रेडों में 28.47 लाख अभ्यर्थियों की है। देशभर के व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता नेटवर्क द्वारा कुशल जनशक्ति तैयार करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2017 से **कौशल विकास पहल योजना** (एसडीआईएस) शुरू की गई है जिसके तहत 70 क्षेत्रों में प्रशिक्षण हेतु 629 मॉडल तैयार किए गए हैं। इनमें से 129 मॉडल राष्ट्रीय कौशल ढांचा अर्हता के अनुरूप हैं। इसके अलावा मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना भी चला जा रहा है। इस योजना के तहत वार्षिक लक्ष्य वर्ष 2016-17 में 5 लाख, वर्ष 2017-18 में 10 लाख, वर्ष 2018-19 में 15 लाख और 2019-20 में 20 लाख प्रशिक्षुओं को संवर्धित करना है।

इस दिशा में एमएसडीई विभिन्न क्षेत्रों से निरंतर सहयोग ले रहा है। जैसे, इसने कौशल विकास पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के 16 मंत्रालयों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समय भारत सरकार के 20 मंत्रालय और विभाग देश में 47 कौशल विकास कार्यक्रम और योजनाएं चला रहे हैं तथा 22 मंत्रालय और विभागों ने वर्ष 2016-17 में 99.35 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा। हालांकि दिसंबर 2016 तक केवल 19.58 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। मंत्रालय प्रशिक्षार्थियों को सीएनसी मशीनिंग, आटोमोटिव तकनीक, वेल्डिंग, प्लंबिंग निर्माण जैसे विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में कौशल निखार हेतु देशभर में भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) स्थापित कर रहा है और ऐसा पहला संस्थान कानपुर में स्थापित किया गया है। इसके अलावा देश के असेवित ब्लॉकों में पीपीपी मोड में 1500 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थान वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। अभी देश में 2500 असेवित ब्लॉक हैं। कौशल सुदृढीकरण के लिए विश्व बैंक के वित्तपोषण से स्ट्राइव परियोजना, नवंबर 2016 में शुरू की गई है। इसके अलावा विश्व बैंक से सहायता प्राप्त **व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना** भी चलाई जा रही है। वैश्विक स्तर के पेशेवर कौशल विकास

के लिए एमएसडीई ने अब तक यूरोपीय संघ सहित 11 देशों—यूनाईटेड किंगडम, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, स्विटजरलैंड, कतर और जापान के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किए हैं।

देश में कुशल जनशक्ति और नियोजनीय युवाओं हेतु प्रशिक्षण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए समर्पित प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण नीति का निर्माण, योजना कार्यान्वयन, पाठ्यक्रम, मानक निर्धारण, प्रमाणन और समन्वय का शीर्ष संगठन है। इसके अधीन 13924 आईटीआई, 31 केंद्रीय संस्थान, 12 निजी प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान, 6 प्रशिक्षुता प्रशिक्षण क्षेत्रीय निदेशालय सहित कई राज्य व संगठन—स्तरीय संस्थान कार्यरत हैं। प्रशिक्षण विस्तार एवं गहनता के लिए इसने विभिन्न संगठनों के साथ 18 एमओयू हस्ताक्षरित किए हैं। यह राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड परीक्षण चलाता है जिसके तहत हर साल करीब 392 ट्रेडों के लिए 16 परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके अलावा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना की 126, शिक्षुता प्रशिक्षण योजना की 259 और कौशल विकास पहल योजना की 578 ट्रेड भी इसके अधीन हैं। साथ ही मंत्रालय ने 4 जनवरी, 2017 से इसके अधीन **भारतीय कौशल विकास सेवा** भी शुरू की है। इसके अलावा, मंत्रालय ने देश में बड़े पैमाने पर कौशल युक्त कार्यबल सृजित करने और कुशल कार्यबल की मांग व आपूर्ति की विषमता पाटने के लिए डीजीटी के अधीनस्थ संस्थानों के माध्यम से **दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम** भी शुरू किया है। भारतीय उद्यमशीलता संस्थान अपने 7 शाखा कार्यालयों के साथ देशभर में कौशल प्रशिक्षण, आजीविका और उद्यमशीलता परियोजनाओं का संचालन कर रहा है और कौशल विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसने 15 निगमों और संगठनों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। नाएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान का उद्देश्य आजीविका परियोजनाओं की संस्थापना, उद्यमशीलता संवर्धन, मौजूदा सूक्ष्म व लघु उद्यमों को परिचालानार्थ सहायता तथा स्वरोजगार के क्षेत्र में उत्प्रेरक का काम करना है। यह हर साल करीब 6 हजार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा औसतन 1.50 लाख प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करता है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) 21 उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और असंगठित क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक 15 करोड़ भारतीयों को कुशल बनाना है। वर्ष 2016–17 में इसके कार्य निष्पादन से 34 राज्यों एवं संघ क्षेत्रों के 540 जिलों में 2263 पाठ्यक्रमों के तहत 11 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। यह कौशल विकास के विस्तार हेतु देशभर में क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना कर रहा है। अब तक 36 एसएससी स्थापित और 40 अनुमोदित हो चुके हैं, जो सरकार द्वारा चयनित 20 उच्च अग्रता क्षेत्रों तथा मेक इन इंडिया के 25 क्षेत्रों में प्रशिक्षण आयोजित

करती हैं। इसके अलावा एनएसडीसी ने इनकी मदद से प्रशिक्षण संचालन के लिए 34 क्षेत्रों के 348 मॉडल पाठ्यक्रम तैयार किए हैं। इन परिषदों ने अब तक 27.70 लाख शिक्षार्थियों को प्रमाणित करने के अलावा 1826 अर्हता पैक और 4886 असाधारण राष्ट्रीय पेशा मानकों का सृजन किया है जिन्हें 2028 से अधिक कंपनियों ने मान्यता प्रदान की है। इसके अलावा क्षेत्रीय वंचनाओं को ध्यान में रखते हुए एमएसडीईने वामपंथ अतिवाद से ग्रसित 10 राज्यों के 47 जिलों के युवाओं में कौशल विकास और प्रशिक्षण हेतु 'वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों में **कौशल विकास योजना** तैयार की है जिसके जल्द संचालित होने की संभावना है। एनएसडीसी, गृह मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित जम्मू—कश्मीर के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को कौशल और रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए **उड़ान** योजना चला रहा है। इसका लक्ष्य 5 वर्ष में राज्य के 40 हजार युवाओं को प्रशिक्षित करना है जिसके तहत अब तक 25 हजार युवाओं को कवर किया गया है जिसमें 17 हजार युवा प्रशिक्षित हो चुके हैं।

देश में दक्ष एवं कुशल श्रमशक्ति की कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत वर्ष 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु क्षमताओं का सृजन किया जाएगा। इस मिशन का लक्ष्य भारत में कौशल विकास के प्रयासों में गति लाना है। 28 फरवरी 2018 तक इस मिशन के तहत एनएसडीसी के शुल्क—आधारित मॉडल के तहत 90.43 लाख छात्रों को जबकि मानक, प्रशिक्षण आकलन एवं पुरस्कार (स्टार) योजना के तहत 13.99 लाख छात्रों को प्रशिक्षित किया गया है। इस मिशन के तहत 20 केंद्रीय मंत्रालय और विभाग कौशल विकास कार्यक्रम और योजनाओं के कार्यान्वयन में लगे हैं जिन्होंने वर्ष 2015–16 और 2016–17 के कौशलीकरण के लक्ष्य क्रमशः 125.69 और 117.50 लाख की तुलना में क्रमशः 104.16 और 60.32 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया है। इसने निगमित सामाजिक दायित्व और उद्योग भागीदारी के तहत कौशल विकास पहलों के संवर्धन और प्रशिक्षण परियोजनाओं के लिए अब तक 9 निजी कंपनियों के साथ वित्तीय तथा 17 निजी कंपनियों के साथ गैर—वित्तीय एमओयू हस्ताक्षरित किए हैं। अधिकांश एमओयू राष्ट्रीय कौशल विकास निधि, एनएसडीसी तथा कंपनियों के बीच त्रिपक्षीय अनुबंध हैं। कौशल विकास के प्रयासों को गति प्रदान करने हेतु भारत सरकार ने 13 दिसंबर 2017 को विश्व बैंक (आईबीडीआई) के साथ 250 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 19 जनवरी 2018 से प्रभावी हुआ है। इसके वित्तीयन से 6 वर्षों के लिए आजीविका उन्नयन हेतु **कौशल अर्जन एवं ज्ञान जागरूकता (संकल्प) योजना** शुरू की गई है, इस योजना में संस्थागत सुदृढीकरण, गुणवत्ता आश्वासन, निवेशन तथा पीपीपी के द्वारा कौशल का विस्तार किया जाना है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): इस योजना एमएसडीई की परिणाम—आधारित कौशल प्रशिक्षण

की पलैगशिप का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को परिणाम-आधारित कौशल प्रशिक्षण लेने, नियोजनीय बनने व अपनी आजीविका कमाने में समर्थ और प्रेरित करना है। इस योजना के तहत 10 मार्च, 2018 तक 41.38 लाख अभ्यर्थी प्रशिक्षित किए गए हैं। इसके सफल कार्यान्वयन के अलावा मंत्रालय कौशल प्रशिक्षण के लिए एनएसडीसी के माध्यम से सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करते हुए देश के प्रत्येक जिले में मॉडल कौशल केंद्रों की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) योजना चला रहा है। इसके तहत 21 मार्च, 2018 तक देश के 484 जिलों में 526 पीएमकेके आवंटित किए गए हैं जिनमें से 400 खोले जा चुके हैं। पीएमकेकेवाई का पूरा फोकस रोजगार पर है और इसमें 50 प्रतिशत उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को वैतनिक रोजगार में तैनात करना आवश्यक है। इस योजना के तहत 21 मार्च, 2018 तक 2.25 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है जिसमें 90.4 हजार महिलाएं हैं। अब तक 1.47 लाख अभ्यर्थियों को तैनात किया गया है। **प्रधानमंत्री युवा योजना** (पीएमवाईवाई) यह योजना शिक्षता शिक्षा, प्रशिक्षण और उद्यमशीलता नेटवर्क तक आसान पहुंच और सामाजिक उद्यमशीलता संवर्धन के लिए युवाओं के बीच उद्यम समर्थकारी पारिस्थितिकी सृजन के उद्देश्य से शुरू की गई है। 30 साल तक के सभी भारतीय उद्यमियों के लिए उपलब्ध इस पंचवर्षीय (वर्ष 2016-17 से 2020-21) योजना में 14.5 लाख युवाओं को शिक्षा, कौशल व उद्यमशीलता में प्रशिक्षित तथा कुल 260 सामाजिक उद्यम स्थापित करना है। साथ ही 30 हजार स्टार्टअप सृजित कर करीब 2.60 लाख प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार पैदा करने हैं। इसके अलावा विदेशों में रोजगार और नौकरी की तलाश करने वाले भारतीय युवाओं की कौशल विकास क्षमता में संवर्धन करने के उद्देश्य से **प्रवासी कौशल विकास योजना** (पीकेवीवाई) शुरू की गई है। इस योजना का नारा 'सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, विश्वास के साथ जाएं' है। यह योजना एमएसडीई के प्रशिक्षण भागीदारों और विदेश मंत्रालय के परामर्श एवं सहयोग से एनएसडीसी द्वारा चलाई जा रही है और इसके तहत कौशल प्रशिक्षण हेतु अब तक देश के 9 राज्यों में 16 भारत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किए गए हैं।

अटल नवप्रवर्तन मिशन (एआईएम)

नीति आयोग द्वारा फरवरी 2016 से संचालित एआईएम भारत को एक नवप्रवर्तक और रचनात्मक देश बनाने की योजना है। एआईएम को एक सर्वोच्च नवप्रवर्तन संगठन के रूप में परिकल्पित किया गया है जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, विज्ञान, इंजीनियरिंग और उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं के विभिन्न स्तरों तथा एसएमई उद्योग/कारपोरेट स्तरों पर नवप्रवर्तन और उद्यमिता के पारितंत्र की स्थापना को प्रोत्साहित करते हुए केंद्र, राज्य और क्षेत्रीय नवप्रवर्तक स्कीमों के बीच नवप्रवर्तन नीतियों के समन्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एआईएम ने अपने उद्देश्यों को हासिल करने के संबंध में सर्वसमावेशी फ्रेमवर्क को अपनाया है।

जैसे यह देशभर में सभी 700 जिलों के विद्यालयों में सृजनात्मक, नवप्रवर्तनकारी मनोवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए **अटल टिकरिंग प्रयोगशालाओं** (एटीएल) की स्थापना कर रहा है। ये एटीएल 1000-1500 वर्ग फीट के समर्पित नवप्रवर्तक कार्यस्थल हैं। जहां 3डी प्रिंटरों, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी अद्यतन प्रौद्योगिकियां संस्थापित हैं ताकि कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी इन प्रौद्योगिकियों के साथ प्रयोग कर सकें और इनका उपयोग कर नवप्रवर्तनकारी समाधानों का सृजन करना सीख सकें। अब तक, एटीएल अनुदानों के लिए 2441 विद्यालयों का चयन किया जा चुका है। इसका लक्ष्य समुदायों और स्कूलों में 2.5 लाख युवाओं को भविष्य के लिए अभिनव कौशल प्रदान करना है और भविष्य में इसके तहत देश के 10 लाख छात्रों को जोड़ने की योजना है ताकि युवा उद्यमियों का देशव्यापी केंद्र तैयार हो सके। इंटेल टेक्नोलॉजी इंडिया प्रा. लि. इस कार्य को तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। सामाजिक/आर्थिक प्रभाव उत्पन्न करने वाले विशिष्ट उत्पाद नवप्रवर्तनों को बढ़ावा देने के लिए एआईएम राष्ट्रीय महत्व के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए स्वरोजगार और प्रतिभा का उपयोग (सेतु) कार्यक्रम चला रहा है। विश्वविद्यालय, एनजीओ, एसएमई और कारपोरेट उद्योग के स्तरों पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एआईएम विश्वस्तरीय अटल इन्क्यूबेटर्स (एआईसी) की स्थापना कर रहा है। एआईएम द्वारा महिला संचालित इन्क्यूबेटर्स और उद्यमिता संबंधी स्टार्टअप को दृढ़तापूर्वक प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा नवप्रवर्तन के पारितंत्र की स्थापना को संभव बनाने के लिए, एआईएम **मेंटर इंडिया** नाम से भारत में एक सबसे बड़े परामर्शदात्री नेटवर्क की स्थापना कर रहा है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई) : 25 सितंबर, 2014 को पुनर्गठित यह राष्ट्रव्यापी रोजगार से जुड़ा मांग-आधारित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। जिसका वित्तपोषण और संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। इसका उद्देश्य रोजगार से जुड़ी आबादी में वैश्विक कमी के कारण उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय अवसरों का लाभ पाने के लिए गरीब ग्रामीण युवाओं को सक्षम बनाना है। इसमें 18-35 आयु के ग्रामीण युवकों के लिए पीपीपी मोड में बाजारोन्मुख रोजगार से जुड़े 3, 6, 9 और 12 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इसमें प्रत्येक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के लिए यह अनिवार्य है कि वह प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से 75 प्रतिशत को रोजगार दिलाएं। इसके तहत पिछले 4 वर्षों में वर्ष 2014-15 में 0.86 लाख, वर्ष 2015-16 में 2.70 लाख, वर्ष 2016-17 में 1.63 लाख और 28 फरवरी तक वर्ष 2017-18 में 1.28 लाख अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें क्रमशः 54.1 हजार, 134.7 हजार, 84.9 हजार और 69.3 हजार अभ्यर्थियों को 390 से अधिक व्यवसायों में रोजगार दिया गया है। यह योजना अभी 24 राज्यों के 617 जिलों में कार्यान्वित है जिसमें 281 से अधिक पीआईए

भागीदार हैं और इसमें 39 क्षेत्रों के 390 से अधिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। इस योजना के साथ कई विशेषीकृत योजनाएं भी चलाई जा रही हैं।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई): राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के परियोजना घटक के रूप में केंद्र एवं राज्यों के सहयोग से स्थापित गैर-लाभकारी संस्थाएं हैं। इनका उद्देश्य क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण और व्यवसाय जमाने में मदद कर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार का सृजन करना है। ये 18-45 आयु के युवाओं को व्यक्तित्व एवं कौशल विकास के क्षेत्रों में समग्र, गुणवत्तापूर्ण एवं आवश्यकता आधारित प्रयोगात्मक प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहे हैं। ये संस्थान मुख्यतः 4 क्षेत्रों—कृषि, प्रसंस्करण, उत्पादन विनिर्माण और सार्वजनिक उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत वर्गीकृत 334 से अधिक व्यवसायों में प्रशिक्षण देते हैं। अभी देश के 552 जिलों में 585 आरएसईटीआई कार्यरत हैं जिनके द्वारा पिछले 6 वर्षों (अप्रैल 2011 से दिसंबर 2017) में 25.71 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिलाया गया है जिनमें से 16.93 लाख युवाओं को रोजगार प्राप्त हो गया है।

ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता

विकास योजना: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि शोध एवं शिक्षा विभाग ने खेतीबाड़ी के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए वर्ष 2015 में एक **क्रांतिकारी स्टूडेंट रेडी योजना** शुरू की है, जो वर्ष 2016-17 से प्रभावी है। यह योजना अनेक समस्याओं का समाधान कर कृषि क्षेत्र का कायाकल्प कर सकती है और खेती में युवाओं को आकर्षित कर गांवों से उनका पलायन रोक सकती है। इसके तहत कृषि शिक्षा में युवाओं में उद्यमशीलता के लिए कौशल विकास को परियोजना मोड में विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में लागू किया जा रहा है। इस योजना में सरकार का लक्ष्य देश में सालाना 25 हजार से अधिक छात्रों को रोजगार हेतु हुनरमंद बनाना है। इस समय देश में 71 कृषि विवि. हैं जिसमें 4 सम विवि, 2 केंद्रीय विवि. और 4 कृषि संकाय वाले केंद्रीय विवि. शामिल हैं, से सालाना करीब 50 हजार से अधिक छात्र स्नातक होते हैं जिनमें 60 फीसदी ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं और इनमें अपने प्रयासों से कृषि उद्यम आरंभ करने का आत्मविश्वास नहीं होता है। उनमें यह योजना कौशल विकास के बाद उद्यम प्रबंधन के विकास में सहायक बनकर उनका आत्मविश्वास बढ़ा रहा है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के 4 विवि. सम शोध संस्थान, 64 शोध संस्थान, 15 राष्ट्रीय शोध केंद्र और 13 परियोजना निदेशालय द्वारा समय-समय पर कौशल विकास के पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

रोजगार सृजन के सरकारी प्रयास: मौजूदा सरकार रोजगार सृजन के लिए चार स्तरों पर काम कर रही है। पहला

कौशल विकास के लिए हमें स्थानीय व्यावसायियों को जर्मन मॉडल की तरह काम करने को तैयार करना होगा। जर्मनी में विश्व का सफलतम व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है। इसमें जर्मनी के व्यवसायी, कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए काफी धन खर्च करते हैं। इससे उन्हें प्रशिक्षु के रूप में ही बहुत अच्छे कर्मचारी मिल जाते हैं।

स्किल इंडिया, दूसरा मेक इन इंडिया, तीसरा स्टार्टअप और चौथा सीधे आजीविका, उद्यमिता व रोजगार का सृजन शामिल हैं। इसमें से स्किल इंडिया के तहत विभिन्न सरकारी प्रयासों का विवेचन ऊपर किया जा चुका है और मेक इन इंडिया के तहत 25 उच्च अग्रता वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अनुदान, कर रियायत, प्रोत्साहन आदि विभिन्न माध्यमों से भारत सरकार 2020 तक 10 करोड़ नए रोजगार पैदा करने जा रही है। इसके माध्यम से सरकार

5 अप्रैल, 2016 से शुरू स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया कार्यक्रम देशभर में रोजगार सृजन और उद्यमिता का विकास करा रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य नवसृजन और उद्यमिता का माहौल तैयार कर रोजगार के अवसर जुटाना है। अब तक 6350 स्टार्टअप की पहचान की गई है, जो स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत लाभ पाने के पात्र हैं। इनमें कम से कम 48,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है और 75 स्टार्टअप को फंड आफ फंड्स के तहत वित्तपोषण मिला है। इसके अलावा 74 ऐसे स्टार्टअप की पहचान की गई है, जो आयकर कानून के तहत छूट के पात्र हैं। स्टैंडअप इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजातियों और महिलाओं में गैर-कृषि क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यमिता के माध्यम से रोजगार बढ़ाना है। इसके तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों की हर शाखा से अ.जा. /अ.ज.जा. को कम से कम एक और कम से कम एक महिला उद्यमी को नया उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक कर्ज की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: इस योजना के माध्यम से दिसंबर 2017 तक कुल 6.8 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ और जून-दिसंबर 2017 में रोजगार में 25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यह योजना सूक्ष्म वित्तीयन के माध्यम से देश भर में उद्यमिता, स्वरोजगार और रोजगार का सृजन करती है और इसमें छोटे उद्यमियों को शिशु, किशोर और तरुण के तहत कम ब्याज दर पर 50 हजार से 10 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाता है। वर्ष 2017-18 में 2 मार्च, 2018 तक पीएमएमवाई के तहत 393.38 लाख ऋण स्वीकृत किए गए हैं और इन ऋणों के लिए 1.91 लाख करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण गरीबी दूर करने तथा गांवों में उद्यमिता व स्वरोजगार के विकास का देशव्यापी कार्यक्रम है, जो देशभर की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के करीब 10 करोड़ गरीब ग्रामीण परिवारों के उन्नयन पर केंद्रित है। इसके तहत गरीब ग्रामीण परिवारों के 5-20 महिलाओं को स्वसहायता समूहों (एसएचजी) में समूहबद्ध करके उनकी उद्यमशीलता संबंधी क्षमताओं को विकसित किया जाता है। इसके तहत

स्वरोजगार और स्थायी आजीविका के अवसर सृजित करने हेतु एसएचजी को आर्थिक और तकनीकी उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत 28 फरवरी, 2018 तक पिछले 4 सालों में 17.20 लाख एसएचजी को सहायता उपलब्ध कराई गई है। इन एसएचजी सदस्यों को रोजगार और आजीविका के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण आजीविका एक्सप्रेस योजना शुरू की गई है। कृषि कार्यों में लगी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए **महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना** को शुरू किया गया। अभी 19 राज्यों में 77 एमकेएस परियोजनाएं संचालित हैं जिससे 183 जिलों की 32.40 लाख से अधिक महिला किसान लाभान्वित हो रही हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक उप-योजना के रूप में **स्टार्टअप ग्रामीण उद्यम कार्यक्रम** (स्वेष) डीडीयूजीकेवाई की तर्ज पर शुरू किया गया है। ग्रामीण युवा उद्यमियों पर केंद्रित यह स्टार्टअप की तीन समस्याओं ज्ञान, उद्भवन और वित्तीयन की कमी का समाधान करने का प्रयास करता है। यह प्लेसमेंट आधारित कौशल विकास के बजाय स्वरोजगार के माध्यम से आजीविका प्रदान करता है। इससे 4 वर्षों (2015-19) के दौरान 24 राज्यों के 125 ब्लॉकों के करीब 1.82 लाख उद्यमियों को प्रशिक्षित करना है जिससे 3.78 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन का अनुमान है।

भारत सरकार का सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम मंत्रालय देशभर में उद्यमवृत्ति के विकास और रोजगार सृजन में सक्रिय है। यह गैर-कृषि क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्फूर्ति, एस्पायर जैसी कई योजनाएं चला रहा है, जिनके तहत ग्रामीण आजीविका, तकनीक-आधारित उद्यम, स्टार्टअप सृजन आदि के लिए परियोजनागत और साख संबद्ध सहायता उपलब्ध कराता है। इन योजनाओं के तहत पिछले 4 वर्षों में 28 फरवरी, 2018 तक मंत्रालय द्वारा 1.89 लाख परियोजनाओं को सहायता उपलब्ध कराई गई है जिससे 13.78 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मंत्रालय ने विकास आयुक्त कार्यालय के अधीन 'भारतीय उद्यम विकास सेवा' का गठन किया है जो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया और मेक इन इंडिया की परिकल्पना को साकार कर रही है। इसी प्रकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भी वर्ष 2015 से 'राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस)' शुरू की है, जो एनसीएस पोर्टल पर नियोक्ता और नौकरी तलाशने वाले दोनों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है।

कुल मिलाकर अनेक सरकारी प्रयासों के तहत देश में वर्ष 2014 से 2017 (स्किल इंडिया रिपोर्ट 2018) के दौरान 2 से 2.6 करोड़ लोगों को लाभकारी रोजगार प्राप्त हुए हैं और इस दिशा में कौशल विकास, उद्यमशीलता व रोजगार सृजन के कारगर प्रयास हो भी रहे हैं।

किसी भी स्थिति में रोजगार की गारंटी के बिना व्यावसायिक प्रशिक्षण देना व्यावहारिक नहीं है। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के युग में इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन में बड़ी कंपनियों द्वारा रोजगार कम सृजित होंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर एवं एप आदि के बाजार विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं। जैसे डॉक्युमेंट्री या कम्प्यूटर गेम्स को युवा अपने मोबाइल पर बना सकते हैं। पंचतंत्र की कहानियों का एप बना सकते हैं। भविष्य में इंटरनेट-जनित सेवाओं के बाजार का विस्तार होगा। इसलिए सरकार को ई-सेवाओं के बाजार विस्तार की बुनियादी संरचना उपलब्ध करानी चाहिए।

तीसरा, कृषि क्षेत्र को अधिक उत्पादक एवं रोजगारोन्मुख बनाना होगा जैसे अनाज की फसल से अधिक लाभ और रोजगार फल, सब्जी एवं पशुपालन में है तो इसे आजीविका के बजाय उद्यम में तब्दील किया जाए और कोल्ड स्टोरेज व रेफ्रीजरेटेड परिवहन की सुविधा को बढ़ाया जाए। छोटे-छोटे खेतों को मिलाकर बड़ी फार्मिंग कंपनी या अमूल की तर्ज पर कोआपरेटिव बनाए जा सकते हैं। इससे विपणन एवं वितरण की सुविधा बढ़ेगी और इस तरीके से कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाया जा सकेगा। चौथा, विनिर्माण में रोजगार का आधार अधिकतर छोटे उद्योग ही होते हैं। इसलिए छोटे उद्योगों को बचाने के लिए सोचना होगा, जैसे ऑटोमेटिक मशीनों से बने कागज और पॉवरलूम से बने कपड़े पर देश में प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो हस्तनिर्मित कपड़ा एवं कागज के उत्पादन में करोड़ों रोजगार उत्पन्न हो जाएंगे।

पाचवां, सरकार को स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं के निर्यात के लिए सब्सिडी देनी चाहिए, जबकि निर्माण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे वर्ष 2015 में सरकार ने मोबाइल फोन आयात पर करों में वृद्धि की तो पिछले दो वर्षों में मोबाइल निर्माण के 46 उद्यम व कंपनियां भारत में कार्यशील हो गई हैं, जिन्होंने अब तक करीब 4 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार दिया है। छठा, भविष्य में कंपनियों में स्थायी नौकरियों में कमी के साथ सेवाओं के व्यक्तिगत स्तर पर उत्पादन एवं खपत में भारी वृद्धि होगी। संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की कोशिश के स्थान पर सरकार को इस बाजार के विस्तार के लिए बुनियादी संरचना उपलब्ध करानी चाहिए।

इन सबके साथ क्षेत्रीय आधार पर कई क्षेत्रों में रणनीतिक पहलें की जा सकती हैं, जैसे सरकार ने वर्ष 2022 तक हरित ऊर्जा के क्षेत्र में 10 लाख रोजगार अवसर उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा तकनीकी कौशल शोध और विकास की प्रगति पर निर्भर करता है जिसे सरकार को बढ़ाने की आवश्यकता है। देश में यह अभी जीडीपी का 0.8 प्रतिशत है, जोकि इसके सहयोगी ब्रिक्स देशों की तुलना में बहुत कम है।

(लेखक कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में वरिष्ठ तकनीकी सहायक हैं।)

ई-मेल : gajendra.singh88@gov.in

सतत ग्रामीण विकास का माध्यम मनरेगा

—डॉ. नरेन्द्रपाल सिंह

मनरेगा एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का सतत विकास हुआ है और आम आदमी पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है। श्रमिकों को सौ दिन तक का रोजगार उपलब्ध हुआ है तथा शहरी पलायन पर भी रोक लगी है। मनरेगा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण काम किया है। इसने परेशानी के समय ग्रामीणों एवं श्रमिकों को बड़ी राहत पहुंचाई है और यह स्वतः ही रोजगार पैदा करने का जरिया बन गया है। वास्तव में मनरेगा गरीबी निवारण एवं सतत ग्रामीण विकास की दिशा में एक सार्थक कदम है।

सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी दूर करने और ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना की शुरुआत की गई थी ताकि भूख, कुपोषण, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का आसानी से सामना किया जा सके और ग्रामीण जनता रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन ना करे। गांव के गरीब लोगों को रोजगार मिलने से उनकी आय में वृद्धि होगी और वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकेंगे, साथ ही शहरों में भीड़-भाड़ से उत्पन्न आवास, बिजली, पानी और आधारभूत सुविधाओं की समस्या से भी निजात पा सकेंगे। इस योजना में महिलाओं के विकास एवं कार्य की प्राथमिकता को बिना भेदभाव के रखा गया है, जिससे उनमें रोजगार प्राप्ति की संभावना बढ़ी है, जो आर्थिक स्वतंत्रता एवं स्वावलंबन तथा महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक सार्थक कदम है। मनरेगा के अंतर्गत गांव में पंचायतों के माध्यम से कार्य मिलने पर उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ

है तथा एक समतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत हुई है, जिससे एक सफल श्रमिक आंदोलन को बल मिला है। श्रमिक अपने हितों की सुरक्षा कर पाने में सफल भी साबित हो रहे हैं, जबकि ग्रामीण रोजगार की दूसरी योजनाओं में प्रायः ऐसा नहीं हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस योजना में विकास कार्यों की पुनरावृत्ति भी है ताकि एक बार कार्य करके उसको पुनः देखा व समझाला जा सके और उसके रखरखाव के कार्य नियमित रूप से किए जा सकें। ग्रामीण बेरोजगार युवक खाली रहने से उनमें आपराधिक प्रवृत्ति विकसित हो रही है, जबकि मनरेगा के अंतर्गत उन्हें काम मिलने पर उनकी इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगा है और सामाजिक व्यवस्था सामान्य हुई है।

मनरेगा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण काम किया है। इसने परेशानी के समय ग्रामीणों एवं श्रमिकों को बड़ी राहत पहुंचाई है और यह स्वतः ही रोजगार पैदा करने का जरिया बन गया है। सूखे के समय काम की मांग बढ़ जाती है। भुगतान



मनरेगा के तहत किए गए महत्वपूर्ण कार्य

संसाधन का निर्माण मनरेगा का अहम उद्देश्य है। बेशक शुरुआती वर्षों में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, फिर भी मनरेगा के तहत कुछ संसाधन जरूर विकसित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में लोगों के खेत के बीचोंबीच मनरेगा योजना के अंतर्गत नाली खोदी गई, जिससे अब वही खेत पानी में नहीं डूबते और वहां भरपूर सब्जियों की खेती होती है। ऐसे ही राजस्थान के बूंदी में नहरें तो हैं लेकिन उनकी कभी सफाई नहीं हुई, जिससे पानी का बहाव रूक जाता है, उस क्षेत्र के गांवों के बीच हर साल पानी को लेकर लड़ाई होती है और यह मामला जिला प्रशासन व पुलिस तक भी पहुंच जाता है। मनरेगा योजना के अंतर्गत नहरों की सफाई की गई जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा, झगड़े कम हुए, तथा प्रशासन को भी राहत मिली। गांव के लोग जिनके लिए कच्ची सड़कों का काफी महत्व है, वे मनरेगा से बनी ऐसी सड़कों को तवज्जो देते हैं। जहां मृतकों का अंतिम संस्कार मुश्किल था, अब वहां बीमार व्यक्ति को साईकिल या मोटरसाईकिल पर बैठाकर अस्पताल ले जाया जा सकता है। सार्वजनिक रास्ता बन जाने से दलित समुदाय को भी राहत मिली है क्योंकि सड़क का अधिकार भी झगड़े का मुद्दा बनता था। सुंदरवन में मिट्टी कार्य से लोगों की जानें बचाने का कार्य हुआ है। तटबंध के कार्यों से बाढ़ और वर्षा का पानी बस्तियों में नहीं आता, इससे जानें भी बचेंगी और पर्यावरण भी। मनरेगा में चालीस प्रतिशत तक सामग्री पर खर्च का प्रावधान है। मछली पालने के लिए तालाब निर्माण ऐसे कार्य हैं जिनमें सामग्री पर भी खर्च हुआ है। साथ ही उनमें अंडे, मछलियों का भोजन, पानी, बिजली पर खर्च घटाकर लाखों रुपये का मुनाफा हो रहा है। मनरेगा के जरिए वृक्षारोपण कार्य भी खूब हुए हैं। सड़कों के किनारे, जंगल और पंचायत की जमीन पर, सरकारी परिसरों में और निजी जमीन पर फलदार पेड़ लगाए गए हैं। बेशक मनरेगा के बहुत से काम विफल भी हुए हैं लेकिन इन उदाहरणों से पता चलता है कि तकनीकी समर्थन हो तो सामग्री के बिना भी इससे अच्छे संसाधन विकसित किए जा सकते हैं। कई जगह तो ग्राम पंचायतों में मनरेगा के जरिए ठोस कचरे का निष्पादन किया जाता है जो एक सराहनीय कदम है।

सीधे श्रमिक के बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में जमा होता है, इसलिए दूसरी कल्याणकारी योजनाओं की तुलना में इसमें गड़बड़ी की आशंका बहुत कम है। यह योजना भारत में व्यापक अर्थों में हो रहे बड़े बदलाव में एक महत्वपूर्ण औजार साबित हो रही है। बड़ी संख्या में लोग कृषि से विनिर्माण या सेवा क्षेत्रों में जा रहे हैं या जाने को मजबूर हो रहे हैं। बहुत से लोग स्थायी रूप से काम न मिलने के कारण प्रतिवर्ष मौसमी पलायन करते थे। इसका

मतलब है कि जिन महीनों में शहरों में काम न हो उन महीनों में गांवों में काम उपलब्ध हो। इसके अलावा ऐसे लाखों मजदूरों के लिए जो गांव छोड़कर जाना नहीं चाहते, मनरेगा ने खेती के कम व्यस्त समय में रोजगार उपलब्ध कराया है। मनरेगा के अंतर्गत तालाबों और कुओं जैसे जलस्रोतों की खुदाई करने या फिर सड़कों के आसपास बेतरतीब जगहों को समतल करने जैसे कार्यों को शुरुआत में शामिल किया गया था, इसमें जल संरक्षण, सिंचाई की नहरों का निर्माण और रखरखाव, वनारोपण आदि भी शामिल किए गए ताकि सूखे की आशंका को कम किया जा सके। इसमें जलस्रोतों का जीर्णोद्धार, जमीन को उपयोगी बनाना, सफाई से जुड़ा काम, ग्रामीण सड़क निर्माण, बाढ़ नियंत्रण, जलोत्सारण क्षेत्र का विकास और पेयजल का प्रबंधन करने जैसे कार्य भी शामिल हैं। विकल्पों की बड़ी सूची में से पंचायत के पास यह गुंजाइश होती है कि वह सबसे लोकप्रिय कार्य चुन ले, भले ही उसकी मांग कम क्यों न हो। पंचायतों को ऐसे कार्यों की सूची बनानी चाहिए जिसकी गांव में सख्त जरूरत है और फिर उसके आधार पर मनरेगा के तहत कार्य का विभाजन किया जाए ताकि गांव का विकास निरंतर रूप से किया जा सके। मनरेगा कोई खैराती कार्यक्रम नहीं है। इसमें काम के बदले भुगतान किया जाता है और पारिश्रमिक के रूप में बड़ी राशि खर्च की जाती है। हमें स्थायी और टिकाऊ तरह की उपयोगी संपत्ति के निर्माण में इसका लाभ उठाना चाहिए। मनरेगा कार्यक्रम में इस तरह और बदलाव लाए जाए जिससे यह सामाजिक न्याय का स्मारक भी बन सके।

मनरेगा एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का सतत विकास हुआ है और आम आदमी पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है। श्रमिकों को सौ दिन तक का रोजगार उपलब्ध हुआ है तथा शहरी पलायन पर भी रोक लगी है। मनरेगा के तहत अभी तक जो पूर्व निर्धारित काम कराए जाते थे उनमें ऐसा लगता था कि वे व्यर्थ हैं। जैसे कच्ची मिट्टी से संबंधित कार्य जो एक बरसात के अंदर ही समाप्त होते दिखाई देते हैं। ऐसे कार्यों से दोहरा नुकसान होता है। जो श्रमिक खेत में कार्यरत थे और कृषि उत्पादन कर रहे थे वे अब व्यर्थ के कामों में लगे दिखाई देते थे। मनरेगा के तहत किए गए कार्यों के अनुत्पादक होने का एक और प्रमाण अमेरिका की जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया एक अध्ययन भी है। इसमें पता चला है कि बिहार में मनरेगा से गरीबी में मात्र एक प्रतिशत की कमी आई है जबकि 12 प्रतिशत की कमी अपेक्षित थी। इसका कारण श्रमिकों का अनुत्पादक कार्यों में लगा होना पाया गया। मनरेगा की एक और समस्या प्रशासनिक जटिलता भी है। इस तरह सरकार के सामने दो समस्याएं खड़ी हैं। एक तरफ किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प है और दूसरी ओर मनरेगा की जटिलता एवं मनरेगा के तहत व्यर्थ के कामों से निजात पाने की चुनौती है। इस समस्या के हल के लिए सरकार ने बहुत ही सराहनीय एवं महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब तक मनरेगा में



केवल सार्वजनिक कार्यों को करने की अनुमति थी जैसे सामूहिक उपयोग वाले तालाब को गहरा करना। अब सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि मछली के तालाबों को गहरा करने, पशुओं के रहने के स्थान के ऊपर टीनशेड लगाने, कुओं को गहरा करने, शौचालय बनाने, इत्यादि व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी मनरेगा के तहत काम किया जा सकेगा। इसका अर्थ है कि अपने खेत में मछली के तालाब को स्वयं गहरा करने के लिए वेतन मनरेगा द्वारा मिलेगा। इस बदलाव के पीछे मूल कारण एवं सोच यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी सार्वजनिक कार्य करने की एक सीमा है। मनरेगा में व्यर्थ के सार्वजनिक कार्य करने के स्थान पर किसानों को अपने खेत पर स्थायी कार्य करने की अनुमति दे दी जाए ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निरंतर सुधार हो सके। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि व्यक्तिगत भूमि पर स्थायी कार्य करने की भी एक सीमा है। एक किसान स्थायी कार्यों को एक बार ही करेगा। इस प्रकार के कार्यों को प्रत्येक वर्ष नहीं किया जा सकता इसलिए मूल चिंतन सही दिशा में होते हुए भी इसे और आगे ले जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में सुझाव है कि मनरेगा के तहत खेती के सामान्य कार्यों को करने की भी छूट दे दी जाए। यदि किसान अपने खेत पर कृषि कार्य करता है तो उसके लिए उसका और साथ ही खेत मजदूर का वेतन मनरेगा द्वारा दिया जाए।

देश में तमाम ऐसे कृषि मजदूर हैं जिनके पास स्वयं की ज़मीन नहीं है। ऐसे कृषि मजदूरों के लिए मनरेगा के अंतर्गत छूट दी जानी चाहिए कि वे यदि दूसरे किसान के खेत में मजदूरी का कार्य करें तो उसका भुगतान मनरेगा के द्वारा किया जाएगा। ऐसा सुधार करने से अनेक लाभ प्राप्त होंगे। पहला तो यह कि किसानों की आय में निश्चित रूप से इजाफा होगा। दूसरा, देश की ऊर्जा व्यर्थ के कार्यों को करने के स्थान पर कृषि कार्यों में लगेगी।

परिणामस्वरूप खेती लाभप्रद हो जाएगी और श्रमिकों के पलायन में भी कमी आएगी। तीसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से अन्न के अधिक भंडारण की समस्या से निजात मिलेगी। अतः सरकार को चाहिए कि मनरेगा के अंतर्गत खेती के सामान्य कार्यों को भी शामिल करने की व्यवस्था करे तभी ग्रामीण क्षेत्रों का सतत विकास संभव हो पाएगा। इससे मनरेगा कार्यक्रम कहीं अधिक प्रभावी बनेगा।

वास्तव में मनरेगा गरीबी निवारण एवं सतत ग्रामीण विकास की दिशा में एक सार्थक कदम है। सरकार ने अपनी भूमिका को बदलकर स्वयं को मददगार के रूप में प्रस्तुत किया है। मनरेगा इतनी विशाल योजना है कि इससे आज अधिकांश ग्रामीण परिवार लाभार्थी के रूप में जुड़ चुके हैं। इस योजना से ग्रामीणों में जाग्रति आई है, सामूहिक सौदेबाजी बढ़ी है और उनके शोषण पर रोक लगी है। सरकार के सम्मुख निश्चय ही यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसको पूरा करने के लिए सरकार को सकल घरेलू उत्पाद का 1 से 2 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय करना पड़ सकता है।

उम्मीद है कि सरकार अपने इस चुनौतीपूर्ण कार्य में खरी उतरेगी और भ्रष्टाचार तथा अन्य समस्याओं से निपटने में सक्षम होगी। मनरेगा से गरीब जनता एवं श्रमिकों को पूर्ण लाभ प्राप्त होगा तथा सामाजिक समतापूर्ण समाज का सृजन हो सकेगा। यदि सरकार मनरेगा के अंतर्गत कृषि कार्यों को पूर्ण मान्यता प्रदान करती है तो आने वाले समय में गरीबों के लिए निश्चय ही यह योजना वरदान साबित होगी और रोजगार प्राप्ति एवं विकास का सशक्त माध्यम बनेगी। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे सतत विकास को गति मिलेगी, जोकि आज की अहम आवश्यकता है।

(लेखक साहूजन कॉलेज नजीबाबाद, बिजनौर (उत्तर प्रदेश) में वाणिज्य विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं।)
ई-मेल : drnps62@gmail.com

संभावनाओं से भरपूर पूर्वोत्तर भारत

—एम.के. श्रीवास्तव

पूर्वोत्तर क्षेत्र के भौतिक संसाधनों का उपयोग यहां के लोगों के कल्याण के लिए करना है तो अनुकूल वातावरण प्रदान करना पहली शर्त है। इस पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना होगा। सतत विकास के लिए हमें विकास तथा बदलाव के अगले दौर की ओर बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री ने भी देश से इसका आह्वान करते हुए कहा है कि धीरे-धीरे बदलाव का समय खत्म हो गया है और अब हमें निर्णायक तथा कायाकल्प करने वाले परिवर्तन के दौर में जाना होगा।

पूर्वोत्तर की उन्नति से भारत की उन्नति

भारत के उत्तरी और पूर्वी छोरों पर स्थित आठ राज्यों—अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को पूर्वोत्तर भारत/क्षेत्र (एनईआई/एनईआर) अथवा सात बहनें और एक भाई (सेवन सिस्टर्स एंड वन ब्रदर) कहा जाता है। इस क्षेत्र के राज्यों के महत्व को समझते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र को नया नाम 'अष्टलक्ष्मी' दिया है और कल्पना की है कि "यह भारत के भाग्य को बदलने की 'अष्टलक्ष्मी' है।" प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद के 65वें पूर्ण सत्र में कहा, "...मुझे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकसित नहीं होने का कोई कारण नजर नहीं आता। मुझे इस बात का भी यकीन है कि भारत तभी आगे बढ़ सकता है, जब पूर्वोत्तर क्षेत्र समेत सभी क्षेत्रों का विकास हो।"

छिपी हुई संभावनाएं

यह क्षेत्र 2,63,179 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 8 प्रतिशत है और देश की

कुल जनसंख्या का करीब 3.76 प्रतिशत हिस्सा यहीं रहता है (एनसीईआरटी - 2017)। कुल क्षेत्रफल में से 98 प्रतिशत हिस्से में अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। प्रत्येक राज्य का अपना इतिहास है। भाषा, जातियों, सांस्कृतिक विविधता, अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था की दृष्टि से राज्यों के बीच और प्रत्येक राज्य के भीतर भी बहुत अधिक अंतर है। देश में अनुसूचित 635 जनजातीय समूहों में से 200 से अधिक इस क्षेत्र में रहते हैं और राज्यों में प्रत्येक जनजातीय समूह की अपनी संस्कृति, परंपरा तथा शासन प्रणाली है। इस तरह यह क्षेत्र विविधता में एकता का सुंदर उदाहरण है।

यह क्षेत्र अद्भुत नैसर्गिक सौंदर्य, वनस्पतियों एवं पशुओं की जैव विविधता, प्रचुर मात्रा में खनिज, जल एवं वन संसाधन तथा पर्यटन की संभावना से भरपूर है। लेकिन अपनी स्थिति एवं भू-भाग के कारण शेष देश से अलग-थलग होने, पलायन, कम निवेश, कम राजस्व सृजन, उद्योगों के कम प्रसार तथा पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक-राजनीतिक उपद्रव होने जैसे कई पहलुओं ने इन



तालिका-1

राज्य / केंद्रशासित प्रदेश	कुल परिवार	कम से कम एक अपवाद वाले परिवार	शामिल होने वाले कुल परिवार	कुल अभावग्रस्त परिवार
अरुणाचल प्रदेश	201842	118987	82855	72937
असम	5743835	1689138	4054697	2892859
मणिपुर	448163	147003	301160	236653
मिजोरम	111626	44437	67189	66499
मेघालय	485897	151711	334186	327506
नगालैंड	284310	97323	186987	182441
त्रिपुरा	697062	165435	531627	361664
सिक्किम	88723	39442	49281	33480
योग	179787342	70754027	109033315	87264055

(स्रोत: लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3857 दिनांक - 09.08.2018)

राज्यों की प्राकृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक संभावनाओं का ठीक से दोहन नहीं होने दिया है।

क्षेत्र की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण है और गुजारे के लिए खेती, बागवानी, हथकरघा और वन पर बहुत अधिक निर्भर रहती है। क्षेत्र अभी तक संसाधनों की अकूत संभावनाओं का उपयोग अपने निवासियों के फायदे के लिए नहीं कर सका है।

सबका साथ सबका विकास: विकास का ढांचा

यह सच है कि क्षेत्र ने गरीबी घटाने और गरिमामयी मानव जीवन के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के मोर्चे पर कुछ प्रगति की है, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों में अब भी यह चिंता का विषय है। राज्य विकास के स्तर में भी बराबर नहीं हैं। यह उल्लेख करना उचित होगा कि घाटी तथा पहाड़ों के बीच गरीबी की प्रकृति काफी अलग है। लेकिन क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर आबादी आदिवासी है और आदिवासी समाजों की बुनियादी समतावादी होने के कारण भारत के शेष हिस्सों की तरह यहां दीन-हीन दरिद्रता नहीं दिखती। मगर इस सुंदर क्षेत्र के निवासी विकास के लाभों से वंचित ही हैं।

2011 में हुई सामाजिक-आर्थिक तथा जाति जनगणना (एसईसीसी) में गरीबी के बहुआयामी पहलुओं को दर्ज किया गया है और कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए लाभार्थी चुनने हेतु अभाव सूचकांक बनाया गया है। तालिका-1 में अभावग्रस्त परिवारों की संख्या दिखाई गई है।


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

जिस ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य हाथ से अकुशल काम करने के लिए तैयार हों, उस परिवार को वित्तवर्ष के दौरान 100 दिनों के लिए पारिश्रमिक वाला काम देने की गारंटी देकर रोजगार सृजन के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों की आजीविका की बेहतर सुरक्षा के लिए मनरेगा लागू किया गया। मनरेगा के तीन प्रमुख पक्ष हैं— रोजगार सृजन, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर ध्यान देते हुए संपत्तियों का सृजन और कृषि गतिविधियां। यह मांग-आधारित कार्यक्रम है, जो रोजगार की रणनीति एवं कार्यों की योजना बनाने के लिए नीचे से ऊपर तक जाने का तरीका अपनाता है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों जैसे मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों, असम तथा त्रिपुरा को छोड़कर देश के अधिकतर भागों में कामों की योजना तथा प्राथमिकता ग्रामसभा स्तर पर तय की जाती है और उसका क्रियान्वयन ग्राम पंचायत करती है। इन राज्यों और क्षेत्रों में समुदाय-आधारित परंपरा और स्थानीय स्वशासन होता है। लोकसभा के 02.08.2018 के तारांकित प्रश्न संख्या 238 के उत्तर से संकलित किए गए आंकड़ों के अनुसार पूर्वोत्तर में परिवारों को मिले रोजगार की स्थिति इस प्रकार है -

पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार पाने वाले परिवारों हेतु तालिका-2 से रोजगार सृजन अपेक्षाकृत कम है और कई राज्यों में तो रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या 2016-17 से भी कम है। उचित योजना एवं क्रियान्वयन नहीं होना, कार्यक्रम से होने वाले लाभों की जानकारी नहीं होना, निष्प्रभावी पंचायती राज संस्था, पहाड़ी भू-भाग, स्वीकृत कार्य यहां के अनुकूल नहीं होना, राज्यों का आकार एवं आबादी का घनत्व इसके कारण हैं।

मनरेगा की अनुसूची-1 प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और कृषि कार्यों में सहायता को केंद्र में रखते हुए टिकाऊ संपत्तियों

ग्राफ-1 : अब तक निर्मित परिसंपत्तियां



तालिका-2

राज्य	रोजगार पाने वाले परिवार (लाख में)	
	2016-17	2017-18
अरुणाचल प्रदेश	2.03	1.42
असम	15.71	16.86
मणिपुर	5.16	4.91
मिजोरम	4.15	4.27
मेघालय	1.89	1.91
नगालैंड	4.18	4.10
त्रिपुरा	0.68	0.64
सिक्किम	5.77	5.23
योग	512.22	511.82

के सृजन के लिए कार्यों की सूची से संबंधित है। इसमें निश्चित बुनियादी ढांचा तैयार कर एनआरएलएम के तहत स्वयंसहायता समूहों (एसजीएच) की मदद करने के प्रावधान भी हैं। ग्रामीण संपर्क कार्य का एक अन्य प्रमुख आयाम है, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों से संपर्क पर जबर्दस्त प्रभाव डाला है और ग्रामीणों के लिए रोजगार के मौके तैयार किए हैं। ग्राफ-1 दिखाता है कि पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्र से बाहर के राज्यों से पिछड़ रहे हैं। टिकाऊ परिसंपत्तियां तैयार करने के मामले में भी पूर्वोत्तर राज्यों का प्रदर्शन देश के अन्य पहाड़ी राज्यों से कमतर रहा है।

मनरेगा को कृषि कार्यों से जोड़ने के लिए राज्यों को किसी भी जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कम से कम 60 प्रतिशत लागत के ऐसे कार्य करने की सलाह दी जाती है, जिनसे वे उत्पादक परिसंपत्तियां तैयार हों, जो सीधे कृषि से अथवा कृषि उत्पादकता बढ़ाने वाली संबद्ध गतिविधियों से जुड़े हों। तालिका-2 में रोजगार पाने वाले परिवार और तालिका-3 में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों पर होने वाले खर्च का राज्यवार प्रतिशत में दिखाया गया है।

तालिका-3 से पता चलता है कि सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम और नगालैंड ने सभी सलाहें मानी हैं और अपने-अपने यहां कृषि आधारित परिसंपत्तियां तैयार करने के लिए खर्च करने को अधिक महत्व दिया। वास्तव में व्यय प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक है। जब अन्य राज्य भी मनरेगा की मदद से अपने-अपने यहां कृषि कार्यों को मजबूत करने के प्रयासों में जुटे हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

योजना के अंतर्गत 19.07.2018 तक कुल 42.56 लाख मकान बनाए गए हैं, जबकि मार्च, 2019 तक एक करोड़ बनाने का लक्ष्य है। राज्यों को ये लक्ष्य एसईसीसी, 2011 जैसे मकानों की कमी के मानकों के आधार पर दिए गए।

लाभार्थियों को मैदानी इलाकों में प्रति मकान 1.20 लाख रुपये तथा पहाड़ी, कठिन एवं एकीकृत कार्ययोजना वाले इलाकों में 1.30 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इस सहायता के अतिरिक्त उन्हें मनरेगा के अंतर्गत 90-95 दिन का रोजगार और स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये भी प्रदान किए जाते हैं।

पीएमएवाई-जी के तहत आवंटित लक्ष्य और निर्मित मकानों के बारे में तालिका-4 बताती है कि पूर्वोत्तर राज्यों का लक्ष्य प्राप्त

तालिका-3

वित्त वर्ष 2017-18 में 27.03.2018 तक कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों पर खर्च का प्रतिशत	
राज्य	प्रतिशत
अरुणाचल प्रदेश	48.12
असम	50.28
मणिपुर	58.58
मिजोरम	54.88
मेघालय	71.23
नगालैंड	62.79
त्रिपुरा	81.91
सिक्किम	71.51
योग	69.1

(स्रोत: लोकसभा में दिनांक 05.04.2018 का अतारांकित प्रश्न संख्या 6309)

तालिका-4

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवंटित लक्ष्य, निर्मित मकान				
राज्य का नाम	ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आवंटित लक्ष्य	निर्मित मकान	लक्ष्य प्रतिशत*	निर्माणाधीन मकान
अरुणाचल प्रदेश	11221	0	0.00	11221
असम	259814	38594	14.85	221220
मणिपुर	9740	114	1.17	9626
मिजोरम	20745	395	1.90	20350
मेघालय	6600	1507	22.83	5093
नगालैंड	8481	0	0.00	8481
त्रिपुरा	1957	528	26.98	1429
सिक्किम	24989	5314	21.27	19675
योग	9989825	4255873	42.60	5733952

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा 19.07.2018 तक के आवासों के आंकड़े, (स्रोत: 23.07.2018 को राज्यसभा में तारांकित प्रश्न)

तालिका-5

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत जून, 2018 तक मंजूर और निर्मित सड़कों की लंबाई			
राज्य का नाम	मंजूर की गई सड़क की लंबाई (किमी)	बन चुकी सड़क की लंबाई (किमी)	निर्माण प्रतिशत*
अरुणाचल प्रदेश	8885.34	6728.04	75.72
असम	27,358.74	17,815.45	65.12
मणिपुर	9,640.47	6,294.04	65.29
मिजोरम	2,731.33	1,711.64	62.67
मेघालय	4,167.98	2,945.78	70.68
नगालैंड	3,893.37	3,530.37	90.68
त्रिपुरा	4,794.50	3,673.03	76.61
सिक्किम	4,952.47	4,175.02	84.30
योग	665,737.94	556,389.37	83.57

करने का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत (42.60) की तुलना में बहुत कम है। वे तो राष्ट्रीय औसत के आसपास भी नहीं हैं। इससे यह भी पता चलता है कि कुछ राज्यों (अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड) का लक्ष्य प्राप्ति प्रतिशत 'शून्य' ही है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

सड़क संपर्क को विकास की जीवनरेखा कहा जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में संपर्क विशेषकर ग्रामीण संपर्क बहुत खराब है

और बनी हुई सड़कों खासतौर पर ग्रामीण सड़कों को भूस्खलन तथा पहाड़ी भू-भाग होने के कारण आने वाली अन्य आपदाओं का खतरा बहुत अधिक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) केंद्र सरकार की सफल योजना है। इस योजना के तहत मुख्य नेटवर्क से नहीं जुड़े स्थान को एक लेन वाली सभी मौसमों में काम करने वाली सड़क से जोड़ते हुए ग्रामीण संपर्क बढ़ाने के लिए एकबारगी विशेष सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों में संपर्कविहीन स्थान के लिए अर्हता की शर्त है 250 से अधिक की आबादी होना और मैदानों में अर्हता की शर्त है 500 से अधिक आबादी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कों का राज्यवार ब्यौरा तालिका-5 में है।

तालिका बताती है कि आरंभ से जून, 2018 तक 6,65,737.94 किलोमीटर सड़क को मंजूरी दी गई है, जिसमें से राष्ट्रीय-स्तर पर 183,095.37 करोड़ रुपये खर्च कर 5,56,389.37 किमी. सड़क पूरी की जा चुकी है। पूर्वोत्तर राज्यों का राज्यवार ब्यौरा बताता है कि सिक्किम में सड़क पूरी होने का प्रतिशत 91 प्रतिशत है, जिसके बाद त्रिपुरा (84.30 प्रतिशत) आता है। शेष छह राज्यों में सड़क पूरी होने की दर राष्ट्रीय औसत (83.57 प्रतिशत) से कम है। इन राज्यों ने ग्रामीण संपर्क प्रदान करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए हैं ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

सरकार के कल्याण के प्रमुख कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) लागू किया है। पिछले तीन वर्षों में आईजीएनओएपीएस, आईजीएनडब्ल्यूपीएस और आईजीएनडीपीएस के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों का राज्यवार

तालिका-6

आईजीएनओएपीएस, आईजीएनडब्ल्यूपीएस और आईजीएनडीपीएस के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या

राज्य	2016-2017			2017-2018		
	आईजीएनओएपीएस	आईजीएनडब्ल्यूपीएस	आईजीएनडीपीएस	आईजीएनओएपीएस	आईजीएनडब्ल्यूपीएस	आईजीएनडीपीएस
अरुणाचल प्रदेश	29290	3565	1284	29290	3565	1284
असम	707927	137463	18916	707927	137463	18916
मणिपुर	56045	8043	1007	56045	8043	1007
मिजोरम	77980	8498	969	77980	8498	969
मेघालय	25251	1925	400	25251	1925	400
नगालैंड	44530	3720	960	44530	3720	960
त्रिपुरा	16418	1614	817	16418	1614	817
सिक्किम	141510	17927	2144	141510	17927	2144
योग	1098951	182755	26497	1098951	182755	26497
कुल योग	21396057	5726184	701623	21245655	5846459	712358

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)

विवरण तालिका-6 दिया गया है।

आजीविका सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए भारत सरकार देशभर में राज्य सरकारों के साथ मिलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) क्रियान्वित कर रही है ताकि निर्धन ग्रामीण महिलाओं को स्वयंसहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल कर स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए आजीविका सुरक्षा प्रदान की जा सके। साथ ही उन्हें तब तक आर्थिक गतिविधियों से जोड़े रखने के लिए सहायता दी जाती है, जब तक उनकी आय में ठीकठाक वृद्धि न हो जाए, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ सके और वे नितान्त गरीबी से बाहर आ सकें। कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक निर्धन ग्रामीण परिवार (लगभग 9 करोड़) से कम से कम एक महिला सदस्य को निश्चित समय के भीतर महिला स्वयंसहायता समूहों और उनके महासंघों में शामिल किया जाए। अभी तक शामिल किए गए कुल परिवारों तथा सहायता प्राप्त एसएचजी की संख्या तालिका-7 में दी गई है।

तालिका बताती है कि शामिल किए गए परिवारों तथा सहायता प्राप्त समूहों में बहुत अंतर है। जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों के प्रदर्शन का प्रश्न है, मिला-जुली तस्वीर उभरती है। अधिकतर राज्यों ने राष्ट्रीय औसत (8.87 प्रतिशत) से बेहतर प्रदर्शन किया है। केवल मणिपुर राष्ट्रीय औसत से नीचे है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

तालिका-7

शामिल किए गए कुल परिवार तथा सहायता प्राप्त एसएचजी की संख्या			
राज्य	शामिल किए गए परिवार (कुल प्रगति)	सहायता प्राप्त एसएचजी (कुल प्रगति)	उपलब्धि प्रतिशत*
अरुणाचल प्रदेश	1754627	167775	9.56
असम	14086	1580	11.22
मणिपुर	17291	1506	8.71
मिजोरम	51857	5060	9.76
मेघालय	37923	3983	10.50
नगालैंड	42140	4554	10.81
त्रिपुरा	17299	1693	9.79
सिक्किम	51224	5672	11.07
योग	52567122	4664593	8.87

(स्रोत: 30.07.2018 को राज्यसभा में अतारांकित प्रश्न)

*लेखक द्वारा की गई गणना

तालिका-8

अक्टूबर, 2017 तक कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट प्राप्त कर चुके व्यक्तियों की संख्या			
राज्य	प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या	काम पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	काम या नौकरी का प्रतिशत *
असम	8980	6426	71.56
सिक्किम	304	275	90.46
त्रिपुरा	1140	274	24.04
योग	385663	202256	52.44

कौशल विकास के जरिए रोजगार को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हुए और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देते हुए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) आरंभ की गई है, जो एनआरएलएम के अंतर्गत निर्धन ग्रामीण युवाओं के लिए काम यानी प्लेसमेंट दिलाने वाला कौशल विकास कार्यक्रम है।

डीडीयू-जीकेवाई के तहत प्रशिक्षण एवं नौकरी प्राप्त करने वालों की संख्या तालिका-8 बताती है कि अभी 52 प्रतिशत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नौकरी मिल रही है, जबकि लक्ष्य 70 प्रतिशत का है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो त्रिपुरा के अतिरिक्त सभी का प्रदर्शन अच्छा है। अन्य राज्यों में अभी कार्यक्रम क्रियान्वित करने की प्रक्रिया चल ही रही है।

निष्कर्ष

पूर्वोत्तर क्षेत्र वास्तव में अदभुत क्षेत्र है। इस क्षेत्र के राज्य अपेक्षाकृत कठिन एवं विपन्न क्षेत्र में तथा जटिल एवं विविधता भरे समाज में बदलाव एवं विकास की तस्वीर पेश करते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विज़न 2020 में कहा गया है कि क्षेत्र के लोगों का शेष देश के लोगों की तरह अपने लिए न सही अपनी संतानों के लिए संपन्नता एवं सुख प्राप्त करने का सपना है। इस बात का उल्लेख करना उचित होगा कि इस क्षेत्र की संभावनाओं का उपयोग करने के लिए क्षेत्र में तथा बाहर रहने वाले लोगों की मानसिकता समेत बड़ा बदलाव लाने की जरूरत होगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के भौतिक संसाधनों का उपयोग यहां के लोगों के कल्याण के लिए करना है तो अनुकूल वातावरण प्रदान करना पहली शर्त है। इस पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना होगा। सतत विकास के लिए हमें विकास तथा बदलाव के अगले दौर की ओर बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री ने भी देश से इसका आह्वान करते हुए कहा है कि धीरे-धीरे बदलाव का समय खत्म हो गया है और अब हमें निर्णायक तथा कायाकल्प करने वाले परिवर्तन के दौर में जाना होगा।

(लेखक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी में सहायक प्रोफेसर हैं।)
ई-मेल : mkshrivastava.nird@gov.in

माई विलेज माई प्राइड अभियान

पंजाब ने द्विभाषी ओडीएफ सस्टेनेबिलिटी मोबाइल एप लांच किया

‘माई विलेज माई प्राइड’ अभियान में गांवों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे ओडीएफ जागरूकता, प्रातः निगरानी, स्वच्छता अभियान, महिला मोहल्ला, सोक पिट जागरूकता तथा ठोस कचरा अलग करना भी होती हैं। जिला, ब्लॉक और राज्य स्तरों पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले समूहों को पुरस्कार दिए जाएंगे।

उत्तरी राज्य पंजाब ने ‘माई विलेज माई प्राइड’ अभियान के तहत खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) दर्जा बनाए रखने के लिए ओडीएफ सस्टेनेबिलिटी एप लांच किया है। ऐसा एप लाने वाला पंजाब पहला राज्य है। सस्टेनेबिलिटी अनूठा एप है, जिसमें सफाई तथा संवहनीयता से जुड़े सभी मानक शामिल हैं।


सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री तैयार करने की जिम्मेदारी देखने वाले उपमंडलीय अभियंता श्री सर्वजीत सिंह ने बताया, “ऐप खुद को चुनौती देने के लिए और ओडीएफ दर्जा बनाए रखने के लिए तैयार किया गया था।”

एप की विशेषताएं

- इसमें खुले में शौच के संबंध में ऑनलाइन शिकायत करने की सुविधा है, जिससे राज्य का ओडीएफ दर्जा बनाए रखने में क्षेत्र में किसी को खुले में शौच करते देखकर समुदाय का कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कराने के लिए मोबाइल एप का इस्तेमाल कर सकता है।
- शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की प्रगति भी जान सकता है। एप का उद्देश्य शिकायत दर्ज कर लेना भर नहीं है बल्कि उनका समाधान प्रदान करना भी है। एप पर शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की स्थिति देख सकता है और पता कर सकता है कि उसका निराकरण किया गया अथवा नहीं।”
- समुदाय का कोई भी व्यक्ति यदि किसी कारण कार्यक्रम से छूट गया है तो वह एप के जरिए शौचालय एप्लिकेशन पर जा सकता है। अपनी अर्हता की ऑनलाइन जांच करने के बाद वे आवेदन-पत्र भर सकते हैं और बाद में आवेदन की प्रगति जांच सकते हैं और देख सकते



सहायता मिलेगी।



- हैं कि उनका आवेदन किस चरण पर रुका है।
- ‘माई विलेज माई प्राइड’ लोगों को स्वच्छता के महत्व का भान कराने और लोगों की सहभागिता के जरिए इसे जन-आंदोलन बनाने के उद्देश्य से आरंभ किया गया अनूठा कार्यक्रम है। सभी व्यक्तियों एवं समुदाय को प्रभावित करने वालों जैसे युवा क्लब, स्वयंसेवा समूह (एसएचजी), स्वयंसेवी समूह, महिला समूह तथा गैर-सरकारी संगठनों को कार्यक्रम में शामिल होने का न्यौता दिया गया है। उन्हें केवल एक गांव गोद लेना है और उस गांव में पहले से निर्धारित गतिविधियां करनी हैं। उसके बाद उन्हें मोबाइल एप्लिकेशन का इस्तेमाल कर अपनी गतिविधियों की तत्काल सूचना देनी है। प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा उनके प्रदर्शन के अनुसार पुरस्कार दिए जाएंगे।
- चूंकि स्वच्छ भारत मिशन— (ग्रामीण) के अंतर्गत निर्मित सभी शौचालयों की जियो-टैगिंग होती है, इसलिए अब तक बने सभी शौचालयों को मोबाइल एप्लिकेशन इस्तेमाल कर गूगल मैप



पर देखा जा सकता है। इस सुविधा से लोग अपने गांवों में बने शौचालय देख सकते हैं।

- साथ ही एप में सोशल मीडिया कॉर्नर और स्वच्छता गैलरी भी है, जहां सूचना, शिक्षा और संचार से जुड़ी सभी सामग्री देखी जा सकती है।

जागरूकता स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 को जन-आंदोलन बनाने तथा लोगों की प्रतिभागिता बढ़ाने की दृष्टि से आईईसी सामग्री को क्षेत्रीय भाषा यानी पंजाबी में तैयार किया गया है। समुदाय को उनके जिलों की रैंकिंग के बारे में बताने के लिए और उनके गांवों तथा वातावरण को स्वच्छ रखने का महत्व समझाने के लिए इसमें ब्रॉशर, पैंफ्लेट, बैनर तथा जिगल शामिल हैं।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने गुणात्मक एवं मात्रात्मक स्वच्छता मानकों के आधार पर भारत के सभी जिलों की रैंकिंग तैयार करने के लिए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण एजेंसी के जरिए "स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण - 2018" (एसएसजी-2018) आरंभ किया। यह रैंकिंग स्कूलों, आंगनवाड़ियों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, हाट बाजारों,

पंचायतों जैसे सार्वजनिक स्थलों के जिला-स्तरीय सर्वेक्षण एवं स्वच्छता के विषय में नागरिकों की धारणा तथा कार्यक्रम को बेहतर करने की उनकी सिफारिशों एवं स्वच्छ भारत अभियान-(ग्रामीण) से मिले आंकड़ों समेत मानकों के एक समग्र समूह पर आधारित होगी। सर्वेक्षण के अंतर्गत राज्यों और जिलों को स्वच्छता एवं सफाई की स्थिति के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाएगी। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों एवं जिलों को 2 अक्टूबर, 2018 को पुरस्कृत किया जाएगा।

'मिशन स्वच्छ पंजाब' स्वच्छता सेवा के स्तरों में सुधार कर स्वच्छ एवं स्वस्थ राज्य का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए चलाया जा रहा जनांदोलन है ताकि लोग सभी गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के साथ ही व्यक्तिगत स्वच्छता भी बरकरार रख सकें।

पंजाब के जल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले राज्य के सभी गांव खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। गांवों का ओडीएफ सत्यापन अभी जारी है।



स्वच्छता प्रहरी

स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षुओं ने गांव को संवारा

मणिपुर प्रबंधन अध्ययन संस्थान के स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षुओं ने इंफाल पश्चिम के क्यामगेई गांव में पिछले तीन महीनों में स्वच्छता से जुड़े विभिन्न कार्यों को अंजाम दिया। इंफाल पश्चिम की जिला स्वच्छ भारत प्रेरक रोमिला अखाम ने इन प्रशिक्षुओं के कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संस्थान के सात युवाओं ने स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षु बनने के लिए अपना नाम दर्ज कराया था। इन सातों ने मिलकर इंफाल पश्चिम जिले के समूचे क्यामगेई गांव की सफाई की। उन्होंने स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्रामीणों से विस्तृत बातचीत करने के अलावा ठोस कचरे को अलग किया और नालियों की सफाई की।

इन युवाओं ने स्वच्छता और साफ-सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों का दौरा किया। उन्होंने दीवारों पर सफाई से संबंधित संदेश पेंट किए और स्वच्छता मेला का आयोजन भी किया। उन्होंने बच्चों को हाथ धोने और माहवारी के दौरान स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया। उनके इन कार्यों से स्कूली छात्रों को अपनी शंकाओं के निवारण का अवसर मिला। प्रशिक्षुओं ने अपने प्रशिक्षणकाल में घरों से कचरा इकट्ठा करने के लिए एक ट्रक का भी इंतजाम कर लिया।

उनके प्रयासों से समूचे गांव की रंगत बदल गई। प्रशिक्षुओं के स्वच्छता और साफ-सफाई के प्रति जागरूकता फैलाने के प्रयासों का ग्रामीणों और स्थानीय युवा क्लबों के सदस्यों पर जबर्दस्त असर हुआ। उन्होंने इन युवाओं से प्रेरणा लेकर गांव

की सफाई में पूरे मनोयोग से शिरकत की। उन्होंने प्रशिक्षुओं और स्कूली बच्चों के साथ मिलकर गलियों को साफ किया तथा जैविक और बाकी कचरे को सही ढंग से अलग करने में भी हाथ बंटाय। इस दौरान बच्चों को भोजन से पहले और शौच के बाद हाथ धोने के सही तरीके के बारे में बताया गया। समूचे प्रशिक्षणकाल के दौरान इन प्रशिक्षुओं ने घरों से कचरा उठाया। ग्राम पंचायत और स्थानीय क्लबों ने भी प्रशिक्षुओं के साथ पूरा सहयोग करते हुए इन्हें हर जरूरी चीज मुहैया करायी। प्रशिक्षुओं ने उम्मीद जतायी कि ग्रामीण अपना उत्साह बरकरार रखते हुए गांव की सफाई जारी रखेंगे। उन्होंने एक फुटबाल मैच का आयोजन भी किया जिसमें ग्रामीणों ने पूरे जोशखरोश के साथ हिस्सा लिया। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने देश के युवाओं को साफ-सफाई के काम से जोड़ने के लिए एक मई से 31 जुलाई, 2018 तक स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटरशिप (एसबीएसआई) का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं में स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिये कौशल और रुझान का विकास करना था। एसबीएसआई में भाग लेने वाले हर छात्र को इस दौरान स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों पर 100 घंटे लगाने थे। एसबीएसआई से देशभर के युवाओं को स्वच्छता क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान करने का मौका मिला। इस कार्यक्रम का लक्ष्य महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिवस से पहले युवाओं को ग्रामीण इलाकों में सामुदायिक सेवा से जोड़ना था।



प्लास्टिक मुक्त होगा सीतामढ़ी

स्वच्छता पहल

बिहार का खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) पहला जिला सीतामढ़ी अब एक और मिसाल कायम करने की ओर बढ़ रहा है। सीतामढ़ी ने इसी साल 17 जुलाई को ओडीएफ जिला होने का गौरव हासिल किया है। अब इस जिले में चरणबद्ध ढंग से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यह अभियान स्वच्छ भारत मिशन—(ग्रामीण)/लोहिया स्वच्छता योजना के तहत शुरू किया गया है। इसका नारा 'स्वच्छ सीतामढ़ी—सुंदर सीतामढ़ी' है।

बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसायटी (जीविका) ने सीतामढ़ी के जिला प्रशासन के सहयोग से प्लास्टिक पर चरणबद्ध ढंग से प्रतिबंध की शुरुआत की है। इसके पहले चरण की घोषणा स्वतंत्रता दिवस 2018 के दिन की गई। इसके तहत प्लास्टिक की सभी किस्म की (हैंडल वाली और बिना हथ्थे की) थैलियों, डिस्पोजेबल बर्तनों, बगैर बुनाई की पोलीप्रोपीन बोरियों, खाने के डिब्बों, पैकिंग सामग्री और बोटलों को प्रतिबंधित किया गया है।

जिला प्रशासन ने 15 अगस्त को प्रतिबंध की शुरुआत करते हुए 10 लाख सूती थैलियों का वितरण किया। इन थैलियों को जीविका परियोजना के विभिन्न स्वयंसहायता समूहों की ग्रामीण महिला उद्यमियों ने तैयार किया था। जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक ने कहा, "प्लास्टिक—मुक्त सीतामढ़ी अभियान से हमारे भोजन चक्र में माइक्रो प्लास्टिक की मौजूदगी में कमी आएगी। इसके साथ ही जिले की ग्रामीण महिला उद्यमियों का हौंसला भी बढ़ेगा। यह जीविका के हाल में शुरू किए गए ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के लिए सहायक होगा। इसके अलावा, यह महिला सशक्तीकरण के सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने में उत्प्रेरक का काम भी करेगा।"

कई राज्य सरकारों ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध के लिए इसी तरह के अभियान शुरू किए हैं। महाराष्ट्र ने 23 जून, 2018 को प्लास्टिक पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया जिसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान है। सीतामढ़ी में भी प्लास्टिक के विरुद्ध प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन खाद्य—स्तर के तथा दवाओं की पैकिंग, ठोस कचरे के निस्तारण, उत्पादन और निर्यात तथा कृषि के लिए कंपोस्टेबल थैलियों में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। सीतामढ़ी इस साल के अंत तक देश का पहला पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त जिला बन जाएगा।

प्लास्टिक हमारे जीवनचक्र का हिस्सा बन चुका है। हर कोई पानी और भोजन के जरिए माइक्रो प्लास्टिक ग्रहण कर



रहा है। अपघटित होने में 100 साल से ज्यादा समय लेने वाला यह प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक सिर्फ एक प्रमुख प्रदूषक ही नहीं है। इससे जमीन की उर्वराशक्ति भी घटती है। यह मिट्टी पर एक सतह बनाकर पानी को उसके अंदर जाने से रोकता है। मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता घटने से भूमिगत जल के स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और बाढ़ की विभीषिका भी पैदा हो सकती है। प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही इस बात के उपाय भी किए गए हैं कि इससे सीतामढ़ी जिले के निवासियों को कोई असुविधा नहीं हो।

जिला प्रशासन ने एक और अनूठा कदम उठाते हुए बस पड़ाव, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल, बाजार और सरकारी कार्यालय जैसे सार्वजनिक स्थलों पर साफ पेयजल के लिए पानी का एटीएम लगाने का फैसला किया है। इनके लिए धनराशि कंपनियों के सामुदायिक जिम्मेदारी कोष, यूनिसेफ जैसे विकास साझेदारों और सीतामढ़ी के विभिन्न विभागों से आएगी। पानी के एटीएम से सीतामढ़ी जिले के निवासियों को सुरक्षित और किफायती पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस तरह की मशीनें लगाने का फैसला पानी से होने वाले रोगों के प्रसार को देखते हुए किया गया है। जिले के ओडीएफ होने के बाद अतिसार के मामलों में काफी कमी आयी है तथा पानी के एटीएम लगने से इनमें और गिरावट आएगी।

सीतामढ़ी जिला बिहार में स्वच्छता की मिसाल बन रहा है। उसने नीति आयोग के आकांक्षापूर्ण जिले के रूप में एक उदाहरण पेश किया है।

22 जुलाई को ओडीएफ—प्लस अभियान धमाकेदार अंदाज में शुरू किया गया। इस अवसर पर रिकॉर्ड 22 लाख लोगों ने हाथ धोने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीतामढ़ी जिला स्वच्छता अभियान में हासिल रपतार को ओडीएफ प्लस गतिविधियों में बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। जिला प्रशासन को उम्मीद है कि सीतामढ़ी को स्वच्छ सर्वेक्षण (ग्रामीण) 2018 में अच्छी रैंकिंग प्राप्त होगी।

गोरखपुर के तीन गांवों को स्वच्छता पुरस्कार

“पहला स्थान पाने वाले गांव को एक करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा जबकि दूसरे स्थान पर रहे गांव को 75 लाख रुपये और तीसरे पुरस्कार विजेता को 50 लाख रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे।”

देशभर में चलाए जा रहे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-18 से पहले समुदायों को अपने-अपने गांवों को साफ-सुथरा बनाने को प्रेरित करने के लिए गोरखपुर के जिला मजिस्ट्रेट जिले के तीन सबसे स्वच्छ गांवों को पुरस्कृत करेंगे।

“पहला स्थान पाने वाले गांव को एक करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा जबकि दूसरे स्थान पर रहे गांव को 75 लाख रुपये और तीसरे पुरस्कार विजेता को 50 लाख रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे।”

एक अगस्त, 2018 को चारगांववां ब्लॉक में वृहद् स्वच्छता अभियान और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (एसएसजी-18) का उद्घाटन करते हुए यह घोषणा की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, चारगांववा के ब्लॉक प्रमुख श्री सुनील पासवान, कई ग्राम प्रधान और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने हाल में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2018 की शुरुआत की थी जिसके तहत देश के सभी जिलों को स्वच्छता के गुणात्मक और संख्यात्मक मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जाना है। वर्गीकरण के इन विस्तृत मानदंडों में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इंफार्मेशन सिस्टम (आईएमआईएस) से प्राप्त आंकड़ों, स्कूलों, आंगनवाड़ियों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, हाट बाजारों तथा पंचायतों जैसे सार्वजनिक स्थानों के जिला-स्तरीय सर्वेक्षण, स्वच्छता के बारे में नागरिकों की धारणाओं एवं कार्यक्रम में सुधार करने के लिए उनकी सिफारिशों को आधार बनाया जाएगा।

इसके अंतर्गत एक स्वतंत्र सर्वेक्षण एजेंसी 1 अगस्त से 31 अगस्त 2018 तक सभी जिलों में सर्वेक्षण करेगी। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और जिलों को 2 अक्टूबर, 2018 को पुरस्कृत किया जाएगा। देशभर में जिलों ने अपने गांवों को स्वच्छता के उच्चतर स्तर तक ले जाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है और वे जनसमुदायों को इसमें शामिल कर लोगों को साफ-सफाई के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

गोरखपुर के स्वच्छता अभियान के हिस्से के तौर पर सफाई कर्मचारियों को वर्दियां उपलब्ध करा दी गई हैं ताकि सामुदायिक-स्तर पर उनकी पहचान हो सके और उन्हें लोगों का सहयोग भी मिले। इसके अलावा सेनीटेशन किट भी बांटे गए हैं जिनमें कूड़ा ले जाने वाली ट्रॉली, डस्टबिन और फॉगिंग मशीन आदि शामिल हैं।

जिले में 23 जुलाई से 28 जुलाई, 2018 तक ब्लॉक वार

अभिविन्यास सत्र आयोजित किया गया जिसमें जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर के सरकारी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा जिला-स्तर की एक बैठक और सफाई कर्मचारियों का अभिविन्यास सत्र भी आयोजित किया गया ताकि उन्हें स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूक बनाया जा सके। सफाई कर्मचारियों का रोस्टर बनाया गया है और काम पूरी रफ्तार से चल रहा है।

गोरखपुर के जिला स्वच्छ भारत प्रेरक श्री प्रदीप अग्रहरि ने बताया है कि पूरे जिले में सभी 1352 ग्राम पंचायतों में स्वच्छता कार्य की निगरानी और पुष्टि करने के लिए ब्लॉक वार और ग्राम पंचायत वार नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं। 6 अगस्त, 2018 को जिलाधिकारी और सीडीओ ने नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित की जिसमें स्वच्छता अभियान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया गया। सर्वेक्षण कराने के लिए उन्हें प्रश्नावलियां उपलब्ध कराई गईं और स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 तथा स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि अभियान में 500 स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटरन भी अपना योगदान कर रहे हैं।

इस बीच, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटरन की एक टीम विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा ले रही है। ये लोग दीवारों की पुताई करने, कूड़े के निपटान, शौचालयों के सर्वेक्षण, स्कूली छात्रों को हाथ धोने के बारे में जागरूक बनाने के लिए हाथ धोने के सत्र आयोजित करने, फोकस ग्रुप चर्चाओं, गोरखपुर के चारगांववा ब्लॉक की मुडेला ग्राम पंचायत में जागरूकता रैलियों के आयोजन जैसे कार्य कर रहे हैं। इस ब्लॉक को 15 अगस्त, 2018 को खुले में शौच की बुराई से मुक्त घोषित किया गया।

उत्साही इंटरन स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 में भी मदद कर रहे हैं। स्वच्छता रैंकिंग संबंधी अभियान के दौरान उन्होंने स्वच्छता पर गीत गाए और अन्य गतिविधियों में भी मदद की। जिले की टीम स्वच्छ भारत मिशन को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। गोरखपुर जिले ने 2 अक्टूबर, 2018 तक अपने आप को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने का भी संकल्प लिया है।

आगामी अंक
अक्टूबर, 2018 : सूक्ष्म और लघु उद्योग

सतत ग्रामीण विकास का सशक्त माध्यम बनती महिला सरपंच

—डॉ. जोरावर सिंह राणावत

कुछ समय से देश के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं ने अभूतपूर्व जागृति का परिचय दिया है व अनुकरणीय पहल की है। राजस्थान में भी समय-समय पर महिला जनप्रतिनिधियों ने अपने अभूतपूर्व नेतृत्व व प्रबंधन का परिचय करवाया है तथा देश का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं।

कि सी भी राष्ट्र के समग्र विकास के लिए आवश्यक है कि उस राष्ट्र के सभी घटकों एवं सभी आयामों में विकास हो। इसी प्रकार राष्ट्र के विकास में सामाजिक विकास भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः यह आवश्यक है कि देश के सतत विकास के लिए समाज के सभी घटकों, यथा— शोषित, कमजोर व निम्न वर्ग, महिलाएं, बच्चे, वृद्ध आदि का भी विकास जरूरी है। इस क्रम में देश ने स्वतंत्रता के बाद अनेक प्रयास किए हैं जोकि इनकी उन्नति का कारण बने हैं। भारतीय संविधान में भी प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए सभी के विकास एवं कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं विशेषतः मूल अधिकारों व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इस प्रकार के प्रावधान हैं। इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत महिलाओं को सशक्त करने व उनकी सार्वजनिक जीवन में भागीदारी बढ़ाने के लिए संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायती राज में तथा संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा नगरीय निकायों में एक तिहाई पदों पर आरक्षण दिया गया है जिसे राजस्थान जैसे कई राज्यों ने वर्तमान में बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर दिया है।

वर्तमान में उत्तराखंड, बिहार, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित करीब 14 राज्यों में शहरी निकायों में तथा करीब 17 राज्यों में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। संसद में एक प्रश्न का जवाब देते हुए पंचायती राज राज्यमंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बताया कि वर्तमान में देश में कुल 1,06,250 महिला सरपंच हैं जिनमें से सबसे ज्यादा 19,992 महिला सरपंच उत्तर प्रदेश में, 13,960 महिला सरपंच महाराष्ट्र में, 11,864 महिला सरपंच मध्य प्रदेश में, 6,584 महिला सरपंच आंध्र प्रदेश में, 4,824 महिला सरपंच राजस्थान में, 4,676 महिला सरपंच गुजरात में, 4,289 महिला सरपंच बिहार में तथा 2,565 महिला सरपंच हरियाणा में हैं।

राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में महिलाओं के लिए जिला प्रमुख के 33 में से 16 पद आरक्षित हैं जबकि वर्तमान में 19 जिला प्रमुख महिलाएं हैं। इसी प्रकार पंचायत समिति प्रधान के महिलाओं के लिए कुल आरक्षित पद 112 हैं जबकि वर्तमान में 125 महिलाएं इन पदों पर चयनित हुई हैं। राजस्थान में महिलाओं के लिए सरपंच के 4359 पद आरक्षित हैं तथा इन पदों के अतिरिक्त 465 अधिक पदों पर महिलाएं चयनित हुई हैं और वर्तमान

में राजस्थान में 4,824 महिला सरपंच हैं। राजस्थान में वर्तमान में पंचायती राज चुनावों में शिक्षा की अनिवार्यता का नियम लागू है जिसके अनुसार सरपंच बनने के लिए आदिवासी क्षेत्र में पांचवीं तथा गैर-आदिवासी क्षेत्र में आठवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

प्रारंभ में पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के समय घूंघट में दुबकी महिलाएं सिर्फ नाम की सरपंच हुआ करती थी तथा उनका सारा काम उनके बेटे या पति किया करते थे लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक दृष्टि से महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है परंतु लोकतांत्रिक माहौल व जनभागीदारी के लिए स्थानों के आरक्षण के चलते स्थितियों में बदलाव आना प्रारंभ हो गया है। कुछ समय से देश के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं ने अभूतपूर्व जागृति का परिचय दिया है व अनुकरणीय पहल की है। राजस्थान में भी समय-समय पर महिला जनप्रतिनिधियों ने अपने अभूतपूर्व नेतृत्व व प्रबंधन का परिचय करवाया है तथा देश का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। आजादी के 72वें वर्ष राजस्थान में इतनी बड़ी संख्या में पदों पर काबिज होने व अब तक लगभग अपना आधा से ज्यादा कार्यकाल पूरा करने वाली बहुत-सी महिला सरपंच वर्तमान में भी इसी प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं जिनमें से कुछ के बारे में तथा उनके द्वारा किए गए नवीन प्रयासों के बारे में इस लेख में चर्चा की गई है।

विदेशों में पंख फैलाती महिला सरपंच

गीता राव, ग्राम पंचायत रायपुर के जिला सिराही (राजस्थान) में सरपंच हैं। सिराही जिले की रेवदर तहसील में आबू रोड़ रेलवे स्टेशन से करीब 65 किमी. दूरी पर स्थित है ग्राम पंचायत रायपुर। 34 वर्षीय 8वीं उत्तीर्ण गीता राव यहां की सरपंच हैं। गीता राव का बाल विवाह हो जाने के कारण वह आगे पढ़ाई



नहीं कर पाई जिसका उन्हें आज भी मलाल है। गीता राव के दो बेटियाँ हैं, उनके तथा पंचायत की सभी बालिकाओं के भविष्य के प्रति गीता बहुत सजग हैं तथा कुछ ऐसा करना चाहती हैं ताकि उनके साथ जो हुआ, वह किसी और के साथ ना हो।

गीता राव के सरपंच बनने से पहले पंचायत की स्थिति बहुत खराब थी। गांव के बाहर से नदी निकलती है जिस पर पुलिया नहीं होने की वजह से परिवहन के पर्याप्त साधन नहीं थे तथा बारिश के मौसम में तो इस पंचायत का संपर्क ही कट जाता था। पुलिया का दो बार उद्घाटन भी हो चुका था परंतु बजट कम होने की वजह से काम कभी शुरू नहीं हो पाया। इन सभी वजहों से कोई भी सरकारी कार्मिक इस पंचायत में काम नहीं करना चाहता था। इसी वजह से विद्यालय में भी एक ही अध्यापक था। वहीं दूसरी ओर, परिवहन के साधन पर्याप्त ना होने के कारण कई बार गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इन सभी समस्याओं को लेकर सरपंच पंचायती राज मंत्री से मिली तथा पुलिया निर्माण के बजट को 80 लाख से 1.5 करोड़ करवाया तथा पुलिया का निर्माण करवाया। साथ ही सरपंच के प्रयासों से वर्तमान में विद्यालय में 6 अध्यापक हैं तथा आंगनवाड़ी में भी एक सहायक नियुक्त की गई है। इसके अलावा सरपंच ने पंचायत के विकास के लिए निम्न नवीन पहल की है—

1. बाल विवाह मुक्त पंचायत

चूंकि सरपंच स्वयं बाल विवाह की शिकार हैं अतः वह इसके दुष्परिणामों से भले प्रकार से परिचित है। अतः उन्होंने इसके विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया तथा सभी जातियों के वरिष्ठ जनों से बात कर उन्हें बाल विवाह के विरुद्ध पाबंद किया। इसका सुखद परिणाम यह रहा कि पिछले दो वर्षों में पंचायत में एक भी बाल-विवाह नहीं हुआ है।

2. किशोरी संदर्भ केंद्र

सरपंच गीता राव ने पंचायत के पुराने भवन में इस केंद्र को प्रारंभ किया है, जहां बालिकाओं के स्वास्थ्य संबंधित सामग्री यथा—आयरन की गोलियाँ, सेनेटरी नेपकिन आदि उपलब्ध हैं तथा यह केंद्र बालिकाओं व महिलाओं के विचार-विमर्श के साथ-साथ बालिकाओं के खेलने व परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी साधन सुविधा उपलब्ध करवाता है।

3. बालिकाओं के जन्म पर वृक्षारोपण

यह पहल बालिकाओं की जन्मदर को बढ़ाने व पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त पहल है जिसमें सारद संस्थान व हंगर प्रोजेक्ट भी सहयोगी हैं। इसके तहत पंचायत में बालिका के जन्म पर सरकारी परिसर यथा— ग्राम पंचायत, अटल सेवा केंद्र, विद्यालय, पटवार मंडल, किशोरी संदर्भ केंद्र आदि में बालिका के नाम से एक पौधा रोपा जाता है जिस पर बालिका के नाम की तख्ती लगाई जाती है। इस पौधे की परिजन व सरपंच देखभाल करते हैं। इस कार्यक्रम की जिलाधीश महोदय ने भी प्रशंसा की है तथा विस्तारित करने की योजना बनाई है।

4. सरपंच आपके द्वार

‘प्रशासन आपके द्वार’ कार्यक्रम से प्रेरित होकर सरपंच गीता ने अपनी पंचायत में यह कार्यक्रम चलाया है। चूंकि इस पंचायत में 9 गांव हैं और सभी गांव के ग्रामीणों का पंचायत तक पहुंच पाना संभव नहीं है, अतः सरपंच गीता राव ने इस कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक माह एक या दो गांवों में सभा रखने व वहीं पर स्थानीय समस्याओं को सुनने व निराकरण करने की पहल की है।

5. कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान

चूंकि सिरौही जिले का लिंगानुपात बहुत कम (1000 पुरुषों पर 938 महिलाएं) है अतः सरपंच गीता राव इस अभियान के लिए प्रेरित हुईं। इसके तहत सरपंच पंचायत की महिलाओं विशेषतः गर्भवती महिलाओं के लगातार संपर्क में रहती हैं तथा उन्हें बालक-बालिका के एक समान होने तथा बालिकाओं के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के प्रति जागरूक करती रहती हैं तथा कन्या भ्रूण हत्या ना करने के लिए प्रेरित भी करती हैं। चूंकि पंचायत की महिलाएं सरपंच से खुश हैं अतः वे उनकी बात सुनती भी हैं और मानती भी हैं।

6. बालिकाओं के लिए शौचालय

रायपुर के माध्यमिक विद्यालय में शौचालय नहीं होने की वजह से वहां बालिकाओं के पढ़ाई छोड़ने की दर बहुत अधिक थी। सरपंच गीता ने बालिकाओं की तकलीफ समझते हुए प्राथमिकता से शौचालय बनवाए तथा बालिकाओं को विद्यालय में पुनः प्रवेश के लिए समझाया, जिसका परिणाम यह रहा कि काफी हद तक पढ़ाई छोड़ने की दर को नियंत्रित किया जा सका है।

महिला सशक्तिकरण के लिए अभियान

उपरोक्त सभी प्रयासों के अलावा सरपंच गीता राव ने बालिकाओं के जन्म को प्रेरित करने के लिए महिला सशक्तिकरण का संदेश आम जन तक पहुंचाने के लिए तथा बालिकाओं को प्रेरित करने के लिए पूरी पंचायत में विभिन्न पदों पर रहने वाली यथा—डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक, पायलट, वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि महिलाओं के प्रेरक वाक्यों के साथ पोस्टर लगवाए हैं।

17 अक्टूबर, 2016 को ‘सारद (सोसायटी फॉर ऑल राउंड डेवेलपमेंट) संस्थान’ व ‘हंगर प्रोजेक्ट’ के तत्वावधान में कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महिला क्रिकेटर्स युक्त चार दलों ने रेवदर पंचायत समिति की चार पंचायतों जिनकी सरपंच अजा, अजजा की महिला हैं, का निरीक्षण किया। सभी पंचायतों में से दल गीता राव के कार्यों से सर्वाधिक प्रभावित हुआ तथा उन्हें ऑस्ट्रेलिया आने व वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ अपने अनुभव साझा करने हेतु आमंत्रित किया। इसी संदर्भ में गीता राव 27 अप्रैल, 2017 को ऑस्ट्रेलिया गईं तथा ब्रिसब्रेन, मेलबर्न व सिडनी में अपने अनुभव साझा किए। विगत गणतंत्र दिवस पर गीता राव को अपनी पहलों के लिए जिला प्रशासन द्वारा भी सम्मानित किया गया है।

डिजिटल पंचायत की आधुनिक सरपंच

प्यारी देवी ग्राम पंचायत मंडावर, जिला राजसमंद, (राजस्थान) की सरपंच है। वर्ष 2011 में प्यारी रावत ने ग्राम पंचायत में लोक शिक्षा केंद्र में प्रेरक के पद हेतु आवेदन किया तथा अंतिम तिथि तक सिर्फ उनका आवेदन आने पर भी सरपंच द्वारा भ्रष्टाचार करते हुए किसी अन्य का चयन कर लेने के दिन से ही प्यारी रावत ने यह प्रण लिया कि वह इस पंचायत को भ्रष्टाचार-मुक्त बनाकर रहेंगी। इसी मुहिम की अगली कड़ी में वर्ष 2015 में सरपंच का चुनाव जीता। पद संभालने के साथ ही प्यारी रावत ने पंचायत की कार्यप्रणाली और कार्यों को बारीकी से समझा तथा जिला-स्तर पर आयोजित कार्यशाला में इन्होंने अपने अस्तित्व को पहचाना।

वर्तमान में वह अपने सारे कार्य स्वयं करती हैं और सभी कार्मिकों व अधिकारियों से भी स्वयं ही चर्चा करती हैं।

यह पंचायत छोटे-छोटे 24 मगरों में फैली हुई है तथा एक दूसरे से बहुत दुर्गम रास्तों से जुड़ी हुई है। सरपंच प्यारी रावत ने सर्वप्रथम संपूर्ण पंचायत को सड़क मार्ग से व पंचायत मुख्यालय को मुख्य मार्ग से जोड़ा ताकि परिवहन को आसान किया जा सके। सरपंच प्यारी रावत आधुनिकीकरण की पक्षधर है और उनका मानना है कि इससे भ्रष्टाचार कम होता है तथा प्रशासन में कुशलता आती है। इसके लिए सरपंच ने अपने मोबाईल नंबर सभी ग्रामवासियों को दिए हुए हैं तथा व्हाट्स एप पर सक्रिय रूप से लोगों से जुड़ी रहती हैं। पंचायत का अपना फेसबुक पेज बनाया हुआ है जिस पर पंचायत से संबंधित क्रियाकलाप को डाला जाता है तथा समस्याओं को भी सुनवाई के लिए आमंत्रित किया जाता है। सरपंच के खुद के फेसबुक अकाउंट की टेग लाईन है "शिक्षित, विकसित समाज के लिए कृत संकल्प सरपंच प्यारी रावत"। सरपंच ने पंचायत को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए 'डिजिटल मंडावर' नामक कार्यक्रम चलाकर पंचायत को राजसमंद की पहली 'डिजिटल ग्राम पंचायत' बनाया है। इसके लिए सरपंच ने देवगढ़ (राजसमंद) के एक कम्प्यूटर संस्थान से सहयोग लिया है, जिसने कार्यशाला आयोजित कर कौशलेश इकोनॉमी, मोबाईल बैंकिंग, पै-टीएम बैंकिंग आदि के साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं तक ऑनलाईन पहुंच, कौशल विकास, स्वरोजगार के लिए आवेदन आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। इसके लिए पंचायत को राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र की तरफ से सम्मानित भी किया गया है।

सरपंच ने 'स्वच्छ भारत अभियान' की तर्ज पर 'ग्रीन मंडावर-क्लीन मंडावर' कार्यक्रम चलाया है जिसके अंतर्गत शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, सड़कें, नालियों आदि के निर्माण के साथ-साथ वृक्षारोपण व वन संरक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। महिला सरपंच ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जयपुर

सेवा फाउंडेशन के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा पर एक विशेष प्रशिक्षण व सेमिनार का आयोजन करवाया तथा ग्रामीणों को फिल्म दिखाकर जागरूक किया एवं शराब पीकर वाहन ना चलाने का प्रण भी दिलवाया। राज्य की पहली शराबमुक्त पंचायत कछाबली के पड़ोस में होने के कारण मंडावर सरपंच भी अपनी पंचायत को शराबमुक्त करवाने के लिए लगातार जागरूकता फैला रही हैं और महिलाओं को साथ लेकर लगातार प्रयासरत रही हैं जिसका परिणाम यह है कि आज मंडावर राजस्थान की दूसरी शराबमुक्त पंचायत बन गई है। सरपंच ने विद्यालय में अध्यापक न होने के दर्द को समझते हुए अपने पद गृहण के अगले ही दिन अपने वेतन पर गणित के अध्यापक की व्यवस्था कर दी थी। इसके अलावा



महिला सरपंच ने महिला सशक्तिकरण के लिए सूर्या महिला राज्य विकास ग्राम संगठन बनाया है जो महिलाओं की समस्या समाधान के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण, कुश्रितियों के निवारण व महिलाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाने की ओर भी प्रयासरत हैं।

निष्कर्ष

कहा जा सकता है कि आधी दुनिया कहा जाने वाला महिला वर्ग अवसर व पद प्राप्त होने पर अपने कुशल प्रबंधन और नवाचारों का प्रदर्शन करने से पीछे नहीं रहता है और यह महिला सरपंच अपने इस उत्कृष्ट प्रदर्शन से महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक आदर्श उदाहरण के रूप में स्थापित हो रही हैं।

संदर्भ

- खबरइंडियाटीवी.कॉम
- निर्वाचन आयोग, राजस्थान
- संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992
- संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992
- सुरेन्द्र कटारिया, पंचायती राज संस्थान: अतीत, वर्तमान एवं भविष्य, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2007

(लेखक मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) के लोक प्रशासन विभाग में अतिथि व्याख्याता हैं।)
ई-मेल : ranawatjorawarsingh@gmail.com



महिला सशक्तीकरण के लिए पहल

मिशन इंद्रधनुष

मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को बीमारियों से बचाव के टीके लगाने का अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत 80 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को रोगों से बचाव के टीके लगाए गए।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

यह योजना गर्भवती/शिशुओं को दूध पिलाने वाली माताओं की आर्थिक मदद के लिए है। ऐसी प्रत्येक महिला को 6,000 रुपये की नकद सहायता राशि दी जाएगी जिससे वह समुचित आराम कर सकें और समय पर स्वास्थ्य की जांच करा सकें। हर वर्ष 50 लाख से अधिक महिलाओं को इस कार्यक्रम का लाभ पहुंचाने की उम्मीद है।

प्रसूति अवकाश अवधि बढ़ी

रोजगार और जीवन के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के लिए वेतन सहित प्रसूति अवकाश की अवधि बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई, जो दुनियाभर में दिए जाने वाले सर्वाधिक प्रसूति अवकाशों में से एक है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

मां और शिशु के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत अब तक 12,900 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 1.16 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की गई। 6 लाख से अधिक उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान की गई।

पोषण अभियान

समुचित पोषण सुनिश्चित करने का पोषण अभियान अनेक प्रकार के उपायों के जरिए कुपोषण दूर करने का अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य तकनीक के इस्तेमाल और लक्ष्य के अनुरूप प्रयास के जरिए कुपोषण में कमी लाना है।

प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना

बालिकाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए इस योजना के तहत 1.26 करोड़ से अधिक बालिकाओं के लिए खाते खोले गए, जिनमें करीब 20,000 करोड़ रुपये जमा हुए।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए यह योजना शुरू की गई। इस योजना से 104 जिलों में जन्म के समय लड़का-लड़की अनुपात में सुधार हुआ है; गर्भ की प्रथम तिमाही के दौरान पंजीकरण में 119 जिलों में बढ़ोतरी दर्ज हुई; 146 जिलों में अस्पतालों में प्रसव संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई; माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों के दाखिलों में भी बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए अनेक छात्रवृत्तियां भी शुरू की हैं।

महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन

मुद्रा योजना और स्टैंडअप इंडिया योजना के अंतर्गत उद्यमियों को बिना गारंटी ऋण प्रदान किए जाते हैं। स्टैंडअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग उद्यमियों को एक करोड़ रुपये तक के ऋण दिए जाते हैं। हर्ष का विषय है कि मुद्रा योजना के लाभार्थियों में 70 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं हैं।

बालिकाओं के प्रति अपराध के मामले में कानून में कड़े प्रावधान

बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराधों का संज्ञान लेते हुए सरकार ने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान किया है। वहीं 16 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में सजा की अवधि 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है।

महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित करता स्वच्छ भारत मिशन

इस योजना से देशभर में साफ-सफाई के मामले में क्रांति आई है। महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित करने और खुले में शौच जाने की असुरक्षित और अस्वास्थ्यकर आदतों को रोकने के लिए देशभर में तेजी से शौचालयों का निर्माण किया गया और 7.25 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए। सभी स्कूलों में बालिकाओं हेतु अलग शौचालय बनाए गए हैं। 3.6 लाख से अधिक गांवों और 17 राज्यों/संघशासित प्रदेशों को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है और स्वच्छता कवरेज जो 2014 में 38 प्रतिशत था, बढ़कर 83 प्रतिशत पर पहुंच गया है। इस मिशन के चलते आज देश में 7.25 करोड़ से अधिक शौचालय बने हैं। 3.6 लाख से अधिक गांव, 17 राज्य/संघशासित प्रदेश खुले में शौच से मुक्त घोषित हुए हैं।

उज्ज्वला योजना

महिलाओं को चूल्हों के धुएं से मुक्ति दिलाने और खाना पकाने में सुविधा पहुंचाने के लिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 3.8 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए। इस कार्यक्रम में महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया।

महिलाओं को प्राथमिकता

प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। एकल माताओं को पासपोर्ट नियमों में भी छूट दी गई है।


महिलाओं का सामाजिक सशक्तीकरण

मुस्लिम महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए तीन तलाक विधेयक पारित। साथ ही, मुस्लिम महिला बिना किसी पुरुष संरक्षक के अब हज यात्रा कर सकती है।

**UP
VA** प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के
दर्शन एवं विचारों को जानने के लिए

हमारी पुस्तकें पढ़ें



हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।
ऑर्डर के लिए संपर्क करें: फोन : 011-24367260, 24365609, ई-मेल : businesswng@gmail.com

वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in



@DPD_India



www.facebook.com/publicationsdivision
www.facebook.com/yोजनाJournal